खण्ड-225, अंक-10
सोमवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1883
(21 अगस्त, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 225 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३१३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिं निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जवाहरलाल , श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
जोखई, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद , श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी,
नारायणदास पासी, श्र
नेकराम शर्मा, श्री ,
पद्माकरलाल श्रीवास्तव श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वर दीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशोधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बाबासिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री

बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस' श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवरमण पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक , श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर).
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वज्रंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री

हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, स्वशासन मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा, श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपलानी तथा वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २१ अगस्त, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वनारोपण योजना पर विचार

**१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह केन्द्रीय सरकार के परामर्श से प्रदेश के कतिपय भागों में विशाल पैमाने पर वनरोपण की किसी योजना पर विचार कर रहे हैं ?

वन राज्य मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—इस समय कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है परन्तु चूंकि इस प्रदेश में वन बहुत कम हैं और उनका बढ़ाना अति आवश्यक है, मैं बराबर यह सोचता रहता हूं कि ऐसा किस तरह हो। इस संबंध में मैंने गत जुलाई में प्लानिंग कमीशन के सदस्य (कृषि) से सलाह मशविरा किया। उस बातचीत के दौरान में तीसरी पंचवर्षीय योजना की फार्म फारेस्ट्री स्कीम को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाय इस बात पर विचार-विनिमय हुआ। इस संबंध में यह सुझाव दिया गया कि नियोजन विभाग के अन्तर्गत जो कर्मचारी इस कार्य को कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग का प्रबन्ध किया जाय और यदि आवश्यक हो तो इस कार्य के लिये एक रेंजर या फौरेस्टर संबंधित विकास खंड में दे दिया जाय। प्लानिंग कमीशन के सदस्य ने इस प्रदेश में वनारोपण और भूमि संरक्षण के लिये दो-दो लाख रुपये की लागत के तीन ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण (Rural Public Works) आयोजनाओं को देने को कहा है। इन आयोजनाओं को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विभागीय अधिकारियों की सलाह से विचार हो रहा है।

**२—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न सं० १ के उत्तर में आ गया है।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित उस समाचार की ओर गया था जिसमें लिखा था कि उन्होंने इस विषय पर पंडित जवाहर लाल जी से भी विचार-विनिमय किया था ? यदि हां, तो किस विषय पर और किस दृष्टिकोण को रखते हुए ?

श्री अलगूराय शास्त्री—श्रीमन्, जैसा मैंने कहा इस दृष्टि से कि इस प्रदेश में वनों की संख्या कम है, कैसे उनको बढ़ावा दिया जाय, किस तरह से वनों की रक्षा हो, इन्हीं विषयों पर मैंने उनसे बातचीत की थी।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण (रूरल पब्लिक वर्क्स) आयोजना की बात उत्तर में कही गई उसका खुलासा क्या है, क्या मतलब है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—ऐसी योजना है जिसके अनुसार गांवों में कुछ लोगों को, मजदूरों को अधिक काम मिल सके और वे ऐसे काम में लगाये जायं जो लगातार समय तक करने के न हों, दूसरे काम भी अपने देख सकें। तो ऐसे कामों की कोटि में वनारोपण भी आता है। पेड़ लगाने के बाद रुक भी सकते हैं, फिर उस काम को शुरू किया जा सकता है। तो ग्राम सभाओं को मदद इस तरह की सरकार से मिल सकती है और इस मदद से वनारोपण का काम आसानी से चल सकता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मंत्री जी बतायेंगे कि तृतीय योजना भी बन गई और सरकार बहुत दिनों से सोच रही है, इस तरह की योजना सरकार बनाने जा रही है, तो क्या अभी तक कोई मुकम्मिल योजना बनी है या नहीं ? या केवल विचार ही चल रहा है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस योजना के अधीन दो, दो लाख रुपये की तीन योजनाओं के लिये अनुदान देने की बात भी हो चुकी है। योजना चालू करने की ही बात है। विभागीय अधिकारियों से काम चलाने के लिये बातचीत हम कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मंत्री जी बतायेंगे कि कुमायूं और उत्तराखंड डिवीजनों में सैंकड़ों फारेस्ट पंचायतें पहले से ही काम कर रही हैं, तो क्या इस योजना में ऐसा विचार है कि इन फारेस्ट पंचायतों को विशेष अनुदान या सहायता दी जाय ताकि वे अपने वनों को बढ़ा सकें ?

श्री अलगूराय शास्त्री—यह योजना है ही, इसी दृष्टि से जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभायें हैं, विकास खंडों के द्वारा ही यह काम चलाया जायगा और जो गांवों में खाली या बंजर जमीन है और वन लगाने के लायक है तो ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन दिया जाता है, सरकार कुछ अनुदान प्लानिंग विभाग को उनकी मदद को देती है, और टेक्निकल ऐडवाइस तथा देख-रेख वन विभाग करता है, लेकिन वह ग्राम सभाओं के ही वन हैं। यह योजना सर्वत्र चालू की जा सकती है, जहां भी ऐसी भूमि गांव सभाओं की ओर से मिल सकेगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनायी है कि प्रदेश में जितनी भूमि है उसकी कितने प्रतिशत वन के अन्तर्गत रहेगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—नेशनल योजना के अनुसार ३३ प्रतिशत जमीन वन के नीचे होनी चाहिये। हमारे प्लेन्स में केवल १२ प्रतिशत है और जहां ६० प्रतिशत से भी ज्यादा होनी चाहिये वहां ४८ प्रतिशत है। तो इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि जो प्रतिशत कम है उसको पूरा किया जाय।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—प्रथम प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि "क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह केन्द्रीय सरकार के परामर्श से प्रदेश के कतिपय भागों में, विशाल पैमाने पर वनारोपण की किसी योजना पर विचार कर रहे हैं ?" तो वह कतिपय भाग कौन-कौन से हैं, क्या इस पर वन मंत्री प्रकाश डालेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—चूंकि पूरे प्रदेश में एक साथ काम शुरू नहीं हो सकता, इसलिये कहां ज्यादा सफलता के साथ यह काम किया जा सकता है, उसके लिये जो तीन योजनायें उन्होंने स्वीकृत की हैं जिन पर हमें काम शुरू करना है उसकी जांच-पड़ताल विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, उनको सर्कुलर भेज दिया गया है और जहां अनुकूल परिस्थिति होगी वहां इस कार्य को चालू किया जायगा।

श्री झारखंडेराय—क्या वन मंत्री बतायेंगे कि यह जो दो लाख रुपये की चर्चा है उत्तर में, इसके अलावा प्रान्तीय सरकार ने अपनी ओर से कितना रुपया वन के एरिया को बढ़ाने के लिये दिया है तृतीय योजना में और वह स्कीम कैसे लागू करने का विचार है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—वन विभाग के सारे कार्यों के लिये तो पिछला बजट इस सदन से स्वीकृत हुआ है। उसके अनुसार तो काम चलेगा ही। यह अन्य अनुदान है जो इस काम के लिये है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह देखते हुये कि उनका जो बजट है वह कई करोड़ का है और यह जो वनारोपण की व्यवस्था की गयी है तीन साल में दो-दो लाख रुपया हर साल के हिसाब से ६ लाख रुपये की, यह बहुत ही कम है, क्या मंत्री जी धन बढ़ाने की योजना पर विचार करेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इन योजनाओं के आरम्भ होने के बाद जो प्रोत्साहन मिलेगा कार्य की प्रगति के अनुसार, तो रुपये की कमी न केन्द्रीय सरकार के पास है और न प्रदेशीय सरकार के पास है। ऐसे कामों में अधिक रुपया दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसी योजना विचाराधीन है जिसके अनुसार जिन स्थानों पर वनारोपण हो गया है वहां पर जो प्लान्ट्स हैं वे सुरक्षित रहें और नष्ट न हो जायं तथा उनके मेन्टिनेन्स की कोई योजना इसमें शामिल है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—वन संरक्षण के लिये तो फारेस्ट गार्ड्स वगैरह हैं ही कि कोई चीज बिगड़ने न पाये। इसकी तो बड़ी सावधानी से रक्षा की जाती है।

इलाहाबाद में नगरमहापालिका तथा बिजली कम्पनी में समझौता कराने का प्रयास

**३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—प्रश्न संख्या ३७, दिनांक २ अगस्त, १९६१ के उत्तर के क्रम में क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि १० सितम्बर, १९५८ से आज तक बिजली कम्पनी से समझौता न करने के क्या कारण हैं ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—बिजली कम्पनी बढ़ी हुई दरों पर बिजली दे रही है जिसको नगरमहापालिका ने स्वीकार नहीं किया है। इसी कारण अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका।

**४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद महापालिका ने सरकार से बिजली कम्पनी से समझौता करने हेतु लिखा-पढ़ी की है ? यदि हां, तो क्या लिखा पढ़ी हुई है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—बिजली कम्पनी से समझौता न हो सकने पर महापालिका ने सरकार से मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया। सरकार ने इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर को मध्यस्थ नियुक्त कर दिया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बिजली कम्पनी का कंट्रेक्ट कितने दिन का था, उस समय क्या रेट था और इस समय वह अब क्या मांग रही है ?

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—यह कन्ट्रेक्ट १९५८ में खत्म हुआ और रेट जो बिजली कम्पनी मांग रही है वह काफी ज्यादा है। असल में ज्यादातर झगड़ा स्ट्रीट लाईटिंग के रेट का है। जिस तरह से तरह-तरह की पावर्स के लैम्प्स होते हैं उसी तरह से रेट्स में भी फर्क है। जो एक्जिस्टिंग रेट ४० वाट्स का था वह १ रुपये १४ पैसे था और अब वह १ रुपया ३३ नये पैसे मांग रहे हैं और एक हजार वाट का २६ रुपये था और ३० रुपये मांग रहे हैं। इसी तरह से अगर श्रीमन्, कहें तो मैं औरों के भी बता दूं।

श्री अध्यक्ष—नहीं कोई जरूरत नहीं है। आपने संकेत कर दिया है, काफी है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि कितने दिनों से नगर महापालिका ने सड़कों पर समझौता न होने के कारण बिजली देना बंद कर दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बिजली तो दी जा रही है लेकिन इस समय चूंकि समझौता नहीं हो सका, इसलिये नगर महापालिका को बढ़े हुये रेट्स ही मजबूरन देने पड़ रहे हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि लगभग तीन वर्ष से इलाहाबाद नगर महापालिका ने सड़कों पर बिजली देना बंद कर दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी सूचना तो मेरे पास नहीं है। मुमकिन है माननीय सदस्य को मालूम हो। एक आध स्ट्रीट की बात तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसी सूचना नहीं है कि वहां सड़कों पर नगर महापालिका ने बिजली देना बंद कर दी है।

विश्वविद्यालय विनियम में संशोधन

****५—श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ के अनुसार विनियम (Statutes) बनने में क्या विलम्ब है ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जिन स्टैट्यूट्स (Statutes) की तुरन्त आवश्यकता थी, वह उसी समय बना दिये गये।

इनके अतिरिक्त, जिन स्टैट्यूट्स (Statutes) की आवश्यकता समझी जायेगी, वह यथासमय बनाये जायेंगे।

****६—श्री गौरीशंकर राय**—क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या उक्त विनियम (Statutes) बनाने के पहले विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों एवं कार्य समितियों से भी परामर्श किया जायेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—सभी विश्वविद्यालयों को लिखा जा चुका है कि वह अपने स्टेट्यूट्स में जो संशोधन अथवा परिवर्द्धन आवश्यक समझें उसे सरकार के पास विचारार्थ भेजें।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मंत्री जी ने बताया है कि जो स्टेट्यूट्स आवश्यक थे वे बना दिये गये हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१, में जिन धाराओं और उपधाराओं में संशोधन हुये हैं, इसके अतिरिक्त दूसरी धाराओं और उपधाराओं पर भी स्टैट्यूट्स फिर से बनाने या संशोधित करने का सरकार का विचार है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह तो नियम में दिया हुआ है कि एक साल का शासन को स्टेट्यूट्स बनाने का अधिकार है। इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालयों को भी अधिकार है। जो आवश्यक होंगे उनको सरकार बना सकती है और संशोधित कर सकती है जो इस समय मौजूद हैं।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, अधिनियम में अधिकार तो है लेकिन आमतौर पर जो क्लाजेज अमेंड होते हैं उन्हीं से संबंधित स्टेट्यूट्स बनते हैं। लेकिन सरकार के उत्तर से ऐसा लगता है कि वाइस चांसलर के एप्वाइंटमेंट और एक आध धाराओं और उपधाराओं में जो परिवर्द्धन या संशोधन हुये हैं उनके अलावा भी क्या सरकार की ऐसी मंशा है कि सभी स्टैट्यूट्स को फिर से संशोधित करे या बनाये ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार की ऐसी मंशा कभी नहीं है कि सभी स्टैच्यूट्स को संशोधित करे या बनाये, लेकिन जहां तक इस अधिनियम को कार्य रूप में परिणत करने के लिये आवश्यकता पड़ेगी उनमें हम संशोधन करेंगे और नये भी बनायेंगे। इस सिलसिले में कुछ बना भी दिये हैं जैसा कि मैंने निवेदन किया है।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को लिखा जा चुका है कि जो आवश्यक संशोधन समझें वे सरकार के विचारार्थ भेजें, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे यह भी अर्थ हो सकता है कि जिन धाराओं और उपधाराओं में अमेंडमेंट हुये हैं, उनके अलावा दूसरी धाराओं और उपधाराओं के संबंध में भी संशोधन मांगे गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, जहां तक स्टेट्यूट्स बनाने का प्रश्न है, वह दो हिस्सों में विभाजित है। यूनिवर्सिटी सभी स्टैट्यूट्स बना सकती है और उनको एप्रूवल के लिये चांसलर के पास भेजती है। लेकिन अगर कोई आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है तो वह सरकार के पास भी आता है और सरकार के परामर्श के बाद वह चांसलर के पास जा सकता है। इसमें शासन के पास अधिकार हैं, यदि विश्वविद्यालय चाहते हैं कि ठीक व्यवस्था रखने के लिये कोई सुझाव दें, तो उनको शासन के पास भेज दें। शासन, स्टेट्यूट्स बनाते समय, अगर उचित समझेगा, तो उनको शामिल कर लेगा।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अभी तक इसके भी स्टेट्यूट्स नहीं बनाये हैं कि वाइस चांसलर किस प्रोफेसर की नियुक्ति को ऐप्रूव करे या डिस्ऐप्रूव करे?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी। लेकिन जो पत्र शासन से गया था उसके उत्तर में वाराणसी और गोरखपुर विश्वविद्यालयों ने समय मांगा है। तो उनको सुझाव देने के लिये समय दिया जायगा।

श्री राजनारायण—स्पष्ट प्रश्न है कि सरकार स्टैच्युट्स को बनाना आवश्यक समझती है, उसके पूर्व उस संबंध में विश्वविद्यालय के इन नियमों, उपनियमों पर अधिकारियों की सम्मति भी जानने की कृपा करेगी या नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने स्पष्ट कर दिया कि विश्वविद्यालयों को लिख दिया गया कि यदि वह समझते हैं कि कुछ स्टैट्युट्स का संशोधन होना चाहिये, तो वह सुझाव भेज दें।

श्री अध्यक्ष—वह यह पूछते हैं कि जो आप खुद करते हैं, उसमें उनसे सलाह लेते हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—यह जरूरी नहीं है कि सलाह लें। हम जरूरी समझते हैं तो बना देते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—मंत्री जी ने कहा कि जो स्टैट्यूट्स आवश्यक समझे गये, बना लिये गये। इस लिये जो वाइस-चांसलर की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम में संशोधन हुआ है, उसके संबंध में स्टैट्यूट्स बना लिये हैं। क्या सरकार ऐसा महसूस करती है कि जो संशोधन अभी अधिनियम में हुआ है, उसके अतिरिक्त बहुत सी धाराएं, उपधाराएं कार्यान्वित करने में भी सरकार को कठिनाई पड़ती है जिसके संबंध में स्टैट्यूट्स में अमेंडमेंट करने के लिये सुझाव मांगे हैं? अगर हां, तो वह कौन सी धाराएं, उपधाराएं हैं जिनमें सुझाव मांगे हैं?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—सरकार उन परम्पराओं को भी इस विषय में अपनाती है जो परम्पराएं पिछले वर्षों में स्टैट्युट्स के बनाने में अपनायी गयी हैं।

हरिजन छात्रों के लिये छात्रवृत्ति तथा शिक्षा सम्बन्धी आदेश

**७—श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या हरिजन कल्याण मंत्री उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जो उन्होंने परिगणित जातीय छात्रों के शिक्षा शुल्क के संबंध में जून-जुलाई, सन् १९६१ ई० में भेजा है ?

हरिजन कल्याण राज्य मंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९४५-९४८ पर)

श्री मदन पांडेय—अध्यक्ष महोदय, बड़ी कृपा होती अगर हम लोगों को मुख्य-मुख्य बातें बता देते ।

श्री अध्यक्ष—यह बहुत लम्बा है। कोई प्रश्न पूछ लेंगे तो आपको पता लग जायगा ।

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि बहुत सी संस्थाओं में ऐसा आदेश होते हुए भी हरिजन छात्रों से पूरी फीस ली गयी है ? यदि हां, तो क्या उनकी फीस वापस करवाने की सरकार कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—आदेश बाकायदा भेज दिये गये हैं, लेकिन कहीं-कहीं शुरू में कुछ गलतफहमी हुई है। उनको फिर लिख दिया गया है। अगर किसी तरह से फिर भी गलती हुई है तो फीस वापस कर दी जायगी ।

श्री माता प्रसाद—क्या आदरणीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि १९ जुलाई का जो आदेश, अनुत्तीर्ण छात्रों के विषय में दिया गया है, उसमें प्रधानाचार्यों को जो आदेश दिये गये हैं, उसका पालन बहुत से प्रधानाचार्य नहीं कर रहे हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—वह आदेश बाकायदा सब प्रधानाचार्यों को दे दिया गया है कि वह जिसको मुनासिब समझें उसकी पहले एक दफे फेल होने वाले की फीस माफ कर सकते हैं और उसका बिल हमको भेज सकते हैं। इसकी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आयी। यदि किसी को कोई शिकायत हो और वह शिकायत वह हमारे पास भेजे तो हम उसे देखेंगे ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आदेश दिया गया है इसमें हरिजन विद्यार्थियों की फीस माफी के संबंध में कुछ शर्तें लगाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या वह उन्हें बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—कोई खास शर्त नहीं है। सिर्फ यह है जैसा मैंने बताया कि फीस पहले अलग माफ की जाती थी और स्टाइपेंड अलग दिया जाता था। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया ने इन दोनों को अलग नहीं माना है इसलिये यहां भी अब इन्हें अलग नहीं रखा गया है। अब एक साथ फीस और स्टाइपेंड का रुपया दे दिया जायगा। जो फीस की सबसिडी थी वह स्टाइपेंड में शामिल कर दी गई है और सीधे कालेज के हेड-मास्टर या प्रिंसिपल को दे दी जाती है। वह अपनी फीस उसमें से काट लेते हैं और स्टाइ-पेंड दे देते हैं। बैकवर्ड क्लास के लड़कों के लिये ऐसे ही होता था। शिड्यूल कास्ट के लड़कों के लिये दूसरे तरह से था। अब सबका एक-सा हो गया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि यह जून और जुलाई में जो आदेश जारी हुआ है इस आदेश के जरिये जो पहले आदेश या तरीका था उसमें मुख्य-मुख्य क्या परिवर्तन कर दिया गया है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि फर्क यह कर दिया गया है कि पहले फीस जो माफ होती थी उसका बिल अलग आता था और सरकार वह रुपया प्रिंसिपल को देती थी और स्टाइपेंड उनका अलग दिया जाता था। अब स्टाइपेंड में ही सब शामिल कर दिया गया है। पूरा रुपया जाता है। प्रिंसिपल फीस अपनी काट लेता है और स्टाइपेंड उनको दे देता है। लड़कों को यह मालूम होता है। इतनी फीस हमारी कट गई और कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। उनको फीस मिल जाती है और उन्हें स्टाइपेंड मिल जाता है।

मेरठ जिले में जूनियर हाई स्कूल के कुछ मुख्याध्यापकों को अपदस्थ करना

**८—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या यह सही है कि ४ सितम्बर, १९५९ को जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से मेरठ जिले के जूनियर हाई स्कूलो में १२ सहायक अध्यापकों को मुख्याध्यापक पद पर नियुक्ति के योग्यता प्रमाण-पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) प्रदान किये गये जैसा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैन्यूअल एजूकेशन रूल की धारा १२ के अनुसार अपेक्षित है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

**९—आचार्य दीपंकर—क्या यह भी सही है कि ४ सितम्बर, १९५९ से ११ फरवरी, १९६० तक पूर्वोक्त अध्यापकों को विभिन्न जूनियर हाई स्कूलों में मुख्याध्यापक पदों पर नियुक्त कर दिया गया था और शिक्षा (घ) विभाग की ओर से ११ जुलाई, १९६१ को प्रेषित नं० DI/2098/XV—500(4)/60 के द्वारा उनकी नियुक्ति एवं योग्यता प्रमाण-पत्र रद्द कर दिये गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

**१०—आचार्य दीपंकर—यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैन्युअल के शिक्षा नियमों की कौन-सी धारा के अनुसार ऐसा किया गया है?

श्री रामस्वरूप यादव—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की धारा ८२ के अन्तर्गत।

आचार्य दीपंकर—क्या माननीय मंत्री जी दफा ८२ की शब्दावली पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे जिसके अन्तर्गत १२ अध्यापकों को पुनः उनके पदों से वापस किया गया है?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, अंग्रेजी में है मेरे पास और ऐक्ट भी अंग्रेजी में है—

"Provided that in case the President in the exercise of his powers under this section dismisses a servant of the board or imposes of a fine exceeding in amount one month's pay of the present fine or orders suspension for a period exceeding one month or orders reduction by way of punishment or supersedes any such servant in the matter of promotion, the said servant shall have a right of appeal to the State Government within one month from the date on which the order of the President is communicated to him".

आचार्य दीपंकर—क्या यह सही है कि डिट्रिक्ट बोर्ड, मेरठ, के अध्यक्ष की तरफ से इन अध्यापकों को नियुक्त किया गया था और उनकी तरफ से न इन्हें बरख्वास्त किया गया और न अपदस्थ किया गया, फिर प्रादेशिक सरकार की तरफ से ऐसे आदेश के जाने का क्या कारण था?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रोमोशन का विषय था, अध्यापकों को प्रधानाध्यापक बनाने का जो इन १२ सहायक अध्यापकों से सम्बन्धित है। १२ सहायक अध्यापकों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने सिफारिश की थी अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष को कि उनको प्रधानाध्यापक बना दिया जाय। अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष ने वह नियुक्ति की। नियुक्ति के बाद उन अध्यापकों ने जिनके ऊपर असर पड़ा था, रिप्रेजेंटेशन किया कि प्रधान अध्यापक उन्हें बनना चाहिए था। सरकार ने उनके रिप्रेजेंटेशन पर ही यह आदेश दिया है।

श्री गौरीशंकर राय—दफा ८२ जो माननीय मंत्री जी ने पढ़ी है उसके अन्तर्गत मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सुपरसेशन है नहीं, पनिशमेंट है नहीं, यह तो प्रोमोशन का मामला है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रोमोशन जिस तरह से हुआ है उसमें हाथ लगाने का अधिकार किस प्रकार से उनको है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैंने तो जैसा कहा इसी शब्द प्रमोशन पर इम्फैसाइज किया था। "Any such servant in the matter of promotion" यह इसमें लिखा हुआ है।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स ने उन सीनियर मास्टरों को सुपरसीड किस ग्राउन्ड पर किया था जिनका रिप्रेजेन्टेशन सरकार में था ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहुत व्योरे का सवाल है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स की सिफारिश पर चेयरमैन ने उनको प्रमोशन दिया था और कुछ सीनियर मास्टर सुपरसीड कर दिये गये थे तो सरकार ने किस ग्राउन्ड पर उनके प्रमोशन को रिजेक्ट किया था और इन्सपेक्टर ने किस ग्राउन्ड पर उनके प्रमोशन की सिफारिश की थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—रिप्रेजेन्टेशन भी उस वक्त शासन ने इस वजह से स्वीकार किया था कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने सिफारिश अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष से की थी और उसी आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी। उसमें न तो नियम १२ का ही पालन किया गया था और न सिद्धान्त का ही पालन किया गया। सिद्धान्त यह है कि जिनका चरित्र अच्छा रहता है और सीनियर हों उनको प्रधानाध्यापक बनाना चाहिये लेकिन जिनकी चरित्र पुस्तिका अच्छी नहीं थी, और सीनियर भी नहीं थे उनको बनाया गया। इसी सिद्धान्त की अवहेलना हुई। इसी वजह से शासन ने दूसरे अध्यापकों के रिप्रेजेन्टेशन को स्वीकार किया।

आचार्य दीपंकर—क्या माननीय मंत्री जी को यह बात ज्ञात है कि अन्तरिम जिला परिषद्, मेरठ के अध्यक्ष और जिला विद्यालय निरीक्षक के इस निर्णय को सही मानते हुये उच्च न्यायालय ने उस निर्णय को सही माना है और सरकार के निर्णय को गलत समझा और यही सोचकर उसने स्टे आर्डर दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, हमको इसकी कोई सूचना नहीं है कि कोई मुकदमा दायर हुआ लेकिन स्टे आर्डर देने से यह फैसला नहीं हो जाता है। स्टे आर्डर तो बीच का आर्डर होता है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने जो गलत सिफारिश की थी, उसके लिये उनसे कोई जवाब तलब किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसने अपने सही विवेक का प्रयोग नहीं किया। जवाब मांगने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बंधित कालेजों की प्रातःकालीन कक्षाओं के लिये आज्ञा

**११—श्री नारायण दत्त तिवारी—शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेजों में होने वाली प्रातःकालीन कक्षाओं को क्या सरकार समाप्त करने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कालेजों को जो प्रातःकालीन कक्षा चलाने का अधिकार दिया जाता है, वह केवल एक वर्ष के लिये दिया जाता है और प्रति वर्ष उसकी आज्ञा ली जाती है, तो स्थायी रूप से यह अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रातःकालीन कक्षा लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जुलाई, सन् १९६२ से चान्सलर ने यह अन्तिम आदेश कर दिये हैं कि जो वर्किंगमैन्स कालेज विधि के आधार पर, जैसा कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में दिया हुआ है, तीन वर्ष के कोर्स की कक्षा विद्यालय में चलाना चाहते हैं उनको तो इजाजत दी जायगी अन्यथा भविष्य के लिये दो साल की इजाजत नहीं दी जायगी। ३ साल का कोर्स जैसा कि वर्किंगमन्स कालेज में है उसका प्राविधान लखनऊ विश्वविद्यालय में कर लेना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—वर्किंगमेन की सुविधा के लिये कुछ सुविधायें प्रातःकालीन कालेजों को देने की बात सरकार सोच रही है तो उसके अधीन ही क्या यह सुविधा प्रति वर्ष वह दे रही है अथवा किन्हीं अन्य नियमों के अन्तर्गत दे रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—आगरा यूनिवर्सिटी ने अपने स्टैट्यूट्स बना रखे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी को चांसलर ने यह आदेश दे दिये हैं कि जुलाई, १९६२ से प्रातःकालीन या सायं-कालीन कालेज चलाने की इजाजत नहीं दी जायगी जब तक कि वर्किंगमेन्स कालेजों की जो विधि है, जिसमें तीन साल का कोर्स होता है बजाय दो साल के, वह न अपना ली जाय। तो इसके लिये वे अपने स्टैट्यूट्स बना लें यह चांसलर ने लिख दिया है। १९६० से यह चल रहा है और १९६१ में विशेष परिस्थिति में चांसलर ने इजाजत दे दी है चूंकि उन्होंने एडमीशन कर रखे हैं इसलिये। लेकिन १९६२ में तीन साल का कोर्स हो जाना चाहिये। कारण यह है कि प्रातः और सायं कालीन कालेजों में पढ़ने के लिये बहुत कम समय मिलता है, केवल दो दो घंटे, और रेगुलर कालेजों में लड़के दिन भर पढ़ते हैं, तो इसलिये यह आवश्यक समझा गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि वर्किंगमेन्स कालेज चलाये जाने के संबंध में सरकार ने ही चांसलर महोदय को पत्र लिखा था?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरी सूचना तो यह है कि स्वयं चांसलर की यह राय है और सरकार की राय तो है ही।

कानपुर नगरमहापालिका कर्मचारियों का वेतन-वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव

****१२—श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कानपुर नगर महापालिका ने कानपुर नगर महापालिका के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों को सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा था? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इस समय नगर के विकास तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त समस्त स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में भी शासन द्वारा वृद्धि की गई है। इन बातों को देखते हुये शासन ने कानपुर नगर महापालिका के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

सातवीं कक्षा में लड़कियों की फीस माफी सम्बन्धी आदेश

**१३—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों की सरकारी आदेश के अनुसार सातवीं कक्षा में फीस की माफ़ी नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—प्रश्नगत आदेश केवल उन्हीं स्कूलों में लागू होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों या ऐसे कस्बों में स्थित हैं जिनकी जनसंख्या १५,००० से कम है।

भंगियों से सर पर विष्टा ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिये सुझाव

**१४—श्री झारखंडे राय, श्री नारायणदत्त तिवारी तथा श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसे केन्द्रीय सरकार से कोई ऐसा आदेश प्राप्त हुआ है कि भंगियों के सिर पर विष्टा ढोने की प्रथा अविलम्ब समाप्त करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही की जाये?

श्री गनेशी लाल चौधरी—जी हां, Ministry of Home Affairs (III Five-Year Plan) के Working Group ने यह सुझाव दिया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाय।

**१५—श्री झारखंडे राय, श्री नारायणदत्त तिवारी तथा श्री प्रतापसिंह—यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की एक प्रति सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री गनेशी लाल चौधरी—Working Group Report के उद्देश्य की प्रति संलग्न है जो सदन पटल पर रख दी गई ह।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९४९ पर)

**१६—श्री झारखंडे राय, श्री नारायणदत्त तिवारी तथा श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस आदेश के अमल में लाये जाने के लिये वह क्या कर रही है अथवा करने का विचार कर रही है?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जहां तक शासन को ज्ञात है, विभिन्न नगर महापालिकाओं एवं नगरपालिकाओं में सम्बन्धित मेहतर कर्मचारियों द्वारा मैला भरी बाल्टियों को सिर पर ढोने की प्रथा अब नहीं है। Private और customary मेहतरों के सम्बन्ध में भी Model Bye-law No. 3 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है और विभिन्न खंडों के आयुक्तों को भी स्थानीय निकायों द्वारा उक्त bye-law को ग्रहण करने के निर्देश दे दिये गये हैं। भारत सरकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५७–५८ से १९६०–६१ तक ५,२५,८०० रु० की धनराशि अनुदानस्वरूप स्थानीय निकायों को hand carts wheel barrows खरीदने के लिये देने को मिली थी, जो कि राज्य की बहुत सी स्थानीय निकायों को इस शर्त पर वितरित की गई थी कि ५० प्रतिशत खर्च वह खुद वहन करें। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भी भारत सरकार ने २०.१० लाख रु० की धनराशि मेहतरों के कार्य करने की दशा को सुधारने के लिये दिया है जिसमें से ४.६६ लाख रु० इसी वर्ष वितरित किया जायगा।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो प्राइवेट लोगों के लिये बाईलाज बनाये गये हैं उनमें किस प्रकार की व्यवस्था की गयी थी? यदि उन्हें केवल मना कर दिया गया है तो उस हालत में उनके बेकार हो जाने की संभावना है और उसका भी क्या खयाल रखा गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बाईलाज उन्हीं के बारे में है। यदि, श्रीमन्, आज्ञा हो तो पढ़ दें। वह इस प्रकार है : "the sweeper shall collect and carry the night...."

श्री अध्यक्ष—वह यह जानना चाहते हैं कि जब उन्हें सर पर उठाना मना कर दिया जायगा और कोई गाड़ी या हैंड-कार्ट के लिये कहा जायगा तो उसका परिणाम यह तो न होगा कि वे बेकार हो जायंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—नहीं, यह नहीं है क्योंकि उनको ग्रान्ट्स दी जाती हैं और कमिश्नरों को यह डाइरेक्शन्स गये हैं कि वे यह देखें कि हर म्युनिसिपैल्टी उन बाईलाज के अनुसार काम करती है या नहीं। कुछ म्युनिसिपैल्टीज नहीं करती हैं, उन्हीं के लिये यह डाइरेक्शन्स दिये गये हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स (वर्किंग ग्रुप) ने जो अपने सुझाव दिये हैं उनको प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार ने उसको अमल में लाने के लिये कौन-सा कदम उठाया, क्योंकि जवाब से मालूम होता है कि कुछ काम पहले ही हो चुका था?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस साल ४ लाख ६६ हजार रुपया और दिया जाने वाला है और इस तृतीय योजना में २० लाख १० हजार रुपया इस कार्य के लिये रखा है और हर म्युनिसिपैल्टी से कहा गया है कि अपने यहां इस को समूल नष्ट करें।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—उत्तर प्रदेश में प्राइवेट घरों में जो मेहतर कार्य करने वाले हैं उनको भी क्या इस तरह का सामान दिया गया है? और यदि दिया गया है तो क्या उसके लिये उनसे कोई मुआवजा या पैसा लिया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सवाल लम्बा है, इसकी सूचना नहीं है, लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया उनको ग्रान्ट दी जाती है। ५० परसेन्ट उसमें सरकार देती है और ५० परसेन्ट म्युनिसिपैल्टीज खुद अपना खर्च करती है। अब ऐसा कर दिया गया है कि जो १ साल से ज्यादा आबादी वाली नगरपालिकायें हैं उनको ५० प्रतिशत देना होगा और जो एक लाख से कम आबादी वाली हैं, उनको २५ प्रतिशत देना होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने मैला ढोने की इस प्रथा को समाप्त करने से पूर्व दूसरे प्रकार से मैला ढोने की व्यवस्था कर दी है, या उसके पहले ही सरकार उसको खत्म करने जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हर नगरपालिका को यह आदेश दिये गये हैं कि इसका इन्तजाम करें और सामान मुहइया करें। यह तो स्पष्ट है कि जब तक सामान मुहइया नहीं होगा, यह प्रथा समाप्त कैसे होगी? इसका इन्तजाम तो पहले करना ही होगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—उत्तर में यह कहा गया कि अनुदान दिया जा रहा है और कमिश्नर साहब के द्वारा व्यवस्था होगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि नगरपालिकायें तो इस अनुदान द्वारा अपने मेहतरों को गाड़ियां सप्लाई करेंगी, किन्तु जो प्राइवेट मेहतर हैं जो घरों में काम करते हैं, उनके लिये क्या व्यवस्था होगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कमिश्नर को जो लिखा गया है वह प्राइवेट मेहतरों के लिये ही लिखा गया है। जिन बाईलाज बनाने का जिक्र किया गया वह प्राइवेट मेहतरों के लिये ही किया गया है और उन्हीं के लिये कमिश्नरों को आदेश दिये गये हैं।

जो दूसरी बात है इस प्रश्न में, उसका जवाब यह है कि ग्रान्ट प्राइवेट मेहतरों के लिये भी हाथ गाड़ी और लम्बी झाड़ू वगैरह के इस्तेमाल करने के लिये है। इसमें जो खर्च होगा वह हाउस ओनर्स से भी वसूल किया जा सके, ऐसी भी सुविधा होगी।

(श्री अध्यक्ष द्वारा दूसरा प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, झारखंडेराय जी के साथ सवाल में मेरा भी नाम था, मुझे मौका नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—मैंने आप को देखा नहीं उठते हुए।

सम्भल नगरपालिका में गबन

**१७—श्री महमूद हुसैन खां (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह मालूम है कि फरवरी से अप्रैल, १९६१ तक नगरपालिका सम्भल का जो वार्षिक आडिट हुआ है, उसमें आडिटर ने वहां कई हजार रुपये का गबन पकड़ा है ? यदि हां, तो सरकार उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, वर्ष १९५९-६० के हिसाब में आडिटर ने एक हजार रुपये का गबन Transit Security Refund में पकड़ा था। इस सम्बन्ध में और जांच पड़ताल होने पर चार सौ रुपये का और गबन का पता चला, इस तरह से कुल १४ सौ रुपये का गबन निकला। यह कुल रुपया नगरपालिका फंड (Fund) में तत्काल जमा करा लिया गया है और चुंगी के तीन मुहर्रिर निलम्बित हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही जारी है।

सहायक इंजीनियर श्री परमानन्द गुप्त को स्थायी करने, स्विटजरलैंड भेजने एवं श्री अखिलचन्द्र मित्रा की पुर्नियुक्ति इंजीनियर-इन-चीफ के पद पर करने में अनियमितता के आरोप

**१८—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतायेगी कि सिंचाई विभाग के किसी सहायक इंजीनियर को उससे ज्येष्ठतर २७ सहायक इंजीनियरों को सुपरसीड कर स्थायी किया गया और इसी इंजीनियर को सरकारी खर्च पर विलायत भेजा गया ?

उद्योग उप मंत्री (श्री मलखानसिंह)—जी नहीं, यह सही नहीं है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है :

सन् १९५३ म प्रचलित प्रणाली के अनुसार सिंचाई विभाग में कुछ अस्थायी सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति हुई। इनमें एक श्री परमानन्द गुप्त भी थे। दिसम्बर, १९५७ में अन्य अस्थायी इंजीनियरों के साथ उनका भी स्थायी पद पर नियुक्ति के चुनाव का अवसर आया। रिक्त स्थायी पद ३२ थे और चुनाव में विचार किये जाने वाले सहायक इंजीनियरों की संख्या ४८ थी। श्री परमानन्द गुप्त और दो सहायक इंजीनियर, जो इनसे भी जूनियर थे, स्थायी नियुक्ति के लिये चुने गये। १४ सहायक इंजीनियर जो इनसे सीनियर थे चुनाव के योग्य नहीं पाये गये। यह कि जिन सीनियर सहायक इंजीनियरों का चुनाव नहीं हुआ वह ठीक ही था, इस बात से प्रमाणित होता है कि दिसम्बर, १९६० में तब स्थायी पदों के लिये फिर से चुनाव हुआ तो इसमें से १३ सहायक इंजीनियर फिर भी स्थायी पदों के लिये अयोग्य समझे गये।

स्विट्जरलैन्ड की सरकार ने भारत सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति (स्कालरशिप) के लिये भारतीय इंजीनियरों से १९५७ में प्रार्थनापत्र मांगा था। श्री परमानन्द गुप्त ने भी इस छात्रवृत्ति के लिये प्रार्थना-पत्र भेजा। वे इस छात्रवृत्ति के लिये चुनाव में सफल हुये और अध्ययन के लिये इस योजना के अन्तर्गत स्विट्जरलैन्ड गये। राज्य सरकार ने भारत सरकार को इस इंजीनियर को विदेशी छात्रवृत्ति दिये जाने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। जब भारत सरकार ने उन्हें विदेशी छात्रवृत्ति के लिये चुन लिया तो राज्य सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति उपयोग करने के लिये केवल अध्ययन का अवकाश स्वीकृत किया। बाहर के अध्ययन के खर्चे का भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ा।

ऊपर बताई गई बातों से यह स्पष्ट हो जाता हं कि यह सहायक इंजीनियर अपनी योग्यता के आधार पर स्थायी पद की नियुक्ति के लिये और इसी आधार पर विदेशी छात्रवृत्ति के लिये चुने गये ।

**१९—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह इंजीनियर एक वर्तमान मंत्रि-मंडल के सदस्य का निकट संबंधी है ?

श्री मलखान सिंह—यह सही है कि श्री परमानन्द गुप्त वर्तमान सिंचाई मंत्री के निकट संबंधी हैं । किन्तु प्रश्न १ के उत्तर में बताई गई बातों से स्पष्ट है कि इस संबंध के कारण इनके साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ ।

**२०—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग में किसी चीफ इंजीनियर को ६० वर्ष के उपरान्त भी नौकरी में रखा जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मलखान सिंह—जी हां। श्री अखिल चन्द्र मित्रा को सिंचाई विभाग में इंजीनियर-इन-चीफ के पद पर ६० वर्ष के उपरान्त भी नौकरी में रखा गया है । विशेष परिस्थितियों में किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकार ६० वर्ष के उपरान्त भी नौकरी में रख सकती है । जिन विशेष परिस्थितियों में श्री मित्रा की नौकरी जारी रखी गई है वे इस प्रकार हैं—

"श्री मित्रा चीफ इंजीनियर के पद पर पुर्नियुक्त होकर कार्य कर रहे थे जब सितम्बर, १९६० में वे रुड़की विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पद के लिये चुन लिये गये । श्री मित्रा इस नये पद पर जाना चाहते थे । इस पद पर उन्हें चीफ इंजीनियर के पद से अधिक आर्थिक लाभ भी था । किन्तु राज्य सरकार को तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कई बड़ी हाईड्रोइलेक्ट्रिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये ऐसे अनुभवी और योग्य इंजीनियर की आवश्यकता थी । इनमें बहुत सी योजनाओं का प्रारम्भिक कार्य इन्हीं की देख-रेख में हुआ था । इसलिये राज्य सरकार ने उन्हें रुड़की विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पद पर जाने नहीं दिया और ३१-३-१९६१ को पांच वर्ष के लिये इस विभाग में इंजीनियर-इन-चीफ के पद पर इनकी पुर्नियुक्ति कर दी । इनकी पुर्नियुक्ति का मुख्य कारण सार्वजनिक हित तथा इनकी योग्यता है जो सारे भारतवर्ष में इंजीनियरों के बीच में ऊंचा स्थान रखती है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—प्वाइंट आफ आर्डर सर, व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, अठारहवें सवाल में न तो कोई डेट दी गयी है, न कुछ दिया हुआ है कि यह कब की बात है । हम जब सवाल देते हैं तो पूछा जाता है कि यह कब की बात है, लेकिन इसमें कुछ पता नहीं कि कब की बात है । तो कैसे जान लिया कि यह फलां इंजीनियर से सबंधित है जब कि नाम तक नहीं दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—इसमें प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ? आपका नुक्सान तो नहीं हुआ अगर उन्होंने जान लिया ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—हमारे सवाल को तो विभाग अस्वीकार कर देता है, यह कैसे स्वीकार कर लिया ?

श्री अध्यक्ष—मेरे पास इस तरह के और भी सवाल आये थे जो किसी को आड़ में लेकर पूछे गये थे और क्योंकि वे निश्चित नहीं थे इसलिये उनको अस्वीकार कर दिया गया था । किसी पैम्फलेट के आधार पर अगर कोई प्रश्न पूछा जाय तो हम उसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन यदि कोई सदस्य अपनी जिम्मेदारी पर कोई सवाल करता है तो मैं उसकी इजाजत दे देता हूं । उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर सवाल किया इसलिये इजाजत मिल गयी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी विष्ट जी ने जो यह बात कही उसमें तथ्य है। यह प्रश्न आपके दफ्तर से एलाऊ किया गया है और उसमें विशेषता यह है कि उसमें न तो तिथि है और न वह स्पष्ट ही है। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि वे अस्पष्ट हैं, अनिश्चित हैं, लेकिन इसको एलाउ कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—आप चाहते हैं कि मैं इसको स्वीकार न करता ? सदन के सामने कोई चीज स्पष्ट हो जाय उसमें आपको क्या एतराज है ? सरकार ही उसमें आक्षेप कर सकती है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—लेकिन हमारे प्रश्न को तो इसीलिये डिसएलाउ किया जाता है, मैं उसका एक उदाहरण पेश कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—यह बात नहीं है।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि परमानन्द गुप्त और कई इंजीनियरों को किस अधिकारी ने स्थायी किया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—स्थायी करने के लिये एक सेलेक्शन कमेटी बैठती है जिसमें नहर विभाग का चीफ इंजीनियर होता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग का चीफ इंजीनियर होता है और एक और इंजीनियर होता है। जब भी कभी नीचे के अधिकारियों को स्थायी करने का प्रश्न आता है, ये तीनों इंजीनियर्स बैठते हैं तथा उनके करेक्टर रोल इत्यादि को देखकर उनके स्थायी करने के प्रश्न का निर्णय करते हैं तथा उस निर्णय के अनुसार सरकार को सिफारिश करते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सेलेक्शन कमेटी में, जिसने स्थायी किया है, मित्रा साहब चीफ इंजीनियर भी बैठे थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, शायद उसमें मित्रा साहब भी थे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि खटीमा पावर हाउस को बनाने वाली इंग्लिश इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बारे में सादिक हुसेन कमेटी ने यह कहा था कि उसने यह काम बिलकुल खराब बनाया है इसलिये इस कंपनी को कोई ठेका नहीं दिया जाना चाहिये लेकिन उसी कंपनी को मित्रा साहब चीफ इंजीनियर ने रिहन्द का ठेका दे दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मित्रा इंजीनियर देश के उन इंजीनियरों में से हैं जिनका आदर न केवल यही सरकार करती है केंद्रीय सरकार भी करती है। जो बड़ी-बड़ी योजनायें केन्द्रीय सरकार के द्वारा चलायी जाती हैं और बड़ी-बड़ी इंक्वायरीज जो प्रोजेक्ट्स के बारे में बैठती हैं उनमें केंद्रीय सरकार उनको नियुक्त करती है और उन्हें सम्मान प्रदान करती है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इंग्लिश इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जिसको खटीमा पावर हाउस का ठेका दिया गया उसके विरुद्ध लोक लेखा समिति ने काफी मोटी किताब छापी है तथा सादिक हुसेन कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह बात कही कि इसको कोई ठेका न दिया जाय लेकिन मित्रा साहब ने फिर भी उसको रिहन्द डैम का ठेका दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री मित्रा इस कंपनी को ठेका देने में थे या नहीं, इसके लिये माननीय सदस्य यदि नोटिस देंगे तो मैं उसको बता सकूंगा क्योंकि मैंने उस विषय में अध्ययन नहीं किया है इसलिये नहीं कह सकता कि जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह सही है या नहीं।

श्री राजनारायण—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये २७ इंजीनियर उनसे ज्येष्ठ थे या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर में १४ के सुपरसेशन की बात कही, न कि २७ की ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मुख्य मंत्री ने लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जो खटीमा पावर हाउस और इंग्लिश इलैक्ट्रिक कम्पनी के संबंध में है और सिद्दीक हसन कमेटी की रिपोर्ट देखी है ? अगर नहीं, तो क्या वह देखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बहुत सी चीजें ४,६ साल में मेरे पीछे हुई हैं। सबका अध्ययन तो मैंने नहीं किया । मैं अवश्य रिपोर्ट को देखने की चेष्टा करूंगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह रिपोर्ट आफीशियल है और सरकार से आशा की जाती है कि वह उसे देखती ।

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । उन्होंने सच्ची बात कह दी ।

श्री गौरीशंकर राय—सिंचाई विभाग में इंजीनियरों के स्थायी करने का क्या मापदंड है, एफीशेंसी या सीनियारिटी ? क्या परम्परा है, और, यह सुपरसैशन उसके विपरीत तो नहीं था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सीनियारिटी भी है सब्जेक्ट टू रिजैक्शन आफ दि अनफिट (subject to rejection of the unfit) ।

श्री अध्यक्ष—इसका अनुवाद कर दें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकारी विज्ञप्ति के शब्दों को मैंने दोहरा दिया । यानी, ज्येष्ठता भी और उसके साथ यदि कोई व्यक्ति अयोग्य है तो उसे रिजेक्ट भी कर देते हैं ।

श्री मदन पांडेय—इस बात को देखते हुये कि पदोन्नति विवादास्पद हो चुकी है और सदन में भी प्रश्न उठ चुके हैं, क्या मुख्य मंत्री एक जांच कमेटी बैठावेंगे जिसमें एक एम०एल०ए० विरोध पक्ष का और एक सरकारी पक्ष का भी हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—मित्रा साहब रुड़की में क्या वेतन पाते और यहां क्या वेतन पा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दोनों जगह वेतन ३,००० रुपया है मगर रुड़की में ४०० रुपये का फ़्री हाउस भी था, जो यहां नहीं मिलेगा ।

श्री झारखंडे राय—जब श्री मित्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही थी, उस समय उन्हीं के करीब, समकक्ष, कई और इंजीनियरों के बारे में भी विचार हुआ था ? यदि हां, तो उनमें कितनों का कार्यकाल बढ़ाया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सिर्फ इन्हीं का विषय उठा था, जिसके लिये मेरी जिम्मेदारी है । यही वह इंजीनियर हैं जिन्होंने बहुत सी योजनायें सम्पादित कीं और उनकी रूपरेखा बनाई । तृतीय पंचवर्षीय योजना में १०७ करोड़ रुपये की योजनायें हम सम्पादित करने वाले हैं, उनकी भी रूपरेखा लिखने वाले यही हैं । तृतीय योजना में हमें बिजली का उत्पादन बढ़ाना है, तो हमने सोचा कि ऐसे इंजीनियर को अपने बीच में रखना चाहिये जो तजुर्बेकार हो और देश के अन्य इंजीनियरों में ऊंचा स्थान रखता हो । इसलिये सरकार ने आग्रह किया कि विश्वविद्यालय में जाने के बजाय वह विभाग में ही अपने अनुभव को दें ।

श्री गौरीशंकर राय—मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि एक्सटेंशन देने का सरकार का विचार था या मित्रा साहब ने दरख्वास्त दी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मित्रा साहब ने हरगिज नहीं दी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन, श्री बी०बी० लाल, ने इस ओर ध्यान आमंत्रित किया था कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। एक दूसरा व्यक्ति जो वाइस चांसलर के लिये दूसरे नम्बर पर था उसके लिये उन्होंने कहा कि वह अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और उसे विश्वविद्यालय भेजकर मित्रा साहब को यहीं रखना चाहिये।

जरवल रोड चीनी मिल पर से कुर्की का आदेश वापस लेना

**२१—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि जिलाधीश बहराइच ने इस वर्ष किसी चीनी मिल का माल उस समय तक के लिये कब्जे में ले लिया था जब तक कि मिल किसानों का बकाया रुपया न दे दे ?

श्री मलखान सिंह—जिलाधीश बहराइच ने इस वर्ष मार्च में जरवल रोड चीनी मिल के चीनी का स्टाक किसानों के गन्ने के बकाया रुपये के भुगतान न होने के कारण कुर्की का आदेश जारी कर दिया था।

**२२—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप से बिना वसूली के ही यह माल छोड़ दिया गया ?

श्री मलखान सिंह—कुर्की का आदेश तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार वांछनीय नहीं था। चीनी का उतना ही स्टाक बेचा जा सकता था जितने की बिक्री की अनुमति समय समय पर केंद्र से प्राप्त होती थी। इसलिये कुर्की करके स्टाक बेचा नहीं जा सकता था। इसके अलावा माल की बिक्री न होने के कारण सभी मिलों में माल अधिक मात्रा में एकत्रित था। कुर्की करने से मिल के बन्द हो जाने की संभावना उत्पन्न हो सकती थी। इससे किसानों का बिना पिरा हुआ बहुत गन्ना बच जाता और उनका नुकसान होता। इस पृष्ठभूमि में मिल मालिकों को किसानों का बकाया रुपया यथासंभव अधिक मात्रा में देने के लिये चेतावनी देकर जिलाधीश को कुर्की का आदेश हटा लेने को कह दिया गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कुर्की के आदेश वांछनीय नहीं थे तो रिकवरी सर्टीफीकेट ईश्यू करने की क्या जरूरत थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रिकवरी सर्टीफिकेट केन कमिश्नर के दफ्तर का था। जब हमारे उद्योग सचिव का ध्यान इस ओर आमंत्रित किया गया तो केंद्रीय सरकार की नीति के अनुसार, जिसके आदेश उसने प्रदेशीय सरकार को दे रखे थे, उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस प्रकार का आदेश न दिया जाय जिससे मिल के माल की कुर्की हो क्योंकि इससे न तो किसानों का लाभ हो सकता है और न उनका जिनका गन्ना बिना पेरा पड़ा है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि बहराइच के किसानों का बहुत सा रुपया जरवल रोड चीनी मिल पर था, न्याय मंत्री का क्षेत्र होने से वह वहां गये और उनके कहने से जब मिल मालिकों ने मुख्य मंत्री जी से कहा तो उन्होंने आदेश वापस कराये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुख्य मंत्री इस प्रदेश के उद्योग मंत्री भी हैं और सब मंत्रियों के मुख्य मंत्री भी हैं। वह संतुलन करते हैं कि क्या व्यवस्था होनी चाहिये। किसी माननीय मंत्री के क्षेत्र की कोई बात हो और केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकार की नीति भिन्न हो तो मुख्य मंत्री निर्णय करते हैं कि क्या नीति बरतनी है।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा कि वे मंत्रियों के भी मुख्य मंत्री हैं, पूंजीपतियों के भी मुख्य मंत्री हैं और हमारे भी मुख्य मंत्री हैं, यह तो सत्य है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि श्री हुकुम सिंह जी ने ऐसा हुक्म दिया था और उन्हीं के कहने से यह ऐक्शन लिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह बात सत्य नहीं है क्योंकि उन्हीं के सामने जितने कागजात थे और जो केन्द्रीय सरकार की नीति थी, वे भेजे गये। अवश्य उनका यह सुझाव था कि इस व्यवस्था से कार्य होना चाहिये, परन्तु जब उनका ध्यान केन्द्रीय सरकार की नीति की तरफ आमन्त्रित किया गया और जो व्यवस्था उनको बतलायी गयी कि सारी मिलों में यह दिक्कत है, तब उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की और फिर कोई दूसरा सुझाव उन्होंने इस बारे में नहीं दिया ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

प्रारम्भिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को वेतन देर से मिलने की शिकायत

* १—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) तथा श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के क्रम में कृपा कर बतायेंगे कि गत एक वर्ष के भीतर किस जिले ने कितने अध्यापकों का वेतन ठीक समय से दे दिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गत एक वर्ष के भीतर जिन जिलों में जितने प्रारम्भिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को वेतन तथा मंहगाई भत्ता ठीक समय से दिया गया है उनका विवरण अनुसूची १ में है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९५०–९५१ पर)

* २—श्री गेंदासिंह तथा श्री रामायणराय—जिस जिले में एक महीने से अधिक वेतन बकाया रहा है उसका कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिस जिले में एक महीने से अधिक वेतन बकाया रहा उसका विवरण अनुसूची २ में है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९५०–९५१ पर)

* ३—श्री गेंदासिंह तथा श्री रामायणराय—क्या सरकार बकाया रकम का अधिक सूद दिलाने की कोई व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

* १–२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[हटा दिये गये।]

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

वाराणसी डी० सी० डी० एफ० डाइरेक्टर व कर्मचारियों पर बकाया

*३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी डी० सी० डी० एफ० की कितने रुपये की पूंजी इस वक्त है और वह किन-किन कार्यों में लगी हुई है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—३१ मार्च, १९६१ को ७,१५,२५२ रु० की कार्यरत पूंजी थी। यह पूंजी फेडरेशन के विभिन्न व्यवसायों जैसे भट्टा, सीमेंट, जंगल, राशन, कोयला, इत्यादि, सहकारी संस्थाओं में जमानत, भवन, भूमि तथा वाहन में व्यय के रूप में लगी है।

*४—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५० से लेकर अब तक कितना रुपया लोगों पर बकाया है ? क्या उनमें से कुछ फेडरेशन के डाइरेक्टर तथा कर्मचारी भी हैं ? यदि हां, तो उन पर कितना-कितना रुपया बाकी है ?

श्री मंगला प्रसाद—कुल बकाये की धनराशि १३,३४,२६२ रु० ४६ नये पैसे है। फेडरेशन के डाइरेक्टरों पर १६, ५४७ रु० १४ नये पैसे और कर्मचारियों पर ५७,९२४ रु० १६ नये पैसे बकाया है।

*५—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[हटा दिया गया।]

अलीगढ़ जिले में सहकारी नलकूप

*६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में सहकारी नलकूप कितने हैं और उनमें से कितने चल रहे हैं ?

*७—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सब पर जनता का कितना व्यय हुआ है और सहकारिता विभाग ने कितनी सहायता दी है तथा इनका निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था ?

*८—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन नलकूपों को शासन द्वारा अपने कब्जे में लेने की योजना कई वर्षों से चल रही है फिर भी वे सब के सब अभी तक किन कारणों से नहीं लिये गये ? अब कब तक अवश्य सरकार उन्हें ले सकेगी ?

श्री मंगलाप्रसाद—सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला परिषद् जालौन में आर्थिक गोलमाल

*९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार के पास अन्तरिम जिला परिषद् जिला जालौन के संबंध में अभी हाल ही में इस आशय की शिकायतें आई हैं कि उसमें स्टेशनरी तथा अन्य वस्तुओं की सप्लाई में लगभग ३० हजार रुपये का गोलमाल है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। शिकायत जिलाधीश जालौन के पास आई थी।

*१०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहां के जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त शिकायतों के संबंध में परिषद् के चीफ इक्जीक्यूटिव अफसर को जांच करने के लिये नियुक्त किया था ? यदि हां, तो उनकी जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। जिलाधीश ने चीफ इक्जीक्यूटिव आफिसर, सेक्रेटरी एवं उप विद्यालय निरीक्षक की एक समिति जांच के लिये नियुक्त की। परिषद् के संबंधित लिपिक (क्लर्क) दोषी ठहराये गये। उन्हें निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही आरम्भ की गयी।

जिला बोर्ड अलीगढ़ के विरुद्ध श्री झम्मन सिंह की शिकायतें

*११—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री झम्मन सिंह, सदस्य, अन्तरिम जिला परिषद्, द्वारा जिलाधीश के नाम जिला बोर्ड, अलीगढ़ के बारे में गम्भीर शिकायतों के पत्र की प्रतिलिपि मेरे पत्र दिनांक २३ मई, १९६१ के साथ मिली? अगर हां, तो मुख्य शिकायतें क्या थीं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिला सहकारी बैंक व फेडरेशन सम्बन्धी रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट

*१२—श्री मदन पांडेय—क्या यह सही है कि गोरखपुर के जिला सहकारी बैंक व जिला सहकारी फेडरेशन के गोलमाल व गड़बड़ियों तथा अव्यवस्था के बारे में Reserve Bank of India के अफसरों ने १९६०-६१ तथा १९६१-६२ और हाल में भी कोई रिपोर्ट Registrar Co-operative Societies, U, P. Lucknow को दी है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त रिपोर्ट पर Registrar सहकारिता की ओर से कौन-सी कार्यवाही हो रही है तथा उस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

श्री मंगलाप्रसाद—सहकारी वर्ष १९६०-६१ में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिस पर निबन्धक सहकारी समितियां आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। चूंकि यह रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की रिपोर्ट गोपनीय है इसलिये इस रिपोर्ट की मुख्य बातें सदन के सामने रखना उचित न होगा।

सहकारी वर्ष १९६१-६२ में अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

भोगांव तहसील के पंचायत मंत्री

*१३—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव में ऐसे पंचायत मंत्री कितने हैं जो कि अपने निवास स्थान के ही क्षेत्र में हैं और वह वहां कब से हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव में कोई पंचायत मंत्री अपने निवास स्थान के ही क्षेत्र में नहीं है।

[२१ अगस्त, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—३—श्री मदन पांडेय—[२८ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—[२२ अगस्त, १९६१ के लिये प्रश्न २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५-६—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[२८ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले में पंचायत चुनाव सम्बन्धी शिकायतें

*७—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६१ ई० के जनवरी तथा फरवरी मास में हुये पंचायत चुनाव के संबंध में किन-किन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध जिला अधिकारियों के पास नामजदगी के पर्चे गलत ढंग से खारिज किये जाने की शिकायत के अतिरिक्त अन्य किन-किन स्कीमों की शिकायतें गोरखपुर जिले में प्राप्त हुईं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गोरखपुर जिले में नामजदगी के पर्चे गलत ढंग से खारिज किये जाने के अतिरिक्त २० अन्य प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुईं। अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों में मुख्यतया पंचायत मंत्री, अध्यापकगण जो मतदान अध्यक्ष थे, के अतिरिक्त १ सहायक विकास अधिकारी तथा २ पंचायत निरीक्षक भी सम्मिलित हैं। अधिकांश शिकायतें मुख्यतया रजिस्टर भाग २ में गलत ढंग से नाम दर्ज किये जाने तथा काट दिये जाने के संबंध में थीं।

*८—श्री अमरनाथ—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार जांच कराई गई तथा इनमें से ४ पंचायत मंत्रियों को, जो दोषी पाये गये, दंडित किया गया।

आजमगढ़ नगरपालिका द्वारा निर्मित क्वार्टर

*९—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई सन् १९६० में नगरपालिका आजमगढ़ ने ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकृत किया था कि नगरपालिका द्वारा निम्न कर्मचारियों के लिये बनाये क्वार्टरों में रहने के लिये नगरपालिका के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। आजमगढ़ नगरपालिका ने २६ जुलाई, १९६० को वह प्रस्ताव पारित किया कि नगरपालिका द्वारा बनाये गये क्वार्टर पहले नगरपालिका कर्मचारियों को दिये जायं तथा उनसे बचने पर दूसरे लोगों को।

*१०—श्री विश्रामराय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय— स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त प्रस्ताव का पालन नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् ५ क्वार्टर रिक्त हुये जिनमें से ४ नगरपालिका कर्मचारियों को दिये गये।

*११—श्री विश्रामराय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका द्वारा निर्मित भवना को प्राप्त करने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र नगरपालिका में काम करने वाले निम्न कर्मचारियों के कितने वर्षों से पड़े हुए हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ नगरपालिका ने १५ मकान बनाये हैं, जिनमें से ४ पहले ही नगरपालिका कर्मचारियों को दिये जा चुके हैं। शेष ११ के लिये ११ प्रार्थना-पत्र आये थे। उनमें से ४ उक्त प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् पालिका कर्मचारियों को दिये गये। अब केवल ७ प्रार्थना-पत्र पड़े हैं।

*१२-१३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—[२८ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद में एल०एस०जी०ई०डी० विभाग द्वारा निर्मित नाला

*१४—श्री कैलाशनारायण गुप्त—जवाहरलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद के पर्वोत्तर रेलवे पुल तथा ग्रान्ड ट्रंक रोड की क्रासिंग तक जो नाला है, वह क्या एल० एस० जी० ई० डी० विभाग द्वारा बनाया गया है ? यदि हां, तो कब और उसकी इस समय क्या हालत है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। उस नाले का निर्माण १९५८ में हुआ था। इस नाले की लम्बाई २०,००० फुट है, जिसमें से केवल १०० फुट के टुकड़े में दो स्थानों पर बरसात के कारण खराबी आ गई है, एक जगह ईंटों की पिचिंग बैठ गई है, और दूसरी जगह तालाब के पास नाले के दोनों तरफ पानी भर जाने के कारण नाले के नीचे की मिट्टी बैठ गई है। शेष भाग सब ठीक है।

*१५—श्री कैलाशनारायण गुप्त—क्या यह सही है कि सम्पूर्ण नाले और उस पर जितनी भी पुलियां बनी हुई हैं उनकी बुनियाद की चुनाई मिट्टी के गारे द्वारा की गई है ? यदि हां, तो क्या गवर्नमेंन्ट कृपा करके जांच करेगी कि ऐसा क्यों किया गया और क्या Original Estimate में ऐसी ही व्यवस्था की गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद की जल निकासी योजना पर व्यय

*१६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद महापालिका में जो सीवर बनाया जा रहा है उसमें कितना धन अब तक व्यय हो चुका है तथा कितना धन व्यय होने की योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इलाहाबाद नगर की विस्तृत जल निकासी योजना (comprehensive drainage scheme) की अनुमानित लागत ८०,७७,४५३ रुपया है। परन्तु यह व्यय कई phases में किया जायगा और एक-एक कर के इन phases में यह योजना धीरे-धीरे आगामी वर्षों में पूरी की जायगी। जुलाई' १९६१ तक कुल २८,५४,६०० रुपया व्यय हो चुका है और एक phase पूरा हो गया है। इस वर्ष लगभग ७ लाख रुपया और खर्च करने की योजना है। तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में कुल २४,२९,००० रु० खर्च करने की योजना है, जिससे पहले दो phases पूरे हो जायेंगे। योजना का बाकी भाग आगे के वर्षों में लिया जायगा।

ग्राम सभा, रसूलपुर के प्रधान का चुनाव अनियमित घोषित होना

*१७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—विधान सभा के १ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १,२ तथा ३ के लिखित उत्तर के क्रम में क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच परगनाधीश, सिधौली ने विधिवत् की, उसमें यह भी पाया गया कि अवैध मत-पत्र जब मत पेटिका से निकाले गये तो उन पर किसी उम्मीदवार को प्राप्त मतों के खाली खाने में दूसरी रोशनाई की छाप (मोहर) लगी हुई थी ? यदि हां, तो ऐसे अवैध मतों की संख्या क्या है और जांच में परगनाधीश ने इस भारी अनियमितता के लिये किसका उत्तरदायित्व निश्चित किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—परगनाधीश सिधौली द्वारा जांच की गई और जांच के समय समस्त चुनाव संबंधी पत्रादि लिफाफों में बन्द थे तथा उन पर सील लगी हुई थी। यह सील किये हुये लिफाफे पंचायतराज रूल्स के नियम "२१-न" के अन्तर्गत नहीं खोले जा सकते थे। अतः लिफाफों के न खुलने के फलस्वरूप यह सिद्ध नहीं हो पाया कि उम्मीदवार को प्राप्त मत पत्रों के खाली खाने में दूसरी रोशनाई की छाप (मुहर) लगी हुई थी या नहीं, और न यही सिद्ध हो पाया कि दोषी कौन है।

बस्ती नगरपालिका में आर्थिक गोलमाल की शिकायत

*१८—श्री अमरनाथ—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड के एक सदस्य द्वारा गत १९ अप्रैल, १९६० को लिखा गया पत्र स्वशासन मंत्री को प्राप्त हुआ है जिसमें बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड की आर्थिक गोलमाल का जिक्र किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में की गई कार्यवाही सदन के सम्मुख रखेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्री कृष्ण कुमार, सदस्य, नगरपालिका बस्ती ने शिकायती पत्र भेजा था जिसमें आर्थिक गोलमाल का भी उल्लेख है। इसकी जांच जिलाधीश बस्ती द्वारा हुई। कुछ आरोप निराधार सिद्ध हुये और कुछ आरोपों की जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

*१९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—[२८ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*२०—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—[२८ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

उन्नाव जिले के लिये सहकारी कृषि सम्बन्धी पाइलट योजना

*२१—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने सहकारी कृषि के संबंध में कोई पाइलट योजना उन्नाव में चालू करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कितना धन व्यय करने का निश्चय किया गया है?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां।

इस योजना की मुख्य मुख्य-बातों तथा उस योजना पर होने वाले व्यय का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९५२ पर)

*२२—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पाइलट योजना किस सहकारी फार्म पर खोलने का निश्चय किया गया है?

श्री मंगलाप्रसाद—पाइलट योजना किसी एक सहकारी कृषि फार्म पर नहीं खोली जायेगी, बल्कि एक जिले के अन्दर एक ब्लाक में एक पाइलाट योजना होगी और पाईलट योजना के अन्तर्गत दस सहकारी कृषि समितियां निर्मित की जायेंगी। उन्नाव जिले में नवाबगंज ब्लाक के पाइलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत १० सहकारी कृषि समितियों के निर्माण के लिये निम्नलिखित १२ गांव परीक्षार्थ चुने गये है:

१—नवाबगंज
२—महनौरा
३—सरायजोगा

४—मखदूमपुर
५—सरौती
६—आशा खेड़ा
७—कुंजपुर
८—पाली छिछोला
९—गौरा
१०—मकूर
११—मरौचा
१२—मिर्जापुर

*२३-२४—श्री त्रिलोकीसिंह—[२८ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५-२६—श्री ऊदल—[७ सितम्बर, १९६१ के लिये प्रश्न २४-२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग

*२७—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार को यू०पी० जिला परिषद् इंजीनियर्स एसोसियेशन के २२ जनवरी, १९६१ को लखनऊ में हुये वार्षिक अधिवेशन में पारित प्रस्तावों की नकल मिली है जिसमें राजकीय कर्मचारियों को दिये गये डी०ए० के बराबर ही स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को भी डी०ए० दिये जाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, इसका प्रश्न नहीं उठता ।

*२८-२९—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[२८ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३०-३१—श्री रामायणराय—[२८ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३२—श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—[२३ अगस्त, १९६१ के लिये प्रश्न ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मार्टिन पुरवा, लखनऊ में भवनों के पुनर्निर्माण के लिये नक्शा पास कराने की आवश्यकता

*३३—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्टिन पुरवा, शहर लखनऊ में गत बाढ़ से गिरे हुये मकानों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण रोकने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मार्टिन पुरवा, लखनऊ में मकानों की मरम्मत रोकने का कोई आदेश नहीं दिया गया ।

नगर महापालिका द्वारा यहां के निवासियों को यह सूचित कर दिया गया था कि भवनों के पुनर्निर्माण करने की स्वीकृति तभी दी जा सकती है जबकि वे पूर्ण रूप से नक्शा महापालिका में अधिनियम के अनुसार स्वीकृति के हेतु प्रस्तुत करें। मरम्मत के लिये महापालिका की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है ।

*३४—श्री लक्ष्मण राव कदम—[२८ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*३५—श्री ऊदल—[२८ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किया गया] ।

नगरपालिका कर्मचारियों को पेंशन देने की मांग

*३६—श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० म्युनिसिपल इम्लाइज एसोसियेशन, इलाहाबाद का एक डेपुटेशन म्युनिसिपल इम्प्लाइज की पेंशन के बारे में भूत पूर्व मुख्य मंत्री, डा० सम्पूर्णानन्द से १९५७ में मिला था ? यदि हां, तो उक्त शिष्ट मंडल द्वारा रखी गई मांगों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। म्युनिसिपल कर्मचारियों को पेंशन दिये जाने के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त पेंशन योजना के आर्थिक भार एवं नगरपालिकाओं की असंतोषजनक आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुये योजना को उपयुक्त समय के लिये स्थगित कर दिया गया है तथा यू० पी० म्युनिसिपल सर्विस एसोसियेशन, इलाहाबाद को ऐसा ही सूचित कर दिया गया है।

*३७—कुंवर श्रीपालसिंह—[२८ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पेय जल योजना

*३८—श्री मुक्तिनाथराय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कोई जल योजना है ? यदि हां, तो उस योजना की रूप-रेखा क्या है और कितना धन इस योजना के निमित्त रखा गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। तृतीय योजना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था राष्ट्रीय पेय जल योजना तथा सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत होगी। पहली योजना के अन्तर्गत पहाड़ी जिलों के केवल उन क्षेत्रों में ही जल की व्यवस्था की जायेगी, जहां कुछ गांवों के समह को जल के एक स्रोत से जल वितरण हो सके और जहां के ग्रामवासी २५ प्रतिशत अंशदान देने को तत्पर हों। इसके लिये तृतीय आयोजना काल में २७ लाख रु० की धनराशि निर्धारित की गई है। दूसरी योजना के अन्तर्गत उन गांवों में जल की व्यवस्था की जा सकती है जहां के निवासी ५० प्रतिशत अंशदान दे सकें और प्रत्येक गांव की योजना की अनुमानित लागत १०,००० रु० से अधिक न हो। इसके अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि मिलेगी, इसका अभी निश्चय नहीं हुआ है। परन्तु इस साल के लिये ८९ लाख रुपया स्वीकृत हुआ है।

पंचायत मंत्रियों से संबंधित स्थानान्तरण नीति पर विचार

*३९—श्री मुक्तिनाथराय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत मंत्रियों का जो सामूहिक स्थानान्तरण उनके घर से २५ मील दूर कर दिया गया है, उसके बारे में इधर सरकार को सुझाव दिया गया है कि घर से २५ मील दूर रखने का आदेश असमाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। पंचायत मंत्रियों के स्थानान्तरण के संबंध में निश्चित नीति निर्धारित करने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

*४०—श्री मुक्तिनाथराय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिषद् की सड़कों के निर्माण निमित्त इस वित्तीय वर्ष में कितना-कितना धन प्रत्येक जिले को दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस वित्तीय वर्ष में परिषदों को सड़कों के निर्माण निमित्त अभी कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, मैं प्रश्नों के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने एक प्रश्न सीतापुर का नया पुल जो टूट गया है, उस संबंध में दिया था। उसी पुल के द्वारा बरेली से शाहजहांपुर व हरदोई से नैमिषारण्य मिसरिख का संबंध होता है...

श्री अध्यक्ष—उसके लिये तो आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—श्रीमन्, इसके लिये तो आपने ११ तारीख को ही कह दिया था कि वह आ जायगा।

श्री अध्यक्ष—वह तो मैं कागज देख कर ही बतला सकता हूं।

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा—श्रीमन्, मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि वे इंजीनियर साहब तरक्की पर जा रहे हैं, तो उनके जाने के पहले जवाब मिल जायगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये आप मेरे कमरे में आकर मिल लें।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—श्रीमन, मैं प्रश्नों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। एक तो ऐसे ही मेरा प्रश्न बहुत कम आता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक प्रश्न आज आया भी था तो वह आखिर में ३६ नम्बर पर आया। कभी तो ऐसा होता है कि थोड़े से प्रश्न ही लिये जाते हैं और कभी ज्यादा प्रश्न लिये जाते हैं। आज २२ अल्पसूचित प्रश्नों में ही सब समय समाप्त हो गया और मेरा प्रश्न जो बहुत ही आवश्यक था, नहीं आ सका। तो अब उसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—आपको उसका जवाब तो मिल गया है न ?

श्री नन्द राम—लेकिन उससे संतोष नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अगर आप अनुपूरक प्रश्न करना चाहते हैं तो दूसरा सवाल आप भेज दें, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, प्रश्नों के संबंध में मुझे एक बात कहनी है। मेरे कुछ प्रश्न ऐसे थे जो अगले सत्र में स्वीकार किये गये थे, लेकिन इस सत्र के लिये जो नोटिस मेरे पास भेजी गयी है उसमें लिखा हुआ है कि पहले सत्र में तो आपके प्रश्न स्वीकृत हुये थे, लेकिन इस सत्र में अस्वीकृत हो गये हैं। तो मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि जो प्रश्न अगले सत्र में स्वीकृत हो गये थे, वे इस सत्र में अस्वीकृत कर दिये गये ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो मैं दफ्तर के कागज देख कर ही दे सकता हूं, ऐसे नहीं दे सकता हूं।

अब सचिव, विधान सभा, सदन को कुछ सूचनायें देंगे।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—मैं आपकी अनुमति से सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १७ अगस्त, १९६१ की बैठक में श्री राजाराम शास्त्री, सभापति, संयुक्त प्रवर समिति, का प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६०, पर संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि ३१ अक्तूबर, १९६१, तक बढ़ा दी जाय, परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ९६ के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५५ के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना देता हूं—

"सन् १९६१ ई० का यू०पी० फैमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, जो विधान सभा द्वारा १ अगस्त, १९६१ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के १९ अगस्त, १९६१ को वापस प्राप्त हो गया है।"

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव विधान सभा—मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५१ के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना देता हूं—

"सन् १९६१ मोटर का वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, जो विधान सभा द्वारा ३१ जुलाई, १९६१ को पारित किया गया था, विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के १९ अगस्त, १९६१ को वापस प्राप्त हो गया है।"

श्री बनारसी दास गौड़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में २ प्रश्न श्री टम्बरेश्वर प्रसाद तथा श्री गोविन्द सिंह विष्ट ने दिये हैं, वह उन्होंने एक किताब के आधार पर दिये हैं कि उसमें अध्यक्ष के ऊपर टीका-टिप्पणी की गई है श्री बनारसी दास जी गौड़ द्वारा। मैं उसको देख लूंगा और फिर किसी दूसरे दिन इस पर निर्णय लूंगा।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अब की बार इसमें एक माननीय सदस्य का पता भी दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—वह तो आप ने किताब दी ही है, मैं उसमें सब पढ़कर देख लूंगा।

इतना मैं निवेदन कर दूं कि ऐसे जो प्रश्न हैं वे नियमतः सेक्रेटरी के पास जाने चाहिये, लेकिन आप ने सीधे अध्यक्ष को ऐड्रेस कर के दिये हैं। इस पर आपत्ति हो सकती है कि वह सेक्रेटरी को नहीं दिये गये, लेकिन इस बार तो मैं इनको लिये लेता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मैं जान सकता हूं कि यह पुस्तक जो हम लोगों को कमरे में मिली है, वह आप तक भी पहुंची है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री टम्बरेश्वर प्रसाद ने किताब भेजी है, मैं अभी उसको देखना चाहता हूं।

कार्य, स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—कार्य स्थगन प्रस्ताव मैंने कोई स्वीकार नहीं किये हैं लेकिन नियम ५२ में एक विषय बरेली के सम्बन्ध में जो है वह स्वीकार किया है जो कि सब जगह अखबारों में छपा है। इस सम्बन्ध में श्री गोविन्द सिंह विष्ट, श्री झारखंडे राय, श्री भोखालाल, श्री प्रताप सिंह और श्री नारायणदत्त तिवारी आदि ने अलग अलग दिये हैं.....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मेरा नाम नहीं है, श्रीमन्?

श्री अध्यक्ष—आपका भी है। बाकी सब ने टाइप करा के दिया है, आपने हाथ से ही लिख कर दिया है, ज्यादातर तो आप भी टाइप करा के ही भेजते हैं।

श्री राजनारायण—मैंने समझा कि हाथ से लिखने से ज्यादा प्रभाव होगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा भी तो नियम ५२ का था, श्री झारखंडे राय और फलाने राय का तो रोज लिया ही जाता है। पच्छिमी जिले—आगरा, अलीगढ़, मथुरा बरबाद हो गये, किसानों के मकानों का पता नहीं, कहां गये, मवेशी बह गये, जो बचे उनके लिये चारा नहीं है, दब कर स्त्री बच्चे मरे जा रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप का प्रस्ताव तो ले लिया गया है।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं आप के द्वारा अर्ज कर रहा हूं श्रीमन्, पच्छिमी जिलों में सारा माल का सफाया हो गया वहां त्राहि-त्राहि हो रही है, सैकड़ों आदमियों का पता नहीं....

श्री अध्यक्ष—आप का २४ को लिया जायगा।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं जब भी बोलता हूं आप मुझे क्यों रोकते.....

श्री अध्यक्ष—श्री गौरीशंकर राय जी, आप उनको छेड़िये नहीं।

श्री टीकाराम पुजारी—(एक सदस्य से) श्रीमन्, पच्छिमी जिलों में त्राहि त्राहि मची हुई है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा जिले बरबाद हो गये, सैकड़ों मवेशी और आदमी मर गये, पशुओं के लिये चारा नहीं है.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के बैठें वरना मुझे आप को सदन छोड़ने के लिये कहना पड़ेगा।

(श्री पुजारी के बैठने पर)

श्री अध्यक्ष—यह मथुरा वगैरह की बाढ़ के सम्बन्ध में जो मेरे पास आये हैं, उनके सम्बन्ध में अभी मेरे पास श्री हुकुम सिंह जी की सूचना आई है कि वह बीमार हैं और इस कारण वह आज वकतव्य नहीं दे सकेंगे। २४ को इस पर बहस है, इसलिये उसी दिन वह सबेरे अपना वक्तव्य बाढ़ के सम्बन्ध में देंगे और उसी दिन बहस हो जायगी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, उस दिन यह तय हुआ था कि २० तारीख तक छपी हुई रिपोर्ट दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—वह अभी नहीं आई है, अगर आ गई है छपकर तो मैं कहे देता हूं, वह बांट दी जायगी।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरठ और मुजफ्फरनगर.....

श्री अध्यक्ष—मैंने सब भेज दिये हैं.....

आचार्य दीपंकर—आप ने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया.....

श्री अध्यक्ष—मैंने तो कहा कि सब के बारे में है, जितने प्रश्न बाढ़ के बारे में आए हैं, सब भेज दिये हैं.....

आचार्य दीपंकर—आज ही मैंने भेजा है।

श्री अध्यक्ष—वह मैंने आज ही भेज दिया।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—जो बरेली वाला प्रस्ताव है उसको शायद आपने लिया है दफा ५२ में और गाजीपुर में जो नाव दुर्घटना हुई है उस पर एक प्रस्ताव दिया गया था। उसमें ७० आदमी मर गये हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं, मैं बताए देता हूं। आपने स्वयं कहा था कि बहुत दिनों तक हम बीच में नहीं बैठते हैं और एक रोज में एक ही प्रस्ताव लिया जा सकता है, तो उसका क्या हो। तो मैंने कहा था कि मैंने जो प्रश्न स्वीकार कर लिये हैं, उनके लिये तारीख मुकर्रर कर दूंगा। चूंकि आज ही गृह मंत्री जी इसका उत्तर देने के लिये तैयार हो गये इसलिये मैंने इसे आज ले लिया है, लेकिन बाकी के लिये मैं समय मुकर्रर कर रहा हूं। एक तो मैंने स्वीकार किया है गाजीपुर शहर की भयंकर नाव दुर्घटना के बारे में और दूसरा इसी तरह से नारायण दत्त तिवारी जी ने मथुरा और वाराणसी की दुर्घटना के लिये दिया है। तो इन तीनों को मिलाकर मैं एक में रखूंगा। तीनों के बारे में एक वक्तव्य होगा।

श्री टीकाराम पुजारी—तिवारी जी की जगह टीकाराम पुजारी कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—तीसरा गोविन्द सिंह विष्ट जी का है, कानपुर में कोई झंडा वगैरह फाड़ने के सिलसिले में है। यह भी मैंने ले लिया है। डेट्स बाद में बता दूंगा।

श्री राजनारायण—आपने कहा था कि कार्य स्थगन के जो प्रस्ताव आये हैं, उनको नियम ५२ के अन्तर्गत ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा था कि कुछ को लेता हूं उनमें से।

श्री राजनारायण—जो यह भूख हड़ताल हो रही है, बद्रीनाथ तिवारी जी जो हैं.....

श्री अध्यक्ष—जब मैं यहां आने लगा तो मैंने कहा था कि बाद में बतलाऊंगा। मैं उसको पढ़ नहीं पाया हूं।

बरेली में एक रहस्यमय विदेशी जासूस की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत दिये जाने वाले वक्तव्य के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब गृह मंत्री जी बरेली के विषय में अपना वक्तव्य देंगे। इसे पढ़ने में समय लगेगा, मैं समझता हूं कि सब लोग उसे जानते ही हैं।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट के पास एक मुफस्सिल रिपोर्ट बरेली से आ गई है, लेकिन वह १० बजे आई है। इसलिये आज बयान देना संभव नहीं होगा, कल दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास तो यह सूचना भेजी कि आज ही देने को तैयार हैं?

श्री चरण सिंह—मैं चाहता था कि आज बयान दे दिया जाय, लेकिन अभी तक जो बयान आफिस में तैयार हुआ है उसे मैं देख नहीं पाया, कल दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, कल दे दीजियेगा।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, हमने कई बातें रखी हैं, हमारा ओरीजनल कागज भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—सब के कागज मन्त्री जी के पास भेज दिये गये हैं।

साप्ताहिक कार्यक्रम

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, इस सप्ताह का कार्यक्रम बता दिया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—आज का कार्यक्रम तो इसी एजेन्डे में है। कल और परसों अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस है। २४ तारीख को बाढ़ का विषय है। २५ को छुट्टी है। और फिर अगले सप्ताह की बात होगी।

श्री गौरीशंकर राय—जो इंटरमीडिएट अमेन्डमेन्ट बिल आने वाला था उसको सरकार ने वापस ले लिया या आएगा ? हमने सुना है कि मुख्य मंत्री जी फिर से विचार कर रहे हैं वापस लेने का, यह कहां तक सही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुख्य मंत्री जी ने विचार करने के लिये जरूर कहा है। जब विचार कर लेंगे तो अगर सदन के सामने आने का निर्णय होगा तो आएगा, वरना नहीं आयेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, यह इंटरमीडियेट संशोधन विधेयक जो है उसकी तीन तिथियां रखी गईं, लेकिन नहीं आया। बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो उसमें विशेष दिलचस्पी रखते हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर सरकार के दिमाग में कोई बात आ जाय और वह चाहे कि आज ही ले लिया जाय तो उस दिन नहीं लिया जाना चाहिए। कम से कम एक हफ्ते पहले सूचना होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—सूचना तो होगी। तीन दिन की सूचना देना तो नियम में ही है..

श्री राजनारायण—तीन दिन तो नियम में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें कम से कम एक हफ्ते पहले सूचना मिलनी चाहिए।

दोहरीघाट नहर के फटने के फलस्वरूप सूखा पड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ जिले में ४,६४० एकड़ सिंचित क्षेत्र में से पलेवा के अतिरिक्त ८८४ एकड़ भूमि को एक बार पानी दिया गया, २,०५५ एकड़ भूमि को दो बार तथा १,४९७ एकड़ भूमि को तीन बार पानी दिया गया। केवल २०४ एकड़ भूमि को पलेवा के पश्चात् पुनः पानी नहीं दिया जा सका। इस प्रकार बलिया जिले में ११ ८४२ एकड़ सिंचित क्षेत्र में से १,१०६ एकड़ भमि को पलेवा के अतिरिक्त एक बार पानी दिया गया, ६,३४९ एकड़ भूमि को दो बार तथा ४,०४८ एकड़ भूमि को तीन बार पानी दिया गया। केवल ३३९ एकड़ भूमि को पलेवा के पश्चात् पानी नहीं दिया जा सका। दोनों ही, आजमगढ़ तथा बलिया जिलों में, जिन क्षेत्रों को पलेवा के पश्चात् पानी नहीं दिया जा सका है वे ऐसे क्षेत्र हैं जो कुलाबों के अन्तिम छोर में हैं तथा ग्राम-वार ओसराबन्दी न होने के कारण समतुलनात्मक बटवारा नहीं कर सके।

दोहरीघाट नहर के अन्तिम छोर पर मील ६३.६ से मील ६७.२ (अन्तिम छोर) पर के २७,२६७ एकड़ सिंचित क्षेत्र में से पलेवा के पश्चात् केवल ११९ एकड़ भूमि को एक बार पानी दिया जा सका तथा १४८ एकड़ को पानी की न्यूनता के कारण पुनः पानी नहीं दिया जा सका। जिसके कारण ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार इस क्षेत्र में लगभग ६८ एकड़ भूमि की फसल को क्षति हुई है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण कृषकों द्वारा अभी पर्याप्त गूलों का न बनना भी है जिसके कारण अन्तिम छोर तक पानी पहुंचने में पानी अधिक बरबाद हुआ तथा क्षेत्र में पानी की कमी रही।

[श्री राममूर्ति]

यहां यह उल्लेखनीय है कि विभागीय खसरा शुदकार में खेतों को कितनी बार पानी दिया गया, इसका ब्यौरा नहीं रखा जाता है, और जो आंकड़े बताये गये हैं वह अनुमानित हैं और सिंचाई विभाग के स्टाफ द्वारा मौके की जांच करके एकत्रित किये गये हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है ४ प्रकार की जमीनें हैं। एक तो ऐसी जमीन है जिसमें गन्ना बोने के पहले पानी ही नहीं दिया। कुछ में ऐसा है कि एक बार मिला, कुछ ऐसी जमीन है जिसमें गन्ना बोने के पहले पलेवा में एक बार या २ बार किसी में पानी मिला। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि गन्ने की सिंचाई में पलेवा के पश्चात् ३ बार सिंचाई चाहिये। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन किसानों को पलेवा के बाद एक बार भी पानी नहीं मिल सका और पलेवा से पहले भी नहीं मिल सका उनको कोई रियायत, कोई हरजाना या किसी प्रकार उनकी क्षतिपूर्ति सरकार करेगी?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मैंने वहां के सम्बन्धित अधिकारियों को बुलाया और उन्होंने यह बतलाया कि बलिया और आजमगढ़ के जिलों में अक्सर किसान गेहूं काटने के बाद ही खेतों में गन्ने की बोआई करते हैं। यह बोआई अप्रैल के आखिर तक हुआ करती है। यह सम्भवतः सही बात है अपनी जगह पर कि जब अप्रैल के आखिर में बोआई होगी तो गन्ने के खेत में पानी की सिंचाई की १५ या २० मई से पहले आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उसके पहले खेत तैयार नहीं होता। पहला पानी १५ मई को लगा, उसके बाद ८ या १४ जून को पानी बरसा, तो उन्होंने बतलाया कि जिस क्षेत्र में एक बार पानी लगा है वहां कोई भी तैयार नहीं हुआ है। उसके बाद हमारा कायदा है कि लगान की उगाही की पर्चियां बंट जाती हैं और अगर उसमें किसी काश्तकार को एतराज होता है तो वह इस्तगासा दायर कर दिया करता है। १ महीने के अन्दर उसका जवाब मिल जाता है और उसका जो कागज मुरत्तिब किया जाता है। उसकी बिना पर बता दिया जाता है कि कितना नुकसान हुआ है और उसी के हिसाब से लगान की उगाही होती है।

श्री गौरीशंकर राय—श्री अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है और पश्चाताप है कि इस प्रकार की मिथ्या बातें सरकार की तरफ से सदन में कही जाती हैं कि नहर के आखिरी छोर पर पानी अधिक बरबाद हुआ और पानी की कमी रही तथा १८ अप्रैल को आखिरी छोर पर पानी पहुंचा नहीं था जिसके लिये मैंने टेलिफोन किया था सभी आफिसरों को और कमिश्नर को भी। लेकिन उसके बाद भी १९ अप्रैल को पहले एक बार पानी दिया गया, उसके बाद कोई पानी अप्रैल, मई तथा जून के महीने में एक बार भी नहीं पहुंचा। इसलिये मैं एक अन्तिम सवाल और जानना चाहता हूं, क्योंकि मंत्री जी भी सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं तो वह अधिक अफसरी ढंग का जवाब न दे कर के क्या वह साहस कर के यह आश्वासन देंगे कि वह व्यक्तिगत रूप से सारे मामलों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितनी क्षति किसानों की हुई है और उसके हिसाब से उनके साथ कोई रियायत, या कोई उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अर्ज किया कि सिंचाई विभाग का यह नियम है कि अगर, किसी काश्तकार को अपनी फसल बरबाद हो जाने की कोई शिकायत हो तो उसको इस्तगासा दे देना चाहिये, और उस पर विभाग के लोग जांच करते हैं तथा नुकसान के अनुसार छूट दे दिया करते हैं। यही एक प्रचलित कायदा है, इसमें कोई उदारता और संकीर्णता का सवाल नहीं है। जो रिपोर्ट मेरे पास विभाग की है वह मैंने बता दी। उसके बाद मैंने आश्वासन दे दिया, जिस किसी को शिकायत हो वह लिख कर भेज दे जांच करा ली जायेगी।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो पलेवा होती है वह मुस्तकिल सिंचाई नहीं है, तो जो किसान पलेवा करते हैं उनसे भी पूरी आबपाशी

ले ली जाती है उतनी ही जितनी कि उन किसानों से ली जाती है, जो पलेवा के बाद भी मुस्तकिल तौर पर पानी लेते हैं ?

श्री राममूर्ति--जो महज पलेवा करने के बाद पानी नहीं लेते हैं उन पर आबपाशी नहीं पड़ती है जितनी कि औरों को पड़ती है जो पलेवा के बाद पानी लेते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब मन्त्री जी जानते हैं कि नहर फट गई और जो कायदे कानून बने हुए हैं वे विशेष स्थिति के लिये नहीं हैं, सामान्य परिस्थिति के लिये हैं और नहर फटने से किसी को एक पानी मिल पाया, किसी को दो पानी मिल पाये, तीन तो किसी को मिले नहीं, और किसी को एक भी पानी नहीं मिल पाया तथा सरकार ने जो अपना स्पष्टीकरण दिया है उसमें कहा है कि जून में पानी पड़ गया। तो जहां पर पानी लगा होगा वहां भी पानी पड़ा होगा, जहां दो पानी लगा होगा, वहां भी पानी पड़ा होगा और जहां पानी नहीं लगा वहां भी पड़ा होगा। तो क्या सरकार के पास कोई ऐसा क्षेत्र का वर्गीकरण है कि जून में किसी जगह पर पानी पड़ा जहां १, २ या ३ पानी मिला था ? सरकार के स्पष्टीकरण से यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि किसानों का नुकसान हुआ जिनको केवल एक पानी मिला। क्या सरकार उसकी जांच करायेगी जो विभागीय कर्मचारियों ने सूचना दी है कि सामान्य रूप से गेहूं की फसल कट जाती है तो अप्रैल के आखिर में जा कर के गन्ने की फसल की बुवाई होती है, यही सही नहीं है ?

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजनारायण के सवाल के दो हिस्से समझा। एक तो यह कि नहर टूट गई। उसका जवाब तो यह है कि नहर टूटी, लेकिन १ हफ्ते के अन्दर नहर फिर चालू कर दी गई। दूसरा जो सवाल किया कि जो लोग गन्ना ज्यादा बोते हैं वह ज्यादा पानी लेते हैं, जो देर में बोते हैं उनको स्वभावतः पानी लेने का कम समय मिल सका। इसके बारे में मैंने कुल आंकड़े आपके सामने रख दिये। और मुझे कोई नई बात नहीं कहनी है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--मंत्री जी किसानों वाले मामले में कुछ करने को तैयार नहीं हैं। नहर टूटने की जिम्मेदारी किसकी है और निर्माण के पहले जो नहर का स्टैन्डर्ड तय किया गया था उसमें कुछ कमी आयी इसकी जांच करने के लिये क्या कोई कमेटी बैठाई गई है या क्या मंत्री जी बैठाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--ऐसा मालूम पड़ता है माननीय मदन पांडेय जी उस रोज थे नहीं, वरना मैंने पूरी बात बतायी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--जितनी थोड़ी बहुत टूट फूट हुई थी उसके लिये कोई कर्मचारी दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उसको क्या दंड दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--वह कह चुके कि जवाब दे चुके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--तो आप को याद है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां मुझे अच्छी तरह याद है।

श्री राममूर्ति--मुझको याद पड़ता है कि मैंने अर्ज किया था कि कमेटी बैठायी गयी थी और उसकी रिपोर्ट थी कि जिस ठेकेदार ने काम किया था उसका काम अच्छा नहीं निकला जिसके लिये उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या जिस कंट्रेक्टर को ठेका दिया गया उसको ठेका देने वाले कोई सरकारी कर्मचारी भी दोषी पाये गये जिनके नियन्त्रण में वह काम हो रहा था और क्या उनको कोई दंड दिया गया या नहीं ?

श्री राममूर्ति—मुझे याद पड़ता है कि मैंने उस रोज कहा था कि जो ओवरसियर उस काम का निरीक्षण कर रहे थे उनके बारे में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से पूछा गया है कि क्या वह दोषी हैं और अगर वह दोषी हैं तो फिर उनके कैरेक्टर रोल में एंट्री की जायगी ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मन्त्री जी को किन्हीं साधनों द्वारा इन बात की सूचना मिली है कि इस नहर के निर्माण में जो टैंक बना है उसके जो खम्भे हैं उनको ३० फीट नीचे गलाने की बात थी, लेकिन वह २० फीट ही गलाये गये हैं ? इसके अलावा जो मेहराब हैं पक्के हिस्से की उसके जो खम्भे हैं उनको भी जितना गलाना चाहिये था उतने नहीं गलाये गये और तीसरे यह कि जनरल तौर पर उसमें सीमेंट और बालू का अनुपात जितना होना चाहिये उससे अधिक मिलाया गया है ? और चौथी बात यह कि जो उसकी कैपेसिटी है पक्के भाग की उसकी गहराई ६ ० क्यु सेक्स के लायक नहीं है, बल्कि उससे कम की है ? यदि हां, तो सरकार इन तमाम गड़बड़ियों के लिये क्या करना चाहती है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जिस ब्योरे का जिक्र माननीय सदस्य ने किया मेरे पास उसकी कोई रिपोर्ट इस वक्त नहीं है। अगर माननीय सदस्य उसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहें या कोई डिटेल जानना चाहें तो मेरे कमरे में आ सकते हैं और वह जो चीज चाहेंगे उसको मंगा कर उन्हें दिखला दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय—मंत्री जी ने कायदे की बात बतायी कि जहां पानी नहीं मिला हो वहां के किसानों को लिख कर इस्तगासा देना चाहिये। लेकिन जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने स्वयं माना है कि ६३ से ६७ मील तक, यानी नहर के आखिरी हिस्से में पानी पहुंच ही नहीं सका, तो वहां के किसानों से वह किस प्रकार के इस्तगासे की उम्मीद करते हैं ? क्या माननीय मन्त्री जी इस टेक्निकल प्रोसीजर को वहां भी एप्लाई करेंगे ?

श्री राममूर्ति—मैंने तो अर्ज किया कि जिस हिस्से में पानी बिलकुल गया ही नहीं वहां जो क्षति हुई उसके आंकड़े मैंने आपके समक्ष रख दिये। उसके अलावा तो और कोई चीज है नहीं, जो मैं बतलाऊं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि जो अनुमानित सिंचित क्षेत्र था उसकी सिंचाई नहीं हो सकी, कुछ कम की हुई। मैं प्रश्न यह करना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी उस अनुमानित सिंचित क्षेत्र में कुछ कमी करने जा रहे हैं या उस पम्पिंग मशीन के सुधार की कोई योजना बना रहे हैं जिससे अधिक पानी दिया जा सके और जितना अनुमानित सिंचित क्षेत्र है उसकी सिंचाई हो सके ?

श्री राममूर्ति—अनुमानित सिंचित क्षेत्र में कोई कमी करने का इरादा नहीं है और पानी की जितनी मिकदार है वह गन्ने के लिये काफी है। सिर्फ इतना फर्क है कि चूंकि लोगों की ओसराबन्दी नहीं है और लोगों ने कायदे के मुताबिक अपनी गूलें नहीं बनायी हैं इसलिये पानी को संतुलित ढंग से नहीं ले पाते हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय सिंचाई मन्त्री इस बात की जांच करायेंगे कि सूखा पड़ने वाला है, पानी की कमी है, इस बात को प्रश्नकर्त्ता माननीय गौरीशंकर राय जी ने मई के महीने में दस बार स्थानीय अधिकारियों को बतला दिया था और जब तात्कालिक खतरे के बारे में माननीय सदस्य ने वहां के अधिकारियों को बतला दिया था तो कोई उचित कार्यवाही विभाग की तरफ से क्यों नहीं की गयी ?

श्री राममूर्ति—चूंकि पिछले दिन भी माननीय गौरीशंकर राय ने इसका जिक्र किया था इसलिये मैंने अपने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछा और उन्होंने बतलाया कि उनके पास कोई ऐसी लिखित चीज नहीं आयी जो वह असाधारण सावधानी बरतते। जो काम कायदे के अनुसार होना चाहिये था वह हो रहा था। मैंने जब गौरीशंकर राय जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर से जिक्र किया था।

श्री गौरीशंकर राय—मैंने मई के महीने में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बीस बार और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को तीन बार टेलीफोन किया और यह बात जो मैंने मन्त्री जी से बतायी थी यह जो रीजनल प्लानिंग कमेटी की मीटिंग होती है, गन्ना बोने के पहले, जिसमें कमिश्नर साहब, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर साहब, सभी एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० और एम० पीज० मौजूद थे उन सबके सामने मैंने कहा था कि दोहरीघाट के क्षेत्र में परची बटवा दीजिये कि इस साल पानी नहीं दे पायंगे। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी अपने अधिकारियों से पूछें कि रीजनल मीटिंग में मैंने इसको दोहराया था या नहीं कि इस साल नहर से पानी नहीं दिया जा सकता है इसलिये काश्तकारों को पर्ची बांट दी जाय कि वे गन्ना न बोयें, उनको पानी नहीं दिया जा सकेगा। इसके अलावा बीस बार मैंने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी कहा था। मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करें।

श्री राम मूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मुझे मालूमात के बारे में अर्ज करना था वह मैंने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछकर पेश कर दिया। पानी काफी मिकदार में था। यह नहर रबी के लिये बनाई गई है और गन्ने के लिये भी १/१० हिस्सा उसका रखा गया है। हम २० हजार एकड़ गन्ने की जमीन के लिये पानी देंगे। उसके लिये पानी काफी था और आगे भी इसी तरह से चलाई जायगी जब गन्ने की खेती होगी।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, अभी नहर में पूरा पानी नहीं आ रहा है, नहर टूट गई है। जब पूरा पानी आने लगेगा तब नहर न टूटे इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

श्री राम मूर्ति—श्रीमन्, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय माननीय सदस्य मौजूद नहीं थे। मैंने अर्ज किया था कि जो खाली जगह खांचे की शक्ल में है, मैंने प्रेस के लोगों को भी बताई थी और माननीय गौरीशंकर राय तथा झारखंडे राय जी को नक्शा दिखाया था और बताया था कि खाली जगह के बारे में इंजीनियरों का ख्याल था कि जब मिट्टी नहर में बहेगी या आयगी तो इन खांचों में भर जायगी और इसकी ठीक सतह बन जायगी। लेकिन जब पानी चला तो खाली जगह में मिट्टी नहीं भरी। इसका नतीजा यह हुआ कि पानी गड्ढे में गया जिससे पानी की वैलासिटी बढ़ गई और नहर की बरदाश्त करने की ताकत में भी कमी आई। हमने इस मसले को रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजा था। उन्होंने सलाह दी है कि जो रुपया मिट्टी न भरवाकर बचाया गया था वह न बचाया जाय और उसमें मिट्टी भरवा दी जाय ताकि यह दिक्कत आईन्दा पैदा न हो।

श्री नन्द राम (जिला प्रतापगढ़)—श्रीमन्, मन्त्री जी ने फरमाया कि कुछ को पलेवा के लिये पानी मिला, कुछ को एक पानी मिला और कुछ को दो पानी मिले, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि काश्तकारों की पैदावार में भी इससे अन्तर पड़ा है? यदि हां, तो जिनकी पैदावार कम हुई है उनको हरजाना देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने उत्तर दे दिया है कि जिसका नुकसान हुआ है वह दरख्वास्त दे दे तब वह विचार करेंगे।

श्री नन्दराम—श्रीमन्, मेरा प्रश्न दूसरा है कि....

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर पहले से क्यों नहीं जानकारी प्राप्त कर ली गई ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जिस इंजीनियर ने इसको बनाया था उसकी राय थी कि यह ठीक है। अगर कोई दिक्कत पैदा होती तो मामला रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजते। हर मामला वहां नहीं भेजा जाता है। सामान्यतः काम विभाग के इंजीनियरों के द्वारा होता रहता है। लेकिन जब कोई दिक्कत पैदा होती है तो रिसर्च इंस्टीट्यूट भेज दिया करते हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या यह सही है कि इस नहर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिये तथा कमजोरी को ठीक करने के लिये नहर विभाग ने कोई स्कीम बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, मेरे नोटिस में कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि इस नहर की मजबूती के लिये कोई काम किया जा रहा है। डिपार्टमेंट समझता है कि नहर अच्छी बनी है। वैसे एक आध खराबी हो सकती है, लेकिन उसकी बिना पर नहर को फिर से बनाने की बात मेरी समझ में नहीं आती है।

श्री झारखंडेराय—मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि.....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने, जो उन्हें उत्तर बना, उसको दिया।

श्री गौरीशंकर राय—मैंने जो पानी की कमी के खतरे से आगाह किया था, उसके संबंध में मन्त्री जी ने कहा कि उनको जानकारी नहीं है। तो क्या मंत्री जी कृपया बनारस डिवीजन के कमिश्नर, श्री तारकेश्वर पांडेय, एम० पी० और गाजीपुर, मिर्जापुर और बनारस डिवीजन के विधायकों और लोक सभा के सदस्यों से इस बात की जानकारी करेंगे कि मैंने पानी की कमी के खतरे से बनारस की रीजनल प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को आगाह किया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अन्तिम छोर पर आप पानी नहीं दे सकते हैं इसके परचे बांट दीजिये, इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, माननीय गौरीशंकर राय जी ने जिस बात का जिक्र किया कि उन्होंने खतरे से आगाह किया था, जिन-जिन लोगों से इस बात का जिक्र किया था उनका यह फर्ज था कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के अफसरों के पास लिखते। लेकिन मैं सबसे पुछवाऊं, मैं यह मुनासिब नहीं समझता।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपने एक ही प्रश्न को तीन बार अलाऊ किया। प्रश्न स्पष्ट है कि गौरीशंकर राय जी ने जो रीजनल प्लानिंग कमेटी में उनके इंजीनियर महोदय से बात-चीत की उसकी जानकारी सरकार को है या नहीं, और अगर जानकारी नहीं है, तो क्या वह उनसे पूछेंगे ? इसका स्पष्ट उत्तर न देकर इधर-उधर करते हैं।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि नहीं पूछेंगे।

झांसी जिलान्तर्गत देवगढ़ में जैन मंदिरों में मूर्तियों के सिर काटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब झांसी जिलान्तर्गत देवगढ़ जैन मन्दिर में मूर्तियों के सिर काटे जाने के सम्बन्ध में श्री राजनारायण द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिनांक ४ अगस्त, १९६१ को दी गयी सूचना पर गृह मंत्री का वक्तव्य होगा।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, श्री राजनारायण जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत झांसी जिले में देवगढ़ स्थित मन्दिरों की मूर्तियों के सिर काटे जाने के बारे में प्रश्न उठाया है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना उचित होगा कि ऐसा ही प्रश्न सितम्बर, १९५९ में भी नियम ५२ के अन्तर्गत उठाया गया था और उसके बारे में एक वक्तव्य तत्कालीन गृह मंत्री जी ने दिया था। देवगढ़ में बहुत से मन्दिर हैं जिनमें से वैष्णव मन्दिर भी हैं और जैन मन्दिर भी। जैन मन्दिरों की देखभाल जैनियों द्वारा बनायी एक कमेटी करती है और कुछ मन्दिर केन्द्रीय सरकार के आरक्योलाजिकल विभाग द्वारा संरक्षित हैं। ये मन्दिर जंगल में बने हुए हैं जिनके आसपास में बहुत कम आबादी है और यहां डाकुओं का भी आतंक रहता है। पहले मन्दिरों की देखभाल के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं था, केवल एक चौकीदार दिन में रहता था जो पुजारी का काम भी करता था। वैष्णव मन्दिरों की इस प्रकार की कोई देखभाल नहीं होती थी। सन् १९५९ में मन्दिरों की मूर्तियों के सिर काटे जाने की घटनाएं हुईं जिसकी सूचना पुलिस को मिली। एक बड़ी घटना १३–१४ अगस्त, १९५९ को भी हुई जिसमें २० मूर्तियों के सिर काटे गये। पुलिस ने इस केस की सरगर्मी से जांच की और सरकार ने भी इस मामले को सी० आई० डी० को देने का फैसला किया, परन्तु इससे पहले ही देहली में एक ऐसी फर्म का पता लगा जिसके यहां ऐसी मूर्तियों के कटे हुए सिर पाये गये। मूर्तियों के ९५ सर इस फर्म के यहां बरामद हुए। इस केस का, जांच के बाद, चालान हो चुका है और मामला अदालत के विचाराधीन है।

इन चोरियों के बाद सरकार ने यह आदेश दिया कि एक पुलिस चौकी देवगढ़ में खोली जाय। यह चौकी २० जनवरी, १९६० से स्थापित कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त पी० ए० सी० का एक सेक्शन भी वहां पर तैनात है जो मन्दिरों की देखभाल करता है। अगस्त, १९५९ की घटनाओं के बाद मूर्तियों के सिर काटे जाने की किसी घटना की रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली है और जब से पुलिस तैनात कर दी गयी है वहां पर ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि १३ अगस्त, १९५९ को ३८ सिर काटे गये थे और ३५जो वहां पर अलग-अलग भी रखे हुए थे वह चोरी किये गये थे ?

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा सरकार के पास जो सूचना है उसके अनुसार जो संख्या है वह सिर्फ २० मूर्तियों की है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस सम्बन्ध में झांसी की किसी अदालत में कोई एक मुकदमा भी चल रहा है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जैसा मैंने कहा इस केस का चालान हो गया है और मामला अदालत के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—वह झांसी में है क्या, यह वह पूछना चाहते हैं।

श्री नवलकिशोर—झांसी में तो होगा ही जब वहीं के मन्दिर का मामला है।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन मूर्तियों के सिर काटे गए थे उनका पोस्टमार्टम कराया गया या नहीं और उनके खून भी निकला या नहीं ?

(हंसी—श्री अध्यक्ष ने किसी को उत्तर देने के लिए नहीं पुकारा।)

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन मूर्तियों के सिर काटे गये थे उस स्थान की पूर्ति करने के लिए क्या कोई दूसरे सिर बनाकर लगाये गए या नहीं ?

श्री नवलकिशोर——अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा इसमें कुछ मन्दिर तो ऐसे थे जो कि केन्द्रीय सरकार के आरक्योलाजिकल विभाग के अन्तर्गत थे और कुछ अपने प्राइवेट मन्दिर थे, तो यह काम तो उनका है कि वह उसको रिप्लेस करें, सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है ।

श्री राजनारायण——क्या सरकार को जो वहां पर एक जैनियों की समिति बनी हुई है उसकी ओर से कोई ऐसी शिकायत मिली है कि जो बत्रा साहब हैं, जिन्होंने दिल्ली में एक कम्पनी बना रखी है और इस प्रकार के सिरों को विदेशों में बेचा करते हैं, वे स्वयं इस मुकदमे में फंसे हैं और करीब ६ महीने हो गए इस मुकदमे की तारीखें पड़ा करती हैं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)——अध्यक्ष महोदय, जो यह रूल ५२ में बयान देने का आपने हुक्म दिया वह तो मेरे खयाल से जो घटनायें इधर हुई या सिर काटे गये उनके लिए था न कि २ वर्ष पहले जो घटना हुई या जिसके मुताल्लिक सवालात हो चुके हैं उनके लिए था। अब क्योंकि वह बात गलत निकल गई.....।

श्री अध्यक्ष——वह यह जानना चाहते हैं, इसमें आपके वक्तव्य में आ गया कि मुकदमा चल रहा है .....

श्री चरणसिंह——जी हां, चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष——तो वह यह जानना चाहते हैं कि मुकदमा जो चल रहा है उसमें शिकायत इस बात की आयी कि मुकदमा प्रोसीड नहीं कर रहा है किसी वजह से, यह शिकायत आपके पास पहुंची ?

श्री चरणसिंह——जी नहीं, हमारे पास कोई शिकायत नहीं पहुंची ।

श्री राजनारायण——श्रीमन्, मैं जरा स्पष्ट कर दूं कि जिस समय इस सदन में इसकी चर्चा हुई थी उसके बाद भी सिर कटे हैं...

श्री अध्यक्ष——तो आप सवाल पूछिए ।

श्री राजनारायण——मैं यह स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी हो पायी है कि जो जो सिर कटे हैं या जिस मूर्ति की क्षति हुई है उन सब जगहों पर कुछ निशान लगे हैं और यह भी कहा जाता है कि निशान को लगाने वाले कोई जर्मनी से आये थे ?

श्री अध्यक्ष——यानी यह पुरानी बात पूछना चाहते हैं या....

श्री राजनारायण——जो सदन में जवाब हो चुका था, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि उसके बाद भी सिर कटे हैं, आपने श्रीमन्, ध्यान नहीं दिया, नवल किशोर जी ने कहा कि यहां पर २ अप्रैल को यह प्रश्न आया....

श्री नवलकिशोर——जी नहीं, मैंने कहा कि जो स्टेटमेंट दिया गया वह २ सितम्बर, १९५९ को दिया गया और जो सिर काटने की अन्तिम रिपोर्ट आयी थी वह १३–१४ अगस्त, १९५९ की है ।

श्री राजनारायण——तो मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि जो मुकदमा चल रहा है झांसी में वह किस तारीख को दायर हुआ ?

श्री चरणसिंह——जी नहीं, गवर्नमेंट के पास सूचना नहीं है और न इसको हासिल करना वह जरूरी समझती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह २० मूर्तियों के सिर जो काटे हुए पाये गए क्या उनमें कुछ सिर वापस भी मिले ?

श्री नवलकिशोर—वह सिर रिकवर हुए तभी तो मालूम हुआ कि इन्होंने सिर काटे हैं। वह ६५ सिर पाये गए यह तो बयान में कह दिया गया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५९ में मूर्तियों के जो सिर कटे थे उनमें आर्केलाजिकल विभाग, जो सरकार का है उसके मन्दिरों में कितने सिर कटने की खबर सरकार के पास है ?

श्री चरणसिंह—हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो मूर्तियों के सिर काटे गये हैं उसका मुकदमा किस दफा के मातहत चलाया जायगा, उसका मुकदमा ३०२ दफा में चलाया जायगा या सामान नुकसान करने वाली दफा में चलाया जायगा ?

श्री चरणसिंह—यह तो कानूनी मशविरा है ।

श्री अध्यक्ष—यह तो वाकयात का सवाल है ।

श्री नवलकिशोर—इसका मुकदमा दफा ४५४, २९५, ३९० और ५११ आई० पी० सी० के अन्तर्गत चल रहा है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि यह घटना बहुत बड़े सम्प्रदाय के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने वाली है और मुकदमे में बहुत देर हो रही है इस बात का प्रयत्न करेंगे कि यह मुकदमा जल्दी फैसल हो जाय ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण ने सवाल किया था कि मुकदमा कौन-सी तारीख को दायर हुआ । उसका जवाब दिया गया कि वह बात शासन के मुताल्लिक है, उसका जवाब हम जरूरी नहीं समझते । अब माननीय मदन पांडेय जी ने सवाल उठाया । जब हमारे पास यह इत्तला आई तो आज मैंने इस फाइल को देखा । इस सवाल के यहां पर होने से पहले यानी दो घंटे पहले मैंने होम सेक्रेटरी से यह कहा है कि आई० जी० पी० से यह पूछा जाय कि इस मुकदमे में देर क्यों हो रही है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—अभी सरकार ने स्वीकार किया कि २० सिर काटे गये और यह भी स्वीकार किया कि जो तलाशी ली गई उसमें ६५ सिर मिले । मैं यह जानना चाहता हूं कि ६५ सिर जो मिले उनमें वे २० सिर थे या नहीं जो काटे गये थे, या जो शेष थे उनका सरकार ने पता लगाया कि वे कहां से काटे गये थे ?

श्री नवलकिशोर—जो २० सिर की बात कही गई वह १३ और १४ अगस्त को घटना जो हुई थी उसकी संख्या थी । इससे पहले भी शिकायत आई थी और मध्य भारत में भी कई शिकायतें मूर्तियों के सिर काटे जाने की थीं । इसलिये उनकी संख्या ६५ हो गई ।

श्री देवनारायण भारतीय—२० सिर काटे गये या नहीं इसका उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर नहीं दिया । वह बाद में पूछ लीजियेगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मूर्तियों के सिर काटने के पीछे कौन-सी भावना का आभास मिलता है, कोई साम्प्रदायिक मनोवृत्ति है या पीतल-ताम्बे की मूर्तियों को बेच कर पैसा लेने का प्रलोभन है, या क्यों सिर काटे जाते हैं ?

श्री चरणसिंह—मुख्य भावना तो यही थी कि आर्थिक लाभ मिले। इसके अलावा और क्या भावना उनके मन में काम कर रही थी यह तो उनसे बात करने पर ही मालूम होगा।

श्री अध्यक्ष—उनका मतलब यह था कि वे आर्टिस्टिक थीं यानी क्या खूबसूरत थीं ?

श्री चरणसिंह—यह तो अपनी-अपनी नजर है, जो आपको खूबसूरत लगती है, हो सकता है मुझे खूबसूरत न लगें।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी विवरण देकर बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सिर काटने की प्रक्रिया के पीछे साम्प्रदायिक तत्वों का हाथ था या उसमें सामाजिक विरोधी तत्वों का हाथ था ?

श्री अध्यक्ष—पैसे के लालच से उन्होंने ऐसा किया यह उन्होंने बतला दिया।

श्री गौरीशंकर राय—जिन मूर्तियों के सिर काटे गये हैं उन मूर्तियों की आंखों में या अन्य किसी जगह पर चांदी, सोना जड़ा था जिसकी वजह से उन्होंने उसको बेचा या सारी मूर्ति पीतल की ही थी ?

श्री नवलकिशोर—जितनी डिटेल ये जानना चाहते हैं, उतनी सूचना इस समय हमारे पास नहीं है।

श्री राजनारायण—मैं एक निवेदन करूंगा कि मुझे आप इस प्रकार प्रश्न पूछने की इजाजत दें कि जिसमें वस्तुस्थिति आ जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, पूछिये।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि जो ९५ सिर मिले वह किसी ऐसी कम्पनी के पास मिले जिसका नाम मोहनजोदारो कम्पनी, सुन्दरनगर, दिल्ली है और जिस के मालिक कोई बत्रा साहब, खत्री हैं ?

श्री नवलकिशोर—जी हां, यह सही है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जब वहां पुलिस तलाशी लेने गयी थी तो उस समय वहां के कुछ एकाउन्ट्स भी पकड़े गये थे जिसमें एक लाख के करीब सिर की बिक्री की आमदनी विदेशों से आयी थी, यह अंकित था ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाक्टर 'क्रास ब्रून, जो जर्मनी के रहने वाले हैं, वे तीन महीने के करीब उस मन्दिर में ठहरे हुए थे और तीन महीने वहां रह कर उन्होंने इस सम्बन्ध में काफी जानकारी पहले ही हासिल कर ली थी ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, इतनी तफसील से सूचना मेरे पास नहीं है। मैं नहीं जानता कि वह जर्मनी के लोग थे या बनारस से आये थे।

श्री राजनारायण—मैं श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मजाक के मूड में नहीं हूं। मैं जानता हूं कि रानी विक्टोरिया की मूर्ति जब मैंने तोड़ी थी तो १९ महीने की सजा और ४०० रुपया जुर्माना मुझे हुआ था। तो वे सरकार के लाड़ले लाल हैं। जब इतना गम्भीर मसला विचाराधीन हो तो सरकार को मजाक नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष——मैंने सुझाव भी दिया कि वे क्या आर्टिस्टिक मूर्तियां थीं या नहीं और उन्होंने बतला दिया कि बेंचने के लिये वे ले गये। जब आप जर्मनी की बात कह रहे हैं तो उस प्रकार से प्रश्न करें।

श्री राजनारायण——मैं अपनी कमी मानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के हर व्यक्ति को मालूम होगा कि कला की दृष्टि से जैन मूर्तियां उच्च कोटि की होती हैं। अगर सरकार को यह जानकारी नहीं है तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक एयर कंडीशन्ड रोडवेज की डिजाइन की गाड़ी, जिसमें दो जर्मन बैठे हुए थे वहां आयी और वहां के कुछ नागरिकों से मिली भी ?

श्री अध्यक्ष——इतने डिटेल वह क्या जानेंगे। मैं इसकी इजाजत नहीं देता। जो मुकदमें में बहुत सी चीजें आ गयी हैं उनके बारे में प्रश्न पूछने की मैं यहां इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण——क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ५ महीने पूर्व से झांसी की अदालत में जो मुकदमा चल रहा है उसमें बत्रा साहब एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं और पहली बार हाजिर हो कर बराबर उनकी हाजिरी माफ है ?

श्री चरणसिंह——अध्यक्ष महोदय, रूल ५२ में जो बयान इस सम्बन्ध में दिया गया है उसका मुकदमे के डिटेल से कोई वास्ता नहीं है। प्रश्न यह था कि क्या इस तरह की मूर्तियां तोड़ी गयी हैं और उनके सिर काटे गये हैं। तो पहले जो काटे गये थे उनका कुछ हवाला दिया गया और इस बार के लिये भी कुछ जानकारी करायी गयी। अब इस तरह के सवाल करना जैसे कोई प्रासीक्यूटिंग इंस्पेक्टर सवाल कर रहा हो, मैं नहीं समझता था कि यहां होगा।

श्री राजनारायण——तो श्रीमन्, आप इसको आज स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष——जी नहीं। यह बात सही है कि यह प्रश्न उससे उठता नहीं।

श्री मदन पांडेय——जिस क्यूरियो शाप से यह मूर्तियां बरामद हुई हैं वह क्यूरियो शाप इस समय खुली हुई है या बन्द कर दी गयी है? यदि बन्द नहीं की गयी है तो क्या माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से या जिले के प्रशासन से यह अनुरोध करेंगे कि जो क्यूरियो शाप इस तरह की है उसे बन्द करा दिया जाय ?

श्री चरणसिंह——सरकार को इसका कोई इल्म नहीं है और केन्द्रीय सरकार से ऐसी दरख्वास्त करने का कोई इरादा सरकार नहीं रखती।

श्री अध्यक्ष——अब मैं इसको समाप्त करता हूं.....

श्री नन्दराम गुप्त (जिला प्रतापगढ़)——श्रीमन्, इस पर और सवाल होने चाहिये थे। मैं कई बार खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष——नियम यह है कि मैं चाहूं तो एक भी प्रश्न न करने दूं।

श्री राजनारायण——उसमें तो हमको कोई एतराज नहीं है, हम मानते हैं वह बात....

श्री अध्यक्ष——इस पर १५ मिनट हो चुके हैं और वैसे आप वक्तव्य पर एक आध प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग तो क्रास इक्जामिन करना शुरू कर देते हैं।

१९६१–६२ के प्रथम पूरक अनुदानों के लिये मांगें

श्री अध्यक्ष——अब वित्त मंत्री १९६१–६२ का प्रथम पूरक अनुदान प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)——अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से वित्तीय वर्ष १९६१–६२ का प्रथम पूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

१९५७-५८ के अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री ।

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के अतिरिक्त अनुदान प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, 'अनुदान की मांग' प्रस्तुत करता हूं, यह होना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष—वह इस समय मांग नहीं कर रहे हैं, केवल प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, संवैधानिक शब्द यही है कि 'अनुदान की मांग' प्रस्तुत करता हूं और इसी तरह पेश होना चाहिये, यही सही तरीका है ।

श्री अध्यक्ष—'अनुदान की मांग प्रस्तुत करता हूं' यही कहना चाहिये था ।

नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत विषयों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—श्रीमन् ११वें आइटम के बारे में क्या निर्णय हुआ ?

श्री अध्यक्ष—वह पहले तय हो चुका है । माननीय न्याय मंत्री बीमार हैं वह २४ तारीख को लिया जायगा ।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । कुछ लोग १०-१० बार खड़े होते हैं और तब भी आपकी निगाह उनकी तरफ नहीं जाती और जिन पर आपकी निगाह जाती है उन्हीं को आप बार-बार अवसर देते हैं ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, यह गलत है । मेरी निगाह सब तरफ जाती है । जो प्रश्न पूछता है उसको मैं ज्यादा मौका देता हूं । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, हमारा बद्रीनाथ मार्ग वाला प्रश्न आज के लिये रखा गया था, अब वह २३ के लिये कर दिया गया है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि वह अब २३ को भी आयेगा या नहीं ? मुझे शंका है उस दिन भी शायद न आये ।

श्री अध्यक्ष—वह २३ तारीख को आयेगा, वह मंत्री जी के कहने पर रखा गया है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६०

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के सभापति अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे ।

(श्री मलखान सिंह के खड़े होने पर)

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मलखान सिंह जी इस समिति के सभापति नहीं हैं इसलिये उनको इस संकल्प को पेश करने का अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—दूसरा सदस्य भी कर सकता है, आप कृपया नियम देख लें ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—वह तो सदस्य भी नहीं हैं उसके ।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—श्रीमन्, मैं उसको पेश करता हूं . . .

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, नवलकिशोर जी को भी अधिकार नहीं है। उनको सभापति की ओर से यह अधिकार नहीं है कि वे उसको पेश करें, वह तो मलखान सिंह जी से कह गये हैं।

श्री अध्यक्ष—यह किस नियम में है ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह तो कामन नालेज की बात है। पहले मलखानसिंह जी खड़े हुये क्योंकि उनको सभापति जी ने पावर डेलीगेट की, फिर नवलकिशोर जी कैसे खड़े हो सकते हैं और उसको पेश कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप जरा कोई रूल तो कोट करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह तो कामन-सेंस की बात है, फैक्ट की बात है। हमने मान लिया कि श्री मलखान सिंह के खड़े होने से उनको अधिकार दे दिया गया था लेकिन वह प्रवर समिति के सदस्य नहीं थे।

श्री अध्यक्ष—अधिकार उनको दिया है तो वह उपस्थित कर सकते हैं। आप कामन-सेंस की नहीं, रूल की बात करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ३ की ओर जो परिभाषाओं से संबंधित है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें 'मंत्री' का तात्पर्य मंत्रि-परिषद के किसी सदस्य से है और इसमें राज्य मंत्री, उपमंत्री तथा ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करें। तो मंत्री जी ने अपने कर्त्तव्य का प्रत्यायोजन माननीय मलखान सिंह को किया है, नवलकिशोर जी को नहीं किया है। परिभाषा के अन्तर्गत मलखान सिंह जी ही उपस्थित कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—तो मलखान सिंह जी, आप उपस्थित कर दें अगर आपको अथराइज किया गया है, यह मेरा फैसला है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब पहले प्रश्न उठा तो माननीय मलखान सिंह ने यह नहीं कहा कि मुझको आज्ञा दी है। यह एक नयी चीज खड़ी हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—यदि वैधानिक प्रश्न उठाने में गलती हो जाय तो वह बाद में नहीं उठ सकता, ऐसी बात नहीं है। अब बात स्पष्ट हो गयी कि उनको अथराइज किया गया है, उस हिसाब से वह उपस्थित कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—व्यवस्था का प्रश्न है। आपने रूलिंग दी कि वही व्यक्ति अथराइज किया जा सकता है जो उस प्रवर समिति का मेम्बर रहा हो, और चूंकि मलखान सिंह जी उस प्रवर समिति के सदस्य नहीं थे इसलिये वह उसको पेश नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—मैं कह तो रहा हूं कि मेरी गलती हुई। मैं समझा कि वह कोई चीज प्रवर समिति की ओर से उपस्थित कर रहे हैं। अगर प्रवर समिति की रिपोर्ट होती है तो उसको या तो प्रवर समिति के सभापति उपस्थित करें या कोई सदस्य करें। लेकिन मैंने देखा कि वह संकल्प है और नारायणदत्त तिवारी जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि संकल्प को कोई उपस्थित कर सकता है जो अथराइज्ड हो जाय। आप भी कर सकते हैं। अब तो समिति के सभापति महोदय भी आ गये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—एक प्रश्न साफ हो जाय। यह जो अधिकार का हस्तांतरण है यह मौखिक भी मान लिया जायगा या लिखित ही माना जायगा ?

श्री अध्यक्ष—मैं तो हर एक सदस्य का विश्वास करूंगा अगर वह कहे कि गुप्ते अथराइज किया गया है ।

श्री राजनारायण—ठीक है, यह स्पष्ट हो गया, क्योंकि कभी-कभी हमारे लिये ऐसा कहा गया है कि चूंकि लिखित नहीं है, इसलिये स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

(इस समय सहकारिता मंत्री ने सदन में प्रवेश किया ।)

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—अब सभापति आ गये हैं, उनसे पूछ लिया जाय कि उन्होंने किसको अधिकार दिया था ?

श्री राजनारायण—नवलकिशोर जी को दिया था या मलखानसिंह जी को ?

श्री अध्यक्ष(श्री मंगला प्रसाद से)—आप उपस्थित कर दें ।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—मैं सदस्यों से माफी चाहता हूं, मैं कौंसिल चला गया था .....

श्री राजनारायण—आपकी कोई गलती नहीं है । आप तो अधिकार सुपुर्द कर गये थे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप खामोश रहें, सावधान ।

उन्होंने माफी मांग ली, अब क्षमा कर दीजिये (हंसी) ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—मान्यवर, ये किसी को अधिकार नहीं दे गये थे, इसलिये गलत बयानी के लिये प्रिविलेज का प्रश्न उठाने की मुझे अनुमति दी जाय ।

श्री मंगलाप्रसाद—अधिकार में दे गया था इसे पेश करने के लिये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं :—

"उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को १९ मई, १९६१ को निर्दिष्ट किया गया था । अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २५८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन १८ अगस्त, १९६१ तक सदन में उपस्थित होना चाहिये था । कुछ कारणवश समिति को यह कार्य सम्पन्न करने में अधिक समय लगेगा, अतः प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि उपर्युक्त नियम के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत ३१ अगस्त, १९६१ तक बढ़ा दी जाय ।"

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जो संकल्प माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं और इसलिये कर रहा हूं कि यह संकल्प साफ नहीं है । इसमें कोई कारण नहीं बताया गया है कि जो प्रतिवेदन १८ अगस्त को प्रस्तुत हो जाना चाहिये था वह क्यों नहीं किया गया । केवल यह लिख दिया गया है कि "कुछ कारणवश" । अब वे कारण क्या हैं ? वे कारण मानवीय हैं या अमानवीय हैं ? या कुछ घरेलू कारण हो गये ? कम से कम उन्हें हमको कारण तो बताने चाहिये थे । मुझे दुख इसलिये भी होता है क्योंकि अब यह हिन्दुस्तान के जनतंत्र की शैशवावस्था नहीं मानी जानी चाहिये अब तो उसकी प्रौढ़ावस्था है । पहले सरकार द्वारा शैशवावस्था लिखा जाता था, लेकिन अब यह भी लिखा जाना काट दिया गया है । इसलिये मैं अब उनसे पूछना चाहता हूं कि जब एक काम करने के लिये एक अवधि नियत कर दी गयी थी, तो क्यों उस अवधि में वह काम नहीं किया गया ? इसी प्रकार से सदैव ही सदन के आदेशों की अवज्ञा करके समय बढ़ाया जाता है और उसके लिये संकल्प प्रस्तुत किया जाता है ।

वैसे तो मैं माननीय अध्यक्ष से यह प्रार्थना करता कि वे इसको प्रस्तुत करने की आज्ञा ही न देते क्योंकि वैधानिक रूप से उनको यह संकल्प १८ अगस्त को ही ले आना चाहिये था अथवा उसके पूर्व आ जाना चाहिये था, लेकिन अब तो इसको माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है ।

श्री अध्यक्ष—१८ तारीख को तो छुट्टी थी ।

(इस समय १ बज कर १० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मीनारायण बंसल, पीठासीन हुये ।)

श्री राजनारायण—उसके पहले प्रस्तुत करना चाहिये था, जिससे हम सम्मानित सदस्यों से पूछ लेते, जो उस संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य थे कि उसमें देर क्यों हुई, उसकी बैठकें हुईं या नहीं हुईं और अगर नहीं हुईं तो क्यों नहीं हुईं ? क्योंकि आजकल हम यह देख रहे हैं कि अक्सर माननीय मंत्री महोदय जो कि संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष की हैसियत से यह संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके पास स्वतः समय नहीं है । जिन कारणों से उनके पास समय नहीं है, उससे हमारे सदन की कोई आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है । यह कारण उनका निजी और व्यक्तिगत है । क्योंकि जब संयक्त प्रवर समिति की बैठक होगी तो ये रहेंगे बनारस में या रहेंगे मिर्जापुर में या इलाहाबाद में । कभी किसी पर्यवेक्षक के सामने उपस्थित होना आवश्यक है, कभी किसी को टिकट दिलाना है, किसी को कहीं से तोड़-फोड़ कर अपने दल में लाना है, किसी को अपने दल से निकालना है, आजकल इतने सारे काम उनके जिम्मे हैं । तो क्या श्री मंगला प्रसाद जी चाहते हैं कि वे तो इस अवधि में ये सारे काम करते रहें और उसके लिये हम बार-बार समय की अवधि बढ़ाते जायं । अगर इसी प्रकार से समय की अवधि बढ़ती जायगी तो निश्चित है कि अपने कर्त्तव्य का पालन हम नहीं कर सकेंगे । इसलिये विनम्रता के साथ आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से मेरा निवेदन है कि संयुक्त प्रवर समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जो यह संकल्प, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने के लिये प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करें और जम कर विरोध करें ।

एक बात मैं खासतौर से ट्रेजरी बेंचेज़ के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जनतंत्र को अच्छी प्रकार से विकसित कराना है तो अपने दल के सदस्यों और अपने दल के ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाना आवश्यक है जो कि समय पर अपने कर्त्तव्य का पालन करने में हिचकते हैं । मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि यहां जनतांत्रिक प्रणाली का पालन नहीं किया गया है । जनतांत्रिक परम्परायें सर्वांगीण होती हैं और अगर हम उन परम्पराओं और मर्यादाओं को जिम्मेदारी से पूरा करने के लिये उद्यत होंगे तो यह बात जरूरी हो जाती है कि एक निश्चित समय और अवधि के अन्दर हम उसकी मर्यादाओं और अपने कर्त्तव्यों का पालन करें, और पूरा करें । मुझे दुख है कि मुझे माननीय मंगला प्रसाद जी के इस संकल्प का विरोध करना पड़ रहा है, लेकिन कर्त्तव्य भाव से प्रेरित होकर ही मुझे अपने कर्त्तव्य की पूर्ति करनी पड़ रही है । इन शब्दों तथा इन भावों के साथ इस संकल्प का मैं विरोध करता हूं और इस आग्रह के साथ विरोध करता हूं कि इस संकल्प को सदन ठुकरा दे ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—श्रीमन्, इस संकल्प के संबंध में मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है । मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली की दफा ६४ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । आपकी आज्ञा से मैं इसे पढ़ दूं:—

"Breach of Privilege and contempt how brought to the Notice of the House—A question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee thereof may, with the consent of the Speaker, be brought to the notice of the House by—

(i) a complaint from a member ;"

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, आप मुलाहिजा फरमायें—

"Provided that if the breach is committed in the actual view of the House, the House may take action without any complaint."

[श्री सुरथ बह दुरशाह]

तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप स्वयं यहां पर उपस्थित थे, अभी दो मिनट पहले जब कि अध्यक्ष महोदय उस जगह पर पीठासीन थे । इसलिये दफा ६४ की तरफ आपका ध्यान दिलाना मेरे लिये आवश्यक है । श्री मलखान सिंह जी जो इस आदरणीय सदन में अलीगढ़ के एक सदस्य हैं उन्होंने यह गलती की कि उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की, जब कि उन्हें कोई पावर डेलिगेट नहीं किया गया था । माननीय मंत्री जी को स्वीकार करना पड़ा कि यह गलती है । तो मेरे खयाल से माननीय सदस्य, अलीगढ़ के खिलाफ बहुत स्पष्ट है कि वे ब्रीच आफ प्रिविलेज में आते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है या आप उनके खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज लाना चाहते हैं ? इससे ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होता है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

*श्री प्रतापसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संकल्प हमारे सामने प्रस्तुत है, मैं सरकार की नीयत पर या माननीय मंत्री जी की नीयत पर कोई हमला नहीं करना चाहता हूं । इसमें साफ लिखा है कि कुछ कारणवश समिति को यह कार्य करने में अधिक समय लगेगा । मैं माननीय मंत्री जी से अदब के साथ आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि वे कुछ कारण क्या हैं ? यह केवल एक सदन की कमेटी नहीं है, यह पूरे लेजिस्लेचर की और हाउस की कमेटी है और यह भी इत्तफाक है कि इस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मंत्री जी स्वयं हैं और दोनों सदनों ने इस काम को उनको सौंपा था, मैं उसके सदस्यों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता । हमारी जो जनतंत्र प्रणाली है उसके अनुसार सदन ने इस कमेटी को बनाया था और मंत्री जी को इस कार्य को १८ अगस्त तक पूरा करना चाहिये था, लेकिन वह कार्य नहीं हुआ । मेरे पास इस समय वह कोटेशन नहीं है जिसके अनुसार यदि कोई मंत्री अपने काम को ठीक से अन्जाम नहीं देता है तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता है । मैं ऐसी गुस्ताखी तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वह सहकारिता को प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं, उसको वह बल देना चाहते हैं तो इस तरह की देर लगाना उचित नहीं है ।

दूसरे, इस हमारी नियमावली के रूल २५८ में साफ लिखा है कि—अंग्रेजी का मेरे पास है, उसी से पढ़े देता हूं :

"Soon after a Bill has been referred to it, the Select Committee shall meet from time to time in order to consider the Bill and shall make a report thereon within the time fixed by the House".

मैं प्राविजो को छोड़ देता हूं । इसमें साफ कहा गया है कि समिति अपनी बैठकें कर के फौरन समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और सदन के सामने प्रस्तुत करेगी । १८ अगस्त तक का समय इसके लिये दिया गया था, मंत्री जी उसके अध्यक्ष थे और कोई होता तो ह मान सकते थे, लेकिन उनके द्वारा समय बढ़ाने की प्रार्थना समय बीत जाने के बाद करना रूल के भी खिलाफ है । जब समय १८ अगस्त तक था तो कचहरी की तरह यह अधिकार इसमें नहीं है कि अगर किसी दिन छुट्टी हो तो उसके अगले दिन मुकदमा ले लिया जायगा । यहां अगर १८ अगस्त को छुट्टी थी तो उससे दो दिन पहले जब सेशन चल रहा था उनको समय बढ़ाने की प्रार्थना सदन से करनी चाहिये थी । इसमें यहां परम्परा का प्रश्न है कोई अनफोरसीन चीज मंत्री जी के सामने नहीं थी तो वह १८ अगस्त से पहले इस प्रस्ताव को सदन के सामने क्यों नहीं लाये ?

आज सदन को समय बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है । मैं आपसे अदब के साथ कहूंगा कि आपकी कुर्सी हमारे अधिकार की रक्षा के लिये बनी है । अगर भविष्य में कभी ऐसी परम्परा बनी तो उससे प्रदेश की हानि होगी क्योंकि इससे ही जो हमारी कोआपरेटिव की नीति है जिसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बार म कहा गया था कि यह पंडित जवाहर लाल नेहरू की राय है, इसलिये हम ऐसा कर रहे हैं उसके भी खिलाफ जायगी और जो सहकारिता का आन्दोलन है उसको भी भारी धक्का लगेगा। इसलिये पार्टीबाजी के चक्कर में काम नहीं कर सके, आपस में लड़ते रहे और जिम्मेदारी की चीज को नहीं समझा, इस वास्ते इस तरह से गलत परम्परा डालना चाहते हैं और समय इसका बढ़ाना चाहते हैं। इस २५८ रूल में जो दिया हुआ है उसके अनुसार तो कार्य नहीं किया गया और जो इसका प्रोवाइजो है उसके अनुसार समय मांगते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से कारण थे कि १८ तारीख से पहले समय नहीं बढ़वाया गया। उनको हमेशा पार्टीबाजी में न पड़ कर सदन के काम को प्राथमिकता देनी चाहिये थी, क्योंकि यह सदन की समिति थी। यहां हम लोगों को पैसा मिलता है, मैं भी दस रुपया रोज लेता हूं; इसलिये हमें जनता का काम पहले करना चाहिये और इस लेजिस्लेशन के काम को प्राथमिकता देना चाहिये, लेकिन वह तो चुनाव और आपस के झगड़े और दूसरे मामलों को प्राथमिकता देते हैं। यह सहकारिता का प्रश्न है, इस प्रदेश की गरीब, भूखी जनता की उन्नति का सवाल है। जब नेहरू जी का आदेश है तो उसमें आप क्यों इस तरह से देर लगाते हैं? मैं चार्ज करता हूं कि इस तरह से सरकार अपने कर्त्तव्य से च्युत हो रही है। अन्त में मैं फिर कहूंगा कि मंत्री जी वह कारण बतायें कि उन्होंने यह प्रस्ताव, १८ अगस्त से पहले जब हाउस बैठा था, क्यों नहीं रखा।

श्री राजनारायण—मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन १८ अगस्त को प्रस्तुत होने वाला था। यह केवल प्रवर समिति ही नहीं है। तो जो संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि हो उसके संबंध में केवल इसी सदन में प्रस्ताव आने से दोनों सदनों के सदस्यों पर वह बाधित होगा या नहीं?

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का जो प्रश्न था उसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। केवल यह कह देना कि मैं नहीं समझता आपकी बात.....

श्री अधिष्ठाता—मैंने व्यवस्था दे दी कि वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैं उसकी इजाजत नहीं देता।

श्री सुरथबहादुरशाह—आखिर क्यों? दि चेयर इज देयर टु सेफगार्ड अस (The Chair is there to safeguard us)। (व्यवधान) केवल यह कह देना कि मैं नहीं समझता, ठीक नहीं है। हम किसको सुनाएं.....

श्री अधिष्ठाता—प्रिविलेज का मोशन अगर आप लाना चाहते हैं तब तो बात दूसरी है। व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। यह हाउस के सामने नहीं आया कि इजाजत नहीं दी थी। विशेषाधिकार की अवहेलना तब तक नहीं होती जब तक कि यह न साबित हो कि माननीय मलखानसिंह को इजाजत नहीं थी।

श्री सुरथबहादुरशाह—यह साबित हो गया कि नहीं थी। वह खड़े हो गये। फिर नवल किशोर जी खड़े हो गये.....

श्री अधिष्ठाता—मैंने व्यवस्था दी कि प्रिविलेज का सवाल यहां नहीं पैदा होता है और न व्यवस्था का प्रश्न है, क्योंकि हाउस के सामने यह नहीं आया कि मलखान सिंह जी को इजाजत नहीं थी।

श्री सुरथबहादुरशाह—माननीय मंत्री जी ने कह दिया और मान लिया तो यह स्पष्ट हो गया। मंत्री जी ने कहा कि उनसे गलती हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि उनकी पावर्स उनको डेलिगेटेड नहीं थीं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने भी कहा था कि मैंने कह दिया था। (व्यवधान)

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अधिष्ठाता—एक व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है, उस पर व्यवस्था हो जाने दीजिये ।

श्री मंगलाप्रसाद—अधिष्ठाता महोदय, इसमें काफी हीट नाहक पैदा हो गई । इसमें जो मांग हुई है वह कोई दो-चार महीने की नहीं हुई है ।

श्री अधिष्ठाता—सिर्फ प्वाइंट आफ आर्डर पर आप बोलना चाहें तो बोलें । (कुछ रुक कर) आपको प्वाइंट आफ आर्डर पर कुछ नहीं कहना है ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—मैं नियम २६२ का हवाला देते हुये यह बताना चाहता हूं:—

"*Procedure before Joint Select Committee*—The procedure before the Joint Select Committee will be the same as before a Select Committee and all rules relating to Select Committee with regard to the election of members and the appointment of Chairman of the Committee and presentation and consideration of its report shall *mutatis mutandis* apply to Joint Select Committee."

चूंकि यह सेलेक्ट कमेटी इस हाउस की मुकर्रर की हुई थी लिहाजा इस हाउस को अधिकार है कि समय-समय पर इसकी मियाद को बढ़ा सकता है रूल २५८ के मातहत, और इसकी इत्तला विधान परिषद् को दे दी जायगी । इसलिये यह जो मोशन पेश किया गया है मियाद बढ़ाने का वह आर्डर में है और मैं इस प्वाइंट आफ आर्डर को रूल आउट करता हूं ।

श्री राजनारायण—हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि उसमें इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये कि विधेयक ओरिजीनेट कहां करता है । आपने जो व्यवस्था अभी दी तो क्या इसका यह भी अर्थ लगाया जायगा कि जो विधेयक विधान परिषद् में प्रस्तुत हुआ और विधान परिषद् में ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में जाने का प्रस्ताव आया तो उस समय भी यहां प्रस्ताव आएगा ?

श्री अधिष्ठाता—जिस सदन में जो विधेयक उपस्थित होगा यह प्रश्न उसी सदन के सामने आएगा । चूंकि यह विधेयक इस सदन में उपस्थित हुआ था लिहाजा इसकी मियाद बढ़ाने का प्रस्ताव यहीं आएगा ।

श्री राजनारायण—यहीं हुआ था, यह जान लिया गया है, तब ठीक है ।

श्री सुरथबहादुरशाह—अधिष्ठाता महोदय, मैंने उसी से संबंधित यह अर्ज किया था और अब आपका यह कर्त्तव्य है कि आप बतावें कि जो हमारी कम्प्लेंट है वह अब आप कब सुनेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—उसको मैंने रूल आउट [कर दिया था ।

श्री सुरथबहादुरशाह—किस हिसाब से ? केवल कह देने से ?

श्री अधिष्ठाता—इसलिये कि वह यहां सदन में आया नहीं कि माननीय मलखानसिंह को अधिकार नहीं था ।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, कांसपिरेसी (cnspiracy) थी to deceive the House माननीय मलखानसिंह और माननीय नवलकिशोर जी के बीच मे, क्योंकि मिनिस्टर तो मौजूद नहीं थे, और इस फैक्ट की नोटिस मैंने श्रीमान् को दे दी थी । अब मैं श्रीमान् से प्रार्थना करता हूं कि उस बात को सुनने के लिये अब आप कब समय निर्धारित करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—मैंने इस ब्रीच आफ प्रिविलेज के मोशन को टेक अप नहीं किया इसलिये इसके लिये जाने का कोई सवाल उपस्थित नहीं होता ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, ब्रीच आफ प्रिविलेज का कोई मोशन नहीं था, न ब्रीच आफ प्रिविलेज का कोई मोशन होता है । उसकी कम्प्लेंट होती है और उसके ऊपर श्रीमान् को अधिकार है कि प्राइमाफेसी वह केस है या नहीं, निर्णय दें ।

जहां तक मैं समझ सका हूं कांसपिरेसी टु डिसीव दि हाउस (Conspiracy to deceive the House) हमारे सदन के नियमों और हमारे कांस्टीट्यूशन के मुताबिक सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है । मालूम यह हुआ है कि दो माननीय सदस्यों ने यहां यह बात कही कि उनको माननीय मंत्री ने अधिकार दिया था कि वे उनकी तरफ से सेलेक्ट कमेटी के समय बढ़ाने के प्रस्ताव को यहां प्रस्तुत करें । उन दोनों में ऐसा मतभेद हो गया कि किसको अधिकार दिया या उनमें से किसी को अधिकार नहीं दिया, इसलिये यह सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत बन जाती है कि इन दोनों माननीय सदस्यों ने इस सदन को चरका देने की साजिश की ।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मलखानसिंह)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, . . .

श्री अधिष्ठाता—मैं इस पर आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं । मैं इस पर आपको सफाई देने की इजाजत नहीं दे सकता, जब मैं उस क्वेश्चन को ले ही नहीं रहा हूं ।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—एक व्यवस्था के प्रश्न पर रूलिंग हो जाने दीजिये, तब आप दूसरा उठा सकते हैं ।

श्री सुरथबहादुरशाह—आप अपना निर्णय कर सकें . . . . .

श्री अधिष्ठाता—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री सुरथबहादुरशाह—जी, आप इस पर इजाजत तो दे चुके हैं पहले ही . . . .
श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, इस पर बोलने की इजाजत नहीं दी है मैंने ।

श्री सुरथबहादुरशाह—मैं इस पर एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं । जब हम बोलने के लिये खड़े हों तो कह दिया जाय कि आप बैठ जाइये और जब वह बोलने लगें तो आपने आज्ञा दी कि वह न बोलें . . . .

श्री अधिष्ठाता—मैंने प्वाइंट आफ आर्डर पर बोलने की इजाजत दी थी, ब्रीच आफ प्रिविलेज के सवाल पर बोलने की इजाजत नहीं दी ।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया उसके सिलसिले में मैं बताऊं कि वह शायद उस समय यहां उपस्थित नहीं थे । उनका प्रश्न कांसपिरेसी का नहीं था जिस पर मैंने व्यवस्था दी थी । उनका प्रश्न यह था कि माननीय मलखान सिंह जी को माननीय मंत्री जी ने इजाजत नहीं दी है कि वह इस प्रश्न को यहां उपस्थित करें । मैंने उस पर व्यवस्था दी थी । ऐसा कोई प्राइमा फेसी केस का सवाल यहां नहीं था क्योंकि मंत्री जी ने कहा था कि वे उनको इजाजत दे चुके हैं ।

अब आपने एक नया प्रश्न उठाया है कि कांसपिरेसी है । तो हाउस के सामने नवल किशोर जी का, मलखान सिंह जी का और माननीय मंत्री जी का, तीनों का स्टेटमेंट है, इसलिये उसके बाद कोई प्राइमाफेसी केस बनता नहीं है । इसलिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता ।

श्री राजनारायण—मैं एक सूचना चाहता हूं कि क्या आदरणीय मलखान सिंह जी इस बात को स्वतः स्पष्ट करेंगे कि उनको मंगला प्रसाद जी ने अधिकार दिया था या नहीं, और अगर दिया था तो कब दिया था।

श्री अधिष्ठाता—मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि मिनिस्टर खुद कह चुके हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। क्या राजवंश वाले ही आपकी रिफ्यूज (refuge) के अधिकारी हैं, हम लोग नहीं? ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है?

श्री अधिष्ठाता—कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, सहकारिता मंत्री जी ने इस विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत करने के लिये जो और अधिक समय मांगा है उसके औचित्य को मैं स्वीकार नहीं करता। जो उन्होंने भाषण दिया उसमें मुझे कोई ऐसा तर्क सुनने को नहीं मिला कि वह किन कारणों से समय के बढ़ाने की मांग करते हैं। जब कोई भी विधेयक के प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति में जाने की बात आती है तो एक टाइम का अनुमान होता है कि कितना समय इस विधेयक के लिये चाहेगा ताकि उस समय में वह प्रवर समिति से लौट कर सदन में आ जायगा। या तो उस समय के एस्टीमेट में गलती होती है, क्योंकि यह घटना नयी नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। या तो एस्टीमेट में गलती होती है जो मैं समझता हूं नहीं होना चाहिये। जितना मैक्सिमम समय चाहिये उतना एक बार ले लें जिससे समय के अन्दर चीज हमारे सामने आ जाय। इस गलत परम्परा का कहीं तो अन्त होना चाहिये। या फिर यह है कि एस्टीमेट ठीक होता है, उस विधेयक में जितना समय लगेगा उसको देख करके लिया जाता है, लेकिन बीच में मंत्रियों को गोलबाजी के कामों से फुर्सत नहीं मिलती कि पूरा समय दे सकें और कमेटी बैठती है, कुछ बातें हुईं और चाय पीकर उठ गईं, लेकिन विधेयक पर विचार न हो सका। या यह संदेह मुझे है कि कहीं यह हमारा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में जो प्रतिगामी शक्तियां और प्रतिक्रियावादी तत्व हैं, यही नहीं कि कांग्रेस के भीतर बल्कि बाहर भी, अपनी आवाज बुलन्द कर रहे हैं और संगठित भी हो रहे हैं, हदबन्दी, सहकारिता और स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ एक जबरदस्त आन्दोलन पिछले दो सालों से चला रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार एक के बाद एक घुटने टेकती चली जा रही है।

ऐसा लगता है कि सहकारिता बिल कोल्ड स्टोरेज में चला जायगा, क्योंकि आप देखें हम लोगों को जो कार्यक्रम मिला वह ८ सितम्बर तक का है जिसमें सहकारिता विधेयक की भी बात थी। दो दिन अविश्वास के प्रस्ताव में अधिक बढ़ गये, बहुत होगा तो ११, १२ तारीख तक सदन चलेगा। अब संदेह यह हो रहा है इस ढंग से कि यह विधेयक आयेगा ही नहीं इस सत्र में। परिणाम यह होगा, जैसी हवा है, चर्चायें हैं कि चुनाव के पहले यह आखिरी बैठक होने जा रही है और इसके बाद सियासी दंगल होंगे, तब उसके बाद ही हम लोग यहां बैठ सकेंगे। अगर यह बात है तो मतलब यह हुआ कि यह विधेयक १९६२ के चुनाव के बाद आयेगा और मैं समझता हूं कि यह हिन्दुस्तान की और अपने प्रदेश की प्रतिगामी शक्तियों के सामने मंत्री जी और उनकी सरकार ने जो घुटने टेके हैं उसका एक प्रमाण है और इस बिल को ऐसे ही टाल देना है ताकि चुनाव के पहले यह आये ही न।

इस कारण से मैं इसके औचित्य का समर्थन नहीं करता, मैं इसको अनुचित समझता हूं और इसका विरोध करता हूं और चाहूंगा कि जब मन्त्री जी जवाब दें तो बतायें कि कौन-सी ऐसी दिक्कतें पड़ गई जिनके कारण समय के अन्दर इस विधेयक को यहां पर पेश न कर सकें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—अधिष्ठाता महोदय, जो मैंने आपसे आज्ञा चाही थी पहले उसके आधार पर निम्नलिखित कठिनाइयां संविधान और नियमावली के अनुसार आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मुझे सिद्धान्ततः वैसे कोई आपत्ति इस माने में न होती कि इस विधेयक का समय बढ़ा दिया जाय कुछ दिनों के लिये बशर्ते कि इसी सत्र के अन्दर इस पर विवाद होना सम्भव होता और यह आश्वासन सरकार की ओर से दिया जाता कि इसी सत्र में वह इस विधेयक को यहां ला कर इसे पारित करा लेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जो हमारे नियम हैं वे हमें बाधित करते हैं संविधान के अनुसार कि हम किसी भी प्रकार जो प्रस्ताव मन्त्री जी ने रखा है उसे स्वीकार कर ही नहीं सकते और न वे पेश कर सकते हैं। श्रीमन्, आप देखें, पहले तो इसी संकल्प में लिखा है कि "एक प्रवर/संयुक्त प्रवर समिति को" ऐसी प्रवर समिति का हमारे नियमों में कोई प्राविधान नहीं है और मैं समझ रहा था कि मन्त्री जी इसको संशोधित करेंगे.....

श्री अधिष्ठाता—यह मिसप्रिंट है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—लेकिन उन्होंने ठीक नहीं किया। दूसरे आप देखें कि २५८ नियम में जो प्रथम परन्तुक है वह इस प्रकार है—

"परन्तु जब सदन ने प्रतिवेदन उपस्थापन के लिये कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से तीन मास समाप्त होने से पहले उपस्थित कर दिया जायगा, जिस तिथि को सदन ने प्रवर समिति को विधेयक निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था।"

इसके आधार पर तीन माह १८ अगस्त, १९६१ तक समाप्त हो गये। तो नियम के अनुसार जो संविधान के अनुसार बने हुये हैं, १८ अगस्त के पहले ही सदन में प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर देना चाहिये था और ऊपर भी लिखा है कि—

"विधेयक के प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के बाद शीघ्र ही प्रवर समिति विधेयक पर विचार करने के लिये समय-समय पर समवेत होगी और सदन द्वारा निश्चित समय के भीतर उस पर प्रतिवेदन देगी।"

यहां सदन ने समय निश्चित न भी किया होता तो भी तीन माह के भीतर तो प्रतिवेदन देना ही था। अब उस प्रवर समिति के सभापति यह रहे ही नहीं। वह प्रवर समिति ही नहीं रही। उसका काम तीन माह तक था, उसके बाद वह समाप्त हो गई। अब कोई नया प्रस्ताव हो कि नई संयुक्त प्रवर समिति को यह बिल रेफर किया जाय क्योंकि "मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" के आधार पर इसी प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिये। उसके पृष्ठ ५६५ पर यह लिखा है—

"*When Committee make no report*—The proceedings of a committee on a bill may be brought abruptly to a close by an order, "That the chairman do now leave the chair" ; or by a proof that a quorum is not present. The Chairman in such cases, being without instructions from the committee, makes no report to the House. A bill disposed of in this manner disappears from the order book, though it can be revived by an order of the House. When a committee on a bill is revived, its proceedings are resumed at the point at which they were interrupted—having been valid, and duly recorded in the minutes, until the chairman was directed to leave the chair".

तो यहां पर इस प्रकार की स्थिति है कि कमेटी ने अपना काम खत्म नहीं किया और उसका समय समाप्त हो गया। नियम के अनुसार तो अब हम कमेटी को रिकांस्टीट्यूट करें और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तब उसके पास इस बिल को प्रेषित कर सकते हैं तभी यह कार्य हो सकता है। पुरानी समिति को एक्सटेंशन देने का प्रश्न उठता ही नहीं और न उठ सकता है और, श्रीमन्, अगर आपने इस प्रस्ताव की इजाजत दी और इसमें इस प्रकार संशोधन न किया गया तो यह पार्लियामेंटरी पद्धति में एक गलत बात इन्ट्रोड्यूस करना होगा और मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो भूल हुई उसको इस प्रकार दुरुस्त नहीं किया जा सकता जैसा प्रस्ताव वह आज लाये हैं। कल को पार्लियामेंटरी पद्धति का जो इतिहास हमारे प्रदेश में लिखा जायगा उस समय इसे बिलकुल गलत ठहराया जायगा कि सदन ने इस प्रकार प्रस्ताव स्वीकार किया और पारित किया। इसलिये यह नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इसको वापस लेकर दूसरा प्रस्ताव लायें जो सही हो और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार हो।

श्री मंगला प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, जो सवाल अभी नारायणदत्त जी ने पेश किया है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वह इसी २५८ को फिर से गौर से पढ़ें तो मालूम होगा कि जहां तीन महीने की अवधि की बात है वहीं इसमें दूसरा प्राविजो भी दिया है। वह इस प्रकार है कि—

"Provided further that the House may at any time, on a motion being made, direct that the time for the presentation of the report by the Select Committee be extended to a date specified in the motion".

पहले प्राविजो में तीन महीने का समय दिया है। लेकिन दूसरे प्राविजो में अनलिमिटेड समय कर दिया है। इसलिये हाउस समय दे सकता है और जैसा यह है वैसे का वैसा ही रह सकता है। जहां प्राविजन न हो वहां तो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का उद्धरण आप दे सकते हैं, लेकिन जहां प्राविजन है वहां उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरा खयाल यह है कि यह बिलकुल क्लियर है और ऐसे ही मौके के लिये रखा गया है जैसा कि यह है। इसमें दो-तीन महीने की बात नहीं है। मैं कारण भी बता दूंगा।

मैं चाहता हूं कि १८ तारीख के पहले ही यह खत्म हो जाय। राजनारायण जी ने यह कहा कि समय नहीं था। यह बात नहीं है। हमने १०—११ घंटे रोज बैठकर काम किया है। जो माननीय सदस्य इस समिति के मेम्बर थे वे जानते हैं और वह नहीं कह सकते हैं कि इसके लिये समय दे सकते थे लेकिन नहीं दिया इसलिये नहीं हुआ। वाकया यह है कि सेलेक्ट कमेटी का काम खत्म हो गया है और हम १८ तारीख तक इसको पेश करने की आशा करते थे। लेकिन बात यह हुई कि बहुत से अमेंडमेंट हमने किये थे। उसके लिये हमने लीगल डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ा था। वहां से वे तैयार न हो सके, इसलिये हम मीटिंग न बुला सके, जिसमें हम दस्तखत वगैरह कराकर हाउस के सामने पेश कर देते। हमारी मंशा यह है कि ३१ तारीख तक यह चीज हो जाय। महीने दो महीने के लिये टालने की बात नहीं है। जिस समय यह आने वाला था उसी समय यह आ जायगा। अगर टालने की बात होती तो हम ४—५ तारीख की बात कहते। हमारी कोशिश है कि इसके पहले ही हो जाय। इसलिये यह इस प्राविजन में आता है। हमारी तरफ से १७ तारीख को ही स्पीकर साहब के पास लिख कर भेज दिया गया था और वहां पहुंच भी गया था। कहने का मतलब यह है कि कोशिश होते हुये भी नहीं कर सके। इसमें मेम्बरों ने काफी मेहनत की है। यह इस प्राविजन में आता है और कायदे के अन्दर है और मुझे आशा है कि हाउस इसकी आज्ञा देगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—अधिष्ठाता महोदय, मैं स्पष्टीकरण के लिये निवेदन कर दूं कि माननीय मन्त्री जी ने जो ध्यान दिलाया कि इस प्राविजो में "at any time" लिखा हुआ है वह तीन मास के भीतर के समय के लिये ही हो सकता है क्योंकि किसी भी समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का यह अर्थ लगा लेना कि तीन मास की लिमिट लगाने का अर्थ नहीं है, तो फिर तो साल भर बाद भी हो सकता है। उसका समय बढ़ाने से पहले, दो चीजें देखनी पड़ेंगी। नम्बर १, क्या यह सही है या नहीं कि प्रवर समिति का समय तीन मास तक ही था? और अगर तीन मास के अन्दर समय नहीं बढ़ाया गया तो प्रवर समिति का कार्यकाल १८ अगस्त को समाप्त हो गया। अब वह कार्य नहीं कर सकती। तो फिर जिसका कार्य काल खत्म हो गया, उसका एक्सटेंशन कहां से दें?

नम्बर दो—'किसी भी समय' का अर्थ या तो तीन मास लगाया जा सकता है या जिस दिन प्रस्ताव किया गया था कि उसके एक मास के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, उससे एक मास के भीतर 'किसी भी समय' का एक लाजिकल इन्टरप्रिटेशन होगा। आप तो हर प्रकार से विद्वान हैं, ऐडवोकेट हैं। 'किसी भी समय' का क्या अर्थ है, इस सम्बन्ध में मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा। सारे सेक्शन को एक ही कनफ्लिक्टी के साथ इन्टरप्रेट करना होगा, प्रवर समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया और तीन दिन बीच में आ गये, इनका क्या हो? तो इसमें दो प्रश्न हैं, जिन पर आपको व्यवस्था देनी है।

श्री मंगलाप्रसाद—मैंने अर्ज किया था कि कानून इस तरह से लागू नहीं होता। वह प्राविजो अलग है और यह प्राविजो अलग है। नियम २५८ का पहला प्राविजो अलग इनडिपेंडेंट है, दूसरा प्राविजो अलग इनडिपेंडेंट है, वह ऐसे ही मौकों के लिये है। हम चाहते हैं कि समय के अन्दर काम समाप्त हो जाय, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं जिससे हम समय के अन्दर समाप्त न कर पायें। तो ऐसी अवस्था में दूसरा प्राविजो काम को चलाने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि कोआपरेटिव बिल न पास हो तो इस तरह की कार्यवाही आप कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि दूसरा प्राविजो बिलकुल लागू है। और उसके अनुसार हम इस काम को कर सकते हैं। हमारी आप सब की कोशिश हो कि इसी सेशन में हम उस बिल को पास कर दें जो कि सब की मंशा है।

श्री त्रिलोकीसिंह—अधिष्ठाता महोदय, किसी कानून का अर्थ लगाने में दो सर्वमान्य सिद्धान्त हैं। एक तो यह कि अगर एक ही धारा के अन्दर कई हिस्से हैं तो उनके अर्थ एक दूसरे से असंगत न होने चाहिये। यह न हो कि एक का अर्थ दूसरे की काट हो।

दूसरी बात यह कि परन्तुक मूल धारा में जो प्राविधान है उसे सीमित करता है, उसको बढ़ा नहीं सकता। मैं आपके सामने मैक्सवेल का कथन प्रस्तुत करता हूं—"Proviso takes away something from the section" अगर माननीय मंत्री जी की बात को मानें तो जो नैनीताल जिले के माननीय सदस्य ने अपनी दिक्कत आपके सामने उपस्थित की है वह हल नहीं होती। "किसी समय भी" के माने क्या हैं? असली मामला यह है कि किसी समय भी, तीन महीने के बाद हो सकता है या उसके पहले होना चाहिये। मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि पूरी धारा का एक साथ अर्थ लगाना है। यह नहीं हो सकता है कि एक भाग किसी दूसरे हिस्से के विरोध में हो। उसके एक ही माने लगाने चाहिये। शुरू में लिखा हुआ है कि अवधि होगी तीन मास। प्रोविजो में लिखा हुआ है—तीन मास से भी अधिक समय बढ़ाया जा सकता है—जितना भी सदन चाहे। किन्तु समय के बढ़ाने का प्रस्ताव तीन महीने के अन्दर आना चाहिये। अगर यह परन्तुक न होता और अलग से धारा होती तो भी उसका अर्थ दूसरे में असंगत नहीं लगाया जा सकता है। जिसकी अवधि बढ़ाने का प्रश्न है उसके कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गई।

मैं मान्यवर से निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री को इस पर आग्रह नहीं करना चाहिये। इस सदन को यह अधिकार है कि जब कभी ऐसी दिक्कत आये तब तो ऐसा प्रस्ताव लाया जाय कि यह विधेयक उसी प्रवर समिति को पुनः निर्दिष्ट कर दिया जाय। ऐसी दशा में पन्द्रह दिन के बजाय तीन मास की मुद्दत मिल जायेगी। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा

[श्री त्रिलोकीसिंह]

कि माननीय मन्त्री ने जो तर्क उपस्थित किया है वह मूल धारा के अनुसार जिसकी अवधि को बढ़ाने का प्रयत्न है उसका सिलसिला हट गया है । इसलिये बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिये उसके बाद कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अभी माननीय मन्त्री जी ने अपने जवाब म यह कहा है कि २५८ के दूसरे परन्तुक का वह सहारा लेते हैं, लेकिन जो उनका मूल प्रस्ताव है वह २५८ के प्रथम परन्तुक से सम्बन्धित है। तो प्रस्ताव तो कहता है कुछ, और इन्टरप्रिटेशन लगाते हैं कुछ। माननीय त्रिलोकी सिंह ने जो बात कही वह भी हमारे पक्ष की है। दोनों को साथ-साथ लेकर अर्थ निकाला जाना चाहिये । लेकिन वह कहते हैं कि हम दूसरे का सहारा लेते हैं जबकि प्रस्ताव पहले का है । तो आप जैसा प्रस्ताव मूल है प्रथम परन्तुक का उसी को लेते हुये ही निर्णय दें ।

श्री राजनारायण—हमने जब माननीय अध्यक्ष यहां थे तो यह प्रश्न उठाया था कि ऐसा प्रस्ताव १८ के पूर्व आ सकता था और उसके बाद नहीं। उस समय इस पर जहां तक मुझे स्मरण है माननीय अध्यक्ष की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी । इसी बीच में माननीय नारायण दत्त जी का यह व्यवस्था का प्रश्न आ गया। इसने स्थिति को और स्पष्ट किया। मैंने जब १८ के पहले आ सकता था इस तर्क को प्रस्तुत किया था तो उस समय हमारी जानकारी में कुछ कमी थी। वह कमी यह थी कि जब यह सदन में विधेयक प्रस्तुत था तो मैं यहां उपस्थित नहीं था, उस समय मैं उत्तराखंड के दौरे पर चला गया था, तो मैं समझता था कि सम्भवतः १८ तारीख के लिये ही.....

श्री अधिष्ठाता—क्या आपका कोई प्वांइट आफ आर्डर है ?

श्री राजनारायण—जी हां, प्वाईंट आफ आर्डर है। प्वाइंट आफ आर्डर उठ चुका है, उसी के समर्थन में मैं बोल रहा हूं । उसी के समर्थन में मैं नये नुक्तेनजर को रख रहा हूं ।

मैं यह कह रहा हूं कि उस समय मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया था मगर मैं यह समझता था कि सम्भवतः १९ मई, १९६१ को यह प्रस्ताव में लिख दिया गया था कि यह १८ अगस्त को सदन में प्रस्तुत हो । तो उस समय हमने ज्यादा जोर नहीं दिया, मगर माननीय नारायणदत्त जी ने व्यवस्था के प्रश्न के द्वारा इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया और इसको सभी पक्ष ने मान लिया कि उस दिन कोई तिथि निश्चित नहीं थी, अगर तिथि निश्चित रही होती कि यह १८ तारीख को पेश होगा और १८ वर्किंग डे नहीं था तो भी आज वह सबसे बेहतर दलील ही है, मगर किसी प्रकार से वह पेश कर सकते थे। मगर यहां पर स्थिति स्पष्ट है कि "परन्तु जब सदन ने प्रतिवेदन उपस्थापन के लिये कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से तीन मास समाप्त होने से पहले उपस्थित कर दिया जायगा"। तीन मास की अवधि समाप्त होने पर नहीं, तीन मास समाप्त होने के पहले ही उपस्थित कर दिया जायगा । तो जो तर्क उठाया जाता है वह एक साधारण तर्क है । इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाय कि इस परन्तुक का आशय है क्या । आप कृपया अपनी कोई व्यवस्था देने के पूर्व इस पर विचार करने की कृपा करें। १८ तारीख के पूर्व आना, इसका निश्चित मत है कि तीन मास की समाप्ति के पूर्व यह प्रतिवेदन यहां पर उपस्थित कर दिया जायगा। अब ३ मास समाप्त हो गये। माननीय मंगला प्रसाद जी को कोई दिक्कत नहीं थी कि जब सदन इस तिथि के पहले चल रहा था तो उस समय वह प्रस्ताव ला सकते थे। १० को ले आते या ११ को ले आते और कह देते कि हम १८ तारीख को नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसकी अवधि १८ तारीख समाप्त हो रही है। इसलिये १८ तारीख के पूर्व ही इसको आना चाहिये था । मैं यह समझता हूं कि यदि सद्बुद्धि से इसका भाष्य किया जाय तो आज यह संकल्प इस सदन में उपस्थित नहीं हो सकता।

मैं मंगलाप्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वह अनावश्यक ढंग पर हठवादिता का परिचय न दें और कोई ऐसा सहारा न लें जिससे यह हमेशा के लिये एक रूलिंग हो जाय और इस बात

को लेकर इस संकल्प को लाने की कोशिश न करें। वह स्वत: कोई सुझाव दे दें कि इसको हम वापस ले रहे हैं। जैसा कि त्रिलोकी सिंह जी ने सुझाव दिया है उसका अनुसरण करके दूसरा प्रस्ताव ले आयें जिस पर हम इस समय विचार कर सकते हैं। ३ मास समाप्त होने के पूर्व ही यहां इसको आना चाहिये था न कि वह समय समाप्त होने पर। यह जो गलती हो गई है उसके निराकरण के लिये यह संकल्प उचित नहीं है और अब इसके बाद उस कमेटी का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—माननीय तिवारी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें उन्होंने दो प्रश्न सामने रखे हैं। एक तो यह है कि तीन महीने की अवधि समाप्त होने के पेश्तर इसको सदन में उपस्थित कर देना चाहिये था। दूसरे उन्होंने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला दिया है कि वह कमेटी भी खत्म हो जाती है। मैंने इससे सम्बन्धित कागजात भी देखे। सेलेक्ट कमेटी के रूल्स आफ प्रोसीजर अपेन्डिक्स III को अगर आप देखेंगे तो जो स्पीकर के डाइरेक्शन्स हैं उनमें रूल ६ के मातहत यह दिया हुआ है कि—

"Speaker to be informed of the progress in the work of Select/Joint Select Committee.—

(1) The Chairman shall keep the Speaker informed of the progress in the work of a Select/Joint Select Committee from time to time ;

(2) Wherever the progress of the Select/Joint Select Committee in regard to the Bill before them is such that there is likelihood of there being delay in the presentation of the report to the House, the matter shall be brought to the notice of the Speaker as soon as it becomes clear to the Chairman that such delay is likely to occur. The Chairman shall briefly state the circumstances which are responsible for such delay, his estimate of the time that it would take to complete the work and any other matter which, in his opinion, should be brought to the notice of the Speaker".

इसके मातहत चेयरमैन सेलेक्ट कमेटी ने स्पीकर महोदय को १७ तारीख को इसके बारे में रिपोर्ट दी कि इसका प्रतिवेदन तैयार नहीं है। उन्होंने उसी तारीख को एक संकल्प भी भेजा। तो उस पर स्पीकर साहब ने यह हुक्म दिया कि संकल्प की एक प्रति शुद्ध कर के २१ अगस्त की कार्य-सूची में शामिल करने के लिये निकाल ली जाय। तो मियाद खत्म होने के पेश्तर संकल्प स्पीकर महोदय के सम्मुख पेश कर दिया गया था, यह बात रेकार्ड्स से साबित होती है।

अब सवाल त्रिलोकी सिंह जी का यह था कि इन्टरप्रेटेशन आफ स्टैट्यूट्स कैसा होना चाहिये। इसका पहला सिद्धांत तो यह है कि इन्टरप्रेटेशन ऐसा होना चाहिये कि जिसके एब्सर्ड रिजल्ट्स न निकलें। अगर तीन महीने की मियाद ऐसे समय समाप्त होती हो कि जब सदन बैठ न रहा हो तो उसका मतलब बिलकुल खत्म हो जायगा और प्रवर समिति की मियाद बढ़ाने का संकल्प कभी नहीं आ सकेगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि ऐसे प्रेसीडेंट्स मौजूद हैं कि जिनमें मियाद खत्म होने के बाद भी हाउस के सामने मियाद बढ़ाने का मोशन आया है और हाउस ने उसे मन्जूर किया है, और इस सदन के अध्यक्ष को किसी मोशन पर आज्ञा देने का या उसे समाप्त करने का अधिकार हर समय मौजूद है।

अब प्राविजो का सवाल रहा। उसमें यह है कि अगर किसी प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश करने के लिये उस मोशन में तिथि मुकर्रर न हो तो प्रतिवेदन तीन महीने के अन्दर दिया जायगा और साथ ही यह प्राविजो भी है कि अगर कोई प्रतिवेदन समय के अन्दर प्रस्तुत न किया जा सके तो सदन से उसका समय बढ़ाने की मांग की जा सकती है। तो इसी के मातहत स्पीकर महोदय को इसकी मियाद बढ़ाने के लिये संकल्प दिया गया था और यह संकल्प यहां पेश किया गया है। चूंकि उस समय हाउस बैठा नहीं था इसलिये स्पीकर महोदय को हाउस

[श्री अधिष्ठाता]

के अख्तियार हासिल थे और उन्होंने अपने अख्तियार से आज के लिये इसको रखा है। इसलिये मेरी व्यवस्था है कि यह मोशन आर्डर में है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को १९ मई, १९६१ को निर्दिष्ट किया गया था। अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २५८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन १८ अगस्त, १९६१ तक सदन में उपस्थित होना चाहिये था। कुछ कारणवश समिति को यह कार्य सम्पन्न करने में अधिक समय लगेगा, अतः प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि उपर्युक्त नियम के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत ३१ अगस्त, १९६१ तक बढ़ा दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—५३,
विपक्ष में—८।)

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६०†

श्री अधिष्ठाता—अब माननीय स्वायत शासन मन्त्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(श्री चतुर्भुज शर्मा के खड़े होने पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में....

श्री अधिष्ठाता—पहले मोशन को आ तो जाने दीजिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या उसके आने से पूर्व व्यवस्था नहीं हो सकती?

श्री अधिष्ठाता—जब तक मोशन हाउस के सामने न हो, व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता।

स्वशासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० [The Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) (Second Amendment) Bill, 1960] पर विचार किया जाय।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अधिष्ठाता महोदय, और वह नियम २३ और २५ के अन्तर्गत है। यह जो बिल हमारे सामने विचार करने के लिये रखा गया है वह २५ अगस्त, १९६० को पुरःस्थापित किया गया था और आज अचानक में उस पर विचार करने के लिये यहां प्रस्ताव रखा जा रहा है। हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम २५ में यह है कि "असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत दिनों को छोड़ कर अन्य दिनों में अध्यक्ष की सम्मति के बिना सरकारी कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायेगा। सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेगा जैसा कि अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से विनिश्चित करें"। इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान माननीय अध्यक्ष की उस व्यवस्था की ओर भी ले

---

†२५ अगस्त, १९६० की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाना चाहता हूं जो उन्होंने इस विषय में दी थी। वह इन्टरमीडिएट अमेंडमेंट बिल की तिथि मुकर्रर करने के सम्बन्ध में थी और उसको अध्यक्ष महोदय ने कल के लिये स्थगित कर दिया था। उस विषय को लेकर राजनारायण जी ने व्यवस्था मांगी थी कि वह अचानक कैसे आ सकता है। अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दी है कि वह अचानक नहीं आ सकेगा, पहले हाउस को उसके लिये नोटिस दिया जायगा, तब आ सकेगा। उसी प्रकार का एक हमारे सामने यह बिल आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय अवस्थी जी को ज्ञात नहीं है कि ११ तारीख को उसका नोटिस दे दिया गया था कि यह बिल आवेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—हमारे पास जो कार्यक्रम है उसके अनुसार यह बतलाया गया है कि आज इन्टरमीडिएट एजूकेशन बिल पेश होगा।

श्री अधिष्ठाता—यह कौन-सी तारीख का कार्यक्रम है?

श्री मोतीलाल अवस्थी—१० अगस्त का।

श्री अधिष्ठाता—लेकिन ११ तारीख को एनाउन्समेंट कर दिया गया था कि २१ को यह आयेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह ११ तारीख को बताया गया है, लेकिन उसकी एक भी प्रति सदन में नहीं मिली। आपकी मेज पर जो प्रति है वही ऐसी प्रति है जो सदन देख सकेगा।

श्री अधिष्ठाता—आपका प्वाइंट आफ आर्डर निश्चित क्या है?

श्री मोतीलाल अवस्थी—प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि यकायक किसी बिल की इत्तला इस तरह से मिले तो किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं? इसमें संशोधन देने का मौका हमें आज ही मिल पाया है। हम इसको पढ़ भी नहीं पाये हैं। एक साल पहले यह हमको दिया गया था। अगर हमारे पास प्रतियां होंगी भी तो हमारे नगर में होंगी। बिना अपने स्थान पर गये हुये कैसे हम उसे प्राप्त कर के अपने विचार प्रकट कर सकेंगे? साथ ही साथ आज ही पारित हो रहा है और तीनों रीडिंग्स आज ही हो जायेंगी जबकि हमको मौका नहीं मिला है संशोधन पेश करने का।

श्री अधिष्ठाता—मोती लाल जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न रखा, उसमें पहले कहा कि उनको कापियां नहीं मिली हैं। आशा यह की जाती है कि जब यह पुरःस्थापित किया गया था तो जो कापियां मिली होंगी माननीय सदस्य उन्हें अपने पास रखेंगे। दूसरा प्वाइंट यह रखा कि पहले कार्यक्रम में शामिल नहीं था, लेकिन ११ तारीख को नोटिस दे दिया गया था कि यह २१ तारीख को पेश होगा। यह सही है कि ११ तारीख के बाद असेम्बली ऐडजर्न हो गई, लेकिन सदस्य तो दो दिन बाद तक रह सकते हैं। वह यहां रह कर अमेंडमेंट मूव कर सकते थे। लिहाजा मैं इस प्वाइंट आफ आर्डर को रूल आउट करता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मुझे बिल के बारे में अधिक अर्ज नहीं करना है। यह बिल उन थोड़ी-सी दिक्कतों को जो रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशन्स ऐक्ट में आयी हैं उनको दूर करने के लिये लाया गया है। जहां नये कस्बे हैं, या बड़े कस्बे हैं, उनमें कुछ बढ़ोत्तरी हो रही है। वाक़या यह है कि उनमें जो आस-पास के गांव हैं वह कस्बे में या शहर में शामिल हैं, लेकिन लेखपाल या पटवारी के रेकार्ड्स में जो रेवेन्यू के हैं उनमें वह गांव दर्ज हैं। इसलिये दिक्कत आ जाती है बिल्डिंग आपरेशन्स में। ये म्युनिसिपैलिटी जैसे गाजियाबाद आदि कस्बे इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं कि उनमें आस-पास के गांव भी शामिल हो गये हैं। तो सबसे मुख्य चीज यह है कि जहां यह इस तरह के गांव में लागू नहीं हो सकता था, जो परन्तुक था, वह निकाला जा रहा है।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

दूसरी माइनर चीजें हैं, जैसे प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी को डायरेक्शन्स देनी चाहिये थी कि किस तरह से काम हो। उसके लिये २ साल की अवधि थी, जिसे हटाना चाहते हैं। दूसरे, अगर कोई दुबारा मकान बनाता है तो उसे भी रेग्यूलेट करने की बात है जो पहले नहीं थी।

मैं समझता हूं कि सदन इस पर विचार करेगा।

श्री अधिष्ठाता—मोतीलाल जी अवस्थी का एक प्रस्ताव आया है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय। यद्यपि यह कायदे से पहले आना चाहिये था, लेकिन मैं इसकी इजाजत देता हूं।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं। यह सदन निश्चित करता है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। समिति अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे। समिति परिधि की भी वृद्धि कर सकेगी।

स्वायत्त शासन मन्त्री ने जो थोड़ी-सी बात इस पर कही उससे यह उन्होंने कोशिश की है कि यह बहुत छोटा-सा संशोधन है और थोड़ा-सा हेरफेर है। जब मूल विधेयक सदन में आया था तो हमने बहुत-सी मौलिक बातों को लेकर कुछ बातें यहां रखी थीं। यह अधिनियम हमारे लिये बहुत परिवर्तन लाने वाला होगा। आज हमारे सामने इसका दूसरा संशोधन आया है।

श्री रूर्मासह (जिला शाहजहांपुर)—सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—इस संशोधन में एक तो २ साल की अवधि को निकालने की बात है।

धारा ५ जिसमें यह लिया गया है, इस प्रकार है":—

> नियंत्रक प्राधिकारी सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करवें, जो धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के प्रचारित होने से २ वर्ष के पश्चात् न हो, निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के सम्बन्ध में, किसी विज्ञापित क्षेत्र के लिये ऐसे आदेश प्रचारित कर सकता है जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रचारित किन्हीं सामान्य आदेशों से असंगत न हों और जो आवश्यक समझे जायें, अर्थात्:—

निम्नलिखित आदेशों को प्रसारित करने की बातें करीब ८, ९ हैं। उनको मैं पढ़कर सुनाऊंगा जिससे मालूम हो जायगा कि यह अधिकारी कितना जिम्मेदार व्यक्ति होगा और कितनी बातों पर वह हस्तक्षेप कर सकेगा:—

> (क) किसी स्थल का भवनों के निर्माण के निमित्त टुकड़ों में विभाजन तथा वह रीति जिसके अनुसार ये टुकड़े भावी क्रेताओं अथवा पट्टेदारों को प्रदिष्ट किये जावें।
>
> (ख) सड़कों, खुली जगहों, उद्यानों, मनोरंजन स्थलों, स्कूलों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि की प्रदिष्टि अथवा संरक्षण,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(ग) किसी स्थल का नगरी अथवा उपनिवेश के रूप में विकास तथा वे निरोध एवं प्रतिबन्ध जिनके अधीन रहते हुए ऐसा विकास कार्य आरम्भ किया जाय अथवा संपादित हो,

(घ) किसी स्थल पर मकानों का निर्माण तथा भवनों के चारों ओर अथवा भवनों में रखी जाने वाली खुली जगहों के सम्बन्ध में तथा ऐसे भवनों की ऊंचाई तथा प्रकार के सम्बन्ध में निरोध तथा प्रतिबन्ध,

(ङ) किन्हीं स्थलों पर भवनों का पंक्तिबद्ध करना,

(च) किसी स्थल पर बनाये जाने वाले किसी भवन के उत्सेध अथवा सामुख्य विषयक वास्तुकला सम्बन्धी विशेषतायें,

इसी प्रकार से और भी हैं, और

अन्त में यह है कि अन्य कोई विषय जो किसी विनियमित क्षेत्र के उचित आयोजन के निमित्त अथवा ऐसे क्षेत्र में भवनों के अनियोजित (हैपहेजर्ड) निर्माण को रोकने के निमित्त आवश्यक हों।

इस प्रकार से आप देखें कि करीब १०, १२ ऐसे अधिकार हैं जिनके अन्तर्गत सभी तरह के परिवर्तन की सम्भावनायें, चाहे वे हैपहेजर्ड स्ट्रक्चर के बारे में हों या अन्य सभी अधिकार, उस अधिकारी को मिले हुए हैं। दफा ३ के अन्दर २ वर्ष के भीतर इस प्रकार की किसी आज्ञा को लगा कर अपने सुधार के खयाल से वह परिवर्तन करा सकता है। सरकार का संशोधन २ साल की बात को हटाकर असीमित काल रखने की बात कहता है। वह अधिकारी नोटीफाई कर सकता है कि इस एरिया के लोग इस प्रकार से बनाने के लिये बाध्य किये जावें। मैं असीमित अधिकार देने का विरोध करता हूं। सरकार ने कोई आवश्यकता इस परिवर्तन की नहीं बताई कि क्यों यह असीमित अधिकार वह रखना चाहती है। एक तरफ तो नियंत्रित अधिकारी को किसी एरिया को विज्ञापित करने के बाद अधिकार असीमित हैं और वह भी इस में असीमित काल के लिये बढ़ाने देना एक अनुचित कार्य होगा।

दूसरा संशोधन जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है वह धारा ६ में किया गया है। इस धारा में जो निर्माण का शब्द आया है उसको बदला गया है। उसमें यह है :—

"कोई व्यक्ति किसी विनियमित क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन प्रचारित आदेशों के विपरीत, यदि कोई हों, तथा नियत प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी स्थल का विकास-कार्य न आरम्भ करेगा और न उसे पूरा करेगा और न ऐसे क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण करेगा या कोई खोदाई करेगा या खोदाई बढ़ायेगा, और न ऐसे क्षेत्र में किसी सड़क से मिलने वाला कोई रास्ता बनायेगा।"

लेकिन इसमें सरकार ने जो अब बढ़ाया है वह इस प्रकार से है :—

"मूल अधिनियम की धारा ६ में शब्द 'निर्माण' के स्थान पर शब्द 'निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा उसमें सारवान परिवर्तन, रख दिये जायं।"

मूल अधिनियम में जो 'निर्माण' की परिभाषा दी गयी है वह बहुत विस्तृत है। उसमें जो परिभाषा दी गयी है वह इस प्रकार से है —

"किसी भवन के सम्बन्ध में 'निर्माण करने' का तात्पर्य सब से पहली बार भवन के बनाने अथवा किसी वर्तमान भवन को गिरा कर किसी नवीन अथवा पुनरीक्षित योजना के अनुसार उसके फिर से बनाने से है।"

यानी निर्माण में रिकंडीशनिंग भी आ जाता है। लेकिन यह सरकार पुनर्निर्माण शब्द को बढ़ा कर समझती है कि वह कोई नयी परिभाषा उसमें बढ़ा रही है। सारवान परिवर्तन भी उसमें आ जाता है। उसमें लिखा हुआ है :—

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

"किसी भवन के सम्बन्ध में सारवान परिवर्तन करने का तात्पर्य है किसी वर्तमान भवन में परिवर्द्धन अथवा किसी छत, खिड़की या दरवाजे में, यदि ऐसी खिड़की या दरवाजा किसी कमरे के प्रकाश तथा उपार्जन पर विपरीत प्रभाव डालता हो, अथवा किसी अहाते की दीवार में अथवा किसी भी रूप में स्वच्छता तथा जल निष्कासन प्रणाली में किसी अन्य परिवर्तन द्वारा परिष्कार का किया जाना और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं।"

ये दोनों ही शब्द उसमें पारिभाषित हैं। उनकी परिभाषा तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है।

अब तीसरा परिवर्तन जो सरकार करने की सोच रही है, वह मूल अधिनियम की धारा १८ (घ) में है। वह धारा इस प्रकार है :—

"इस अधिनियम में कोई बात निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होगी :—

(घ) किसी गांव के, जैसा कि वह राजस्व अभिलेखों में पारिभाषित हो, आवासित स्थल के अन्तर्गत भूमि पर भवनों का निर्माण।"

इसको श्रीमन्, निकाला जा रहा है। इसका असर हमारी बस्तियों पर क्या होगा, इसको हमें देखना है। इसके पहले धारा १८ (क) में श्रीमन्, कहा गया है :—

"(क) किसी भवन के रखरखाव, सुधार अथवा अन्य किसी परिवर्तन के निमित्त ऐसे निर्माण कार्य का किया जाना जिससे केवल भवन के भीतरी भाग पर ही प्रभाव पड़ता हो अथवा जिनसे भवन के वाह्य रूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़ता हो।

(ख) राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा मल निष्कासनों, मेनों, नलों, केबिलों अथवा अन्य उपकरणों को, जिसके अन्तर्गत तदर्थ किसी सड़क अथवा अन्य भूमि का तोड़ा जाना भी है, निरीक्षण, मरम्मत करने अथवा नये करने के सम्बन्ध में किया जाने वाला कार्य,

(ग) ऐसे भवन का निर्माण जो निवासगृह न हो, यदि ऐसा भवन कृषि के अनुसेवी प्रयोजनों के निमित्त अपेक्षित हो।"

मैं यह मानता हूं कि बहुत से काम विस्तार के इस प्रकार के हो रहे हैं जिनको 'हैपहेजर्ड वे' में कहा जा सकता है। लेकिन इस अधिनियम के जो उद्देश्य और कारण बताये गये हैं उनमें लिखा हुआ है —"यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित किया जाय : अतएव भारतीय गणतन्त्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

केवल नागरिक क्षेत्र के विकास के लिये ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये भी इस विधेयक द्वारा व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन आज होता यह है कि किसी सेलेक्टेड हिस्से को प्रख्यापित करके उसी में सारी योजनाओं को कंसेन्ट्रेट कर दिया जाता है। मेरा कहना है कि उन ग्रामीण हिस्सों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये जो कि पापुलेशन बेसिस पर या निर्धनता की बेसिस पर भी बढ़ते जाते हैं। क्योंकि उनका विकास नियमित रूप से नहीं हो पाता है। केवल गाजियाबाद की ही बात क्यों लें? जो नयी नयी बस्तियां बढ़ती जाती हैं, ऐसे विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी सरकार ध्यान दे और देखे कि उन हिस्सों में जो अव्यवस्थित रूप से तमाम काम बढ़ते जाते हैं वहां भी व्यवस्थित रूप से सब काम हों। लेकिन आज उधर ध्यान नहीं दिया जाता है। जिन कार्यों को करने में जनता स्वयं मजबूर है गरीबी की वजह से, स्थान की कमी की वजह से या परिस्थितियों की वजह से—बहुत से ऐसे गांव हैं जहां अछूतों को निचली जगहों पर जहां कि वाटर लागिंग होती है, व गन्दी जगहों पर बसना पड़ता है। मैं कहता हूं कि सरकार यह कानून उन पर भी क्यों न लागू करे, उन लोगों के लिये भी सरकार

ऐसी व्यवस्था क्यों न करे कि वे भी अपने मकानों का निर्माण साफ, ऊंची व स्वास्थ्यकर स्थानों पर कर सकें ? उनको ऐसी जगह दें जिससे उनको विस्तृत रूप से फैलने का मौका मिले। इसके लिये सरकार को नियोजित ढंग से कोई कदम उठाना होगा।

लेकिन आज केवल उन्हीं बस्तियों को सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है जो समृद्धिशाली हैं या जहां कई इंडस्ट्रीज हैं। आजकल बहुत से लोग गरीबी की वजह से शहरों में नहीं रह पाते, बहुत से लोग देहातों में रहना चाहते हैं, लेकिन वहां उनको रहने के लिये स्थान नहीं मिल पाता या मिलता भी है तो वह ऐसा स्थान होता है जो मनुष्यों के निवास के उपयुक्त नहीं होता है। उनको सहायता देना सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिये।

आज हमारे सामने जो विधेयक आया है वह किसी चीज का पीस मील सुधार करने के लिये है। इसमें जो मौलिक बातें हैं उनको हैपहेजर्ड वे में रख दिया गया है। इसको नियमित रूप से करने में सरकार को सहयोग देने के लिये मैं तैयार हूं बशर्ते कि वह केवल उन हिस्सों को ही न ले जो कि इंडस्ट्रियल हैं। हमने देखा है कि पिछड़ी जाति के लोग गांव के एक कोने में डाल दिये जाते हैं जिनको न तो गांव समाज की तरफ से मदद मिलती है और न सरकार का कानून ही उनको कोई मदद देता है। अब हम कहां जायं, किससे प्रार्थना करें ? मैं चाहता हूं कि सरकार उन स्थानों को भी नोटिफाई करे जो कि पिछड़े हुए हैं। लेकिन आज होता यह है कि सरकार केवल उन्हीं स्थानों को नोटिफाई करती है जिनको वह समृद्धिशाली समझती है।

हमने देखा कि कवाल टाउन्स में भी जो कारपोरेशन बने हैं वहां भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को जो अधिकार मिले हैं उनका ठीक से पालन नहीं होता है। उसका बहुत ही नाजायज फायदा उठाया जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो अथारिटी के नियत अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं। जो अनुचित निर्माण हो जाते हैं और लोग जानबूझकर बना लेते हैं, प्राधिकारी उनका कुछ नहीं कर पाते और जब निर्माण हो जाते हैं तो फिर वह बने ही रह जाते हैं और किसी तरह से भी वह अंकुश को मानने के लिये तैयार नहीं होते और जो कायदे कानून हैं उन का पालन न अधिकारियों की तरफ से और न निर्माण करने वालों की तरफ से होता है। हम इन बड़े-बड़े नगरों और महापालिकाओं के अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे हिस्सों में भी जिनके सम्बन्ध में गृह निर्माण बिल हमारे सामने आया है, उसमें भी तमाम गड़बड़ हो सकती है जब तक कि उसमें हर तरह के चेक्स न रखे जायं।

जब कभी भी हमारे यहां सरकार के अधिकारों की बढ़ोत्तरी की बात आती है तो सारी शक्ति लौट फिर कर नौकरशाही के हाथ में आ जाती है। अधिकारियों का जो रुख होता है उस के अनुसार वह काम करते हैं, सेवा करने का उन का रुख नहीं रहता, वह नहीं चाहते कि कार्य नियमित रूप से, उन्नति की दृष्टि से हो। उन का ध्यान अपनी बात के मनवाने में, अपनी प्रेस्टिज को कायम रखने में लगा रहता है, वह कभी कोई नया काम नहीं करना चाहते। आज सरकार की तरफ से यह बिल इस गरज से लाया गया है कि गाजियाबाद या वह दूसरे क्षेत्र जो नोटिफाई हो चुके हैं उनमें निर्माण का कार्य एक नियमित रूप से हो सके। इस सम्बन्ध में मेरे जिले कानपुर की तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा और वहां भी उन ग्रामों के कार्यों की तरफ ध्यान देना होगा और वह न केवल चेक करने की दृष्टि से ही बल्कि मदद करने की दृष्टि से भी। जो नये ग्राम बढ़ रहे हैं, जहां नये निर्माण हो रहे हैं और लोग करना चाहते हैं, वहां जो वह बनायें उसको केवल चेक करना या न बनने देने का काम ही सरकार का या अधिकारियों का नहीं है, बल्कि उनका काम यह भी है कि वह उनके निर्माण के कार्य में, उनके प्लानिंग में, अपनी तरफ से सहायता दें और कुछ व्यय भी करें। केवल दंड की ही व्यवस्था करना पूरा कार्य न होगा बल्कि सरकार को उन की इस में सहायता करनी चाहिये कि यह बस्तियां व्यवस्थित रूप से बसें।

इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि सदन इस पर ठंडे दिल से विचार करने के लिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करे जो देखे कि नगरों के पास के ग्रामों का जो विकास हो रहा है वह एक

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

ठीक व्यवस्थित ढंग से हो । बड़े-बड़े शहरों के पास आज बहुत आबादी बढ़ रही है, वहां पर उन नवीन गांवों की रचना इस तरह से होना चाहिये कि उनमें अनियमितताएं न हों । उनको महापालिकाओं को निर्माण और विकास के कार्य में सहायता देनी चाहिये, यह न हो कि वे केवल जो कुछ वह बनाने चलें उसमें चेक और अड़ंगे लगा कर ही अपना कर्तव्य पूरा समझ लें ।

कानपुर में कारपोरेशन बन गया और गांवों का तमाम क्षेत्र भी उसके अन्तर्गत आ गया, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, लेकिन वहां क्या हो रहा है यह मैं जानता हूं, सिवा इसके कि हाउस टैक्स बढ़ा है और कोई गांवों के भीतर सड़क या रोशनी का प्रबन्ध नहीं किया गया है, कहीं-कहीं तो मकान और चबूतरे काट कर सड़क चौड़ी की गई है । बाकी जो बड़े काम वहां होना जरूरी है उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है । उनकी मुसीबत और परेशानी तो कारपोरेशन के अन्तर्गत आने से और भी बढ़ गई है और वह महसूस करने लगे हैं कि अगर यह कारपोरेशन न बना होता तो अच्छा था और सोचते हैं कि अब यह खत्म हो जाय तो और अच्छा हो । यह महा नगर पालिकाएं खत्म हो जायं । मैं आशा करूंगा कि इस प्रकार का दुरुपयोग इस नये पास हुए अधिनियम के अन्तर्गत नहीं हो पायेगा और इसीलिये मैंने इसको प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव रखा है ।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह नहीं चाहता था कि इसमें कोई विवाद किया जाय, लेकिन इस विधेयक को और इसके एम्स ऐन्ड आब्जैक्टस को देखने से मालूम पड़ता है कि सरकार एक बहुत बड़ा अधिकार इस विधेयक के द्वारा लेना चाहती हैं । उन्होंने कहा है कि १९५८ के ऐक्ट में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि वह गांव में उन जगहों पर भी मकान बना सके जहां कि लोग रहते हों और जगह खाली हो । इसमें लिखा है:—

"*Section* 18—Nothing in this Act shall apply to—

(*d*) the erection of buildings upon land included in the inhabited site of any village as defined in revenue records" ;

१९५८ में यह ऐक्ट बना । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि १९५८ में जो लोग इस विधेयक को लाए होंगे उनका क्या मंशा होगा और आज सरकार किस मंशा से इस धारा को इस ऐक्ट से निकालना चाहती है या इतना बड़ा अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है ?

श्री अधिष्ठाता—संशोधन के पक्ष में बोल रहे हैं ?

श्री प्रतापसिंह—जी हां । जहां तक सरकार चाहती है कि गांवों में अच्छे मकान बनें, मैं इस स्पिरिट की तारीफ करता हूं और समर्थन करता हूं । लेकिन उस स्पिरिट का इस विधेयक में कहीं पता नहीं चलता है । इसमें यह भी नहीं लिखा है कि मकान बनाने का अधिकार किसको रहेगा । इसमें सेक्शन ६ में लिखा है कि जैसे-जैसे नोटिस दिया जायगा वैसे-वैसे बनते जाएंगे, लेकिन आज का जो विधेयक है इसके जरिये सरकार बहुत बड़ा अधिकार ले रही है । गांवों से आप परिचित हैं । मैं तो खास तौर से पर्वतीय गांव की बात कर रहा हूं । वहां जमीन कम होती है, सीढ़ीदार खेत होते हैं । वहां ट्रैक्टर नहीं चलते और माइग्रेटरी पाप्युलेशन होती है । होता यह है कि जो आदमी माइग्रेट होता है ६ महीने के लिये, तो जब वह लौट कर जाता है तो उसके मकान के करीब जो जगह खाली रहती है वहां, साग सब्जी लगा सकता है । इसके अनुसार सरकार जब चाहे तब खाली जगह को कब्जे में लेकर मकान बना सकती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । तो मकानों की व्यवस्था के लिये सरकार जो अधिकार ले रही है, इसमें यह साफ नहीं है कि कहां पर वह मकान बनाए जायंगे और क्या पालिसी होगी, किस तरह से बिल्डिंग को इरेक्ट किया जायगा । इसका पता इससे नहीं चलता है ।

इससे यह मालूम होता है कि जहां बसासत है गांव में वहां सरकार मकान बनायेगी । विधेयक छोटा है, लेकिन बहुत खोटा है। सरकार का मंशा इस विधेयक से जाहिर नहीं होता । श्रीमन्, सरकार वही है, विभाग वही है, आदमी के बदलने से मैं सरकार का बदलना नहीं मानता हूं । कांग्रेस गवर्नमेन्ट १९५८ में एक विधेयक लाई और आज वही सरकार और विभाग—मुझे बड़ी हंसी आई, माननीय विचित्र नारायण .....

श्री मोतीलाल अवस्थी—कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जिस समय यह बिल उपस्थित किया गया था उस समय मैं नहीं था, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी ने उस समय अपनी मंशा को जाहिर न किया हो तो अब कृपा करके उसे कर दें ।

इसके उद्देश्य और कारणों के मुताबिक यह पावर तो विलेज के लिये लेना चाहते हैं, लेकिन उसी में नीचे कहते हैं कि टाउन का डेवलपमेन्ट जरूरी है ।

"*Section* 8—No person shall undertake or carry out the development of any site in any regulated area or erect any building or make or extend any excavation or lay out any means of access to a road in such area except in accordance with the directions, if any, issued under section 5 and with previous permission of prescribed authority in writing.

Section 18—Nothing in this Act shall apply to—

* * * * *

(*d*) the erection of building upon land included in the inhabited site of any village as defined in revenue records,"

क्या विलेज का अर्थ टाउन भी होता है ? आप तो मान्यवर एक ऐडवोकेट हैं, आप ही बता दें । अधिकार तो उसके लिये भी लेना चाहते हैं, लेकिन जब १९५८ का विधेयक लाये थे उस वक्त इसको नहीं रखा था, हालांकि कांग्रेस की गवर्नमेन्ट ने ही उसको उस वक्त भी बनाया था और आज इसको इस तरह से दूसरे विधेयक के रूप में भी कांग्रेसी सरकार ही ला रही है । इससे सदन का समय व्यर्थ खर्च हो रहा है। अगर एकोनामी की बात होगी तो चपरासियों के लिये होगी, लेकिन इस तरह से रुपया बरबाद होगा । यहां तो सरकार नुकते के हेरफेर से जुदा से जुदा कर देती है । यहां पर वह समझते हैं कि टाउन के डेवलपमेन्ट के लिये यह विधेयक अधिकार नहीं देता और चूंकि जमीन इसके अन्तर्गत नहीं आ सकेगी इसलिये डेवलपमेन्ट नहीं हो सकेगा । लेकिन हम जानना चाहते हैं कि सरकार के पास कौन सा शब्दकोश है जिसके मुताबिक विलेज टाउन में आता है ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि १३ वर्ष की आजादी के बाद गांवों में सुव्यवस्था लाने की जो आवश्यकता है या पर्वतीय अंचलो और पूर्वी अंचलों में जो परेशानी है उसको हटाने के लिये सरकार क्या कर पायी है ? इसीलिये मैं समझता हूं कि इसकी परिधि बढ़ाई जाय और इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि गांवों में ८२ फीसदी लोग खेती करते हैं और करीब ७५ फीसदी से ज्यादा जनता गांवों में रहती है जिनके मकानों की व्यवस्था करना आवश्यक है । लेकिन इस विधेयक के हिसाब से तो गरीब के नहीं बनेंगे । अभी मैं माननीय गेंदा सिंह जी से कह रहा था कि उनके मकान के पास जमीन खाली है और माननीय गेंदा सिंह या उनके गांव वाले नहीं चाहेंगे तब भी लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा १६ के अनुसार कार्यवाही करके वह जबरदस्ती ले ली जायगी । तो इस विधेयक की क्या मंशा है, क्यों लाया

[श्री प्रतापसिंह]

गया है, कुछ समझ में नहीं आता। आज मंत्री जी ऐसा विधेयक लाते हैं कि हम गांवों के नक्शे को बदलना चाहते हैं, उनके जीवन में एक नई ज्योति प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो हम इसका स्वागत करते हैं। गांवों के विकास की सुव्यवस्था इसी मंत्रालय के अधीन है, लेकिन मंत्री जी को यह मालूम नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं तमाम योजनायें बन रही हैं, हाउसिंग सोसायटीज बन रही हैं, रुपया आ रहा है केन्द्रीय सरकार से हरिजनों के मकान बनाने के लिये, शारु, बोक्साओं के लिये, लेकिन किसके मकान बन रहे हैं? कहा गया हरिजनों की कालोनीज बनेंगी, कहां बन रही हैं कुछ पता नहीं। इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि उद्देश्य और कारण आपके सही हैं या जो संशोधन आ रहा है वह सही है?

इसको सेलेक्ट कमेटी में इसलिये भी जाना चाहिये क्योंकि इससे स्पष्ट नहीं है कि कौन सी जमीन कितनी खाली होने पर मकान के लिये लेना आवश्यक होगी। गरीब लोग हैं, एक खेत होता है उसमें वह हल नहीं जोत सकते और उसके पड़ोस में सब्जी पैदा करते हैं। पर इस विधेयक के अनुसार यह होगा कि यहां अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, अतः वह जमीन भी ले ली जायगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि भूखे पेट वालों को पहले खाना, कपड़ा दें तब मकान की बात सोचें। लेकिन सरकार उल्टा कर रही है। आजकल मकान के सारे निर्माण बालू की दीवाल पर होते हैं। यह सदन अगर बालू की दीवाल पर बना होता तो टूट जाता लेकिन यह तो पहले का बना हुआ है इसलिये टिका हुआ है आज तक। अगर आवश्यक था तो १९५८ में इसको क्यों नहीं लाया गया? गांवों में मकानों की इतनी आवश्यकता नहीं बढ़ी है, शहरों में तो बढ़ी है। गांवो में आवश्यकता इस बात की थी कि वहां की जो एग्रीकल्चरल इकोनामी फेल हो रही है उसको सबस्टीट्यूट करने के लिये लघु उद्योग खोलने चाहिये थे। अगर ऐसा होता तो हम आपकी मदद करते। लेकिन ऐसा न करके मंत्री जी मकान के लिये जमीन चाह रहे हैं। यह माना कि शहर वालों के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है पर उससे ज्यादा गांवों के लोगों के प्रति है जिनको आजादी के बाद कुछ लाभ नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस तरफ से इन मकानों के जोरये उन भूखे पेटों में नई रोशनी प्रज्वलित करेंगे? अतः मंत्री जी पहले बतायें कि इस विधेयक की क्या मंशा है? इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, मैंने भी बहुत समझने की कोशिश की कि सरकार को क्या दिक्कत आयी जिससे १९६० में इस अधिनियम में संशोधन करने के लिये सरकार को यहां आना पड़ा। कुछ दिन पहले १९६० में यह संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। प्रस्ताव उपस्थित करते हुए मंत्री जी ने यह जरूर कहा कि यह बहुत ही मामूली संशोधन है, पर इसकी क्यों जरूरत पड़ी यह बताने की तकलीफ उन्होंने गवारा नहीं की। माननीय प्रताप सिंह और अवस्थी जी ने भी——

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है। यह तीसरी दफा है और इस बारे में ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि अगर तीन बार कोरम न रहे तो सदन स्थगित कर दिया जाय।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री अधिष्ठाता—आपकी पार्टी के लोग भी तो उपस्थित नहीं हैं।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, कोरम पूरा रखने की जिम्मेदारी सरकार की है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदासिंह—मैं यह कह रहा था कि इसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत तो महसूस होती है, लेकिन इस सदन को सरकार वह आवश्यकता नहीं बतलाना चाहती कि उसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जरूरत कहां पड़ी। अगर यह जानने का मौका हमको भी होता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस बिल का समर्थन ही नहीं करते बल्कि इसको जल्दी से पारित करने की भी चेष्टा करते। लेकिन अब्वलन तो यह बिल जैसा कि आप देख रहे हैं, मालूम नहीं कब से कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है जहां से एकदम से यह निकला। तो दोनों बातें जो माननीय मोती लाल जी कहते हैं कि एक तो इसका स्कोप बढ़ाने का अधिकार दे दिया जाय और दूसरे कुछ विचार करने का अधिकार दिया जाय, पर अभी सरकार की तरफ से कहा जायगा कि नहीं, जल्दी है, इसको जल्दी पास किया जाय। मगर जो हमारे पुराने स्वायत्त शासन मंत्री थे, माननीय विचित्र नारायण जी शर्मा, उनके जमाने का यह बिल है और आज तक फुर्सत नहीं हुई कि इसको पास कराया जा सके। तो वैसे तो इसको पास कराने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन आज माननीय मोती लाल जी के प्रस्ताव के जवाब में मैं ऐसी आशा तो नहीं करता हूं, लेकिन यह जवाब होने ही वाला है कि जल्दी करनी चाहिये, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है।

माननीय मोती लाल जी बोल चुके, प्रताप सिंह जी बोल चुके और उनके बाद मैं खड़ा हुआ। पूरे सदन में कोई साहब खड़े नहीं हुए। मैं उनके लिये यह तो नहीं कहता कि इस बिल को समझ पनहीं पा रहे हैं, लेकिन मजबूरी कोई है जरूर जिसकी वजह से इस बिल पर बोलने में उनको कठिनाई हो रही है। ट्रेजरी बेन्च की यह तो हालत है। माननीय स्वशासन मंत्री जी ने इसको श किया है और उनका भाषण आपने सुना ही है तो हम लोगों की बड़ी मुश्किल है। इस विधेयक को इतना सीधा-सादा और सरल बनाकर हमारे सामने रखा गया है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं और सोचते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत पेचीदगी अवश्य होगी। यह समझ में आने वाली बात नहीं है। हमें अंधेरे में टटोलना पड़ता है। श्रीमन्, इंडस्ट्रीज सारे प्रदेश में बढ़ रही हैं और कहीं कुछ बड़े लोगों की इंडस्ट्री के पास कोई टाउन नहीं है और किसी गरीब आदमी की जमीन पड़ती है जिसको दूसरी तरह से नहीं निकाला जा सकता है, तो इसके लिये इस तरह से गुंजाइश होगी और उनके हक में वह जमीन हो जायगी। श्रीमन्, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं अंधेरे में टटोल रहा हूं। छोटे-छोटे कस्बों का विकास हो रहा है और उनके पास ग्रामीण लोग बसे हुए हैं तो सफेदपोशों के लिये गन्दे कपड़े पहनने वाले लोग परेशानी पैदा करते हैं।

दूसरी बात, मैं माननीय शर्मा जी की सेवा में निवेदन कर दूं कि आखिर लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में भी तो किसी जमीन के लेने का हमें अधिकार है और उसकी भी व्यवस्था है कि कानूनी कार्यवाही लम्बे अर्से तक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नोटिस कलेक्टर दे देगा कि तुम इस जमीन से अलग हो गये हो और वह अलग हुआ माना जायगा और मुआवजे के लिये वह कार्यवाही कर सकता है। लेकिन कब्जे के सिलसिले में उसको कोई अख्तियार नहीं है। जब सरकार के हाथ में यह अख्तियार है तो मैं नहीं समझता कि इसके लाने की क्या जरूरत है। मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है और मंत्री जी ने भी कुछ नहीं बताया है। इसीलिये मैंने अंधेरे में टटोलने वाली बात कही।

मूल अधिनियम में आप देखेंगे कि जहां यह कहा गया है कि इसके दूसरे खन्ड में यह है कि—

"किसी भवन के संबंध में 'सारवान परिवर्तन' का तात्पर्य है किसी वर्तमान भवन में परिवर्तन अथवा किसी छत, खिड़की, या दरवाजे में, यदि ऐसी खिड़की या दरवाजा किसी कमरे का प्रकाश तथा उपवीजन पर विपरीत प्रभाव डालता हो अथवा किसी अहाते की दीवाल में अथवा किसी भी रूप में स्वच्छता तथा जल निष्कासन प्रणाली में किसी अन्य परिवर्तन द्वारा परिष्कार किये जायं और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित है"—

श्रीमन्, इस निम्नलिखित के (६) को मैं पढ़ रहा हूं। इसमें यह है कि "किसी भवन अथवा उसके किसी भाग को वैश्यालय, मदिरालय अथवा द्यूतालय अथवा ऐसे ही किसी रूप में परिवर्तन, यथा।" इसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी रूप में परिवर्तन किया जायगा।

[श्री गेंदा सिंह]

मदिरालय की बात तो समझ में आती है कि जब शराब की दुकानें चलती हैं तो उनके लिये जगह तो चाहिये ही। लेकिन वैश्यालय की बात समझ में नहीं आती है। इसके प्राविजन करने के लिये सरकार को क्यों जरूरत पड़ी ? इस मूल अधिनियम की धारा २ (६) को देखने पर शक होता है और यह भी शक होता है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसको पूरी तरह से नहीं देखा होगा। मैं तो ऐसा समझता हूं कि वैश्यालय के गुंजाइश की बात उनके सामने आती तो वह इससे इंकार जरूर करते कि हम इसको अपने हाथ से, अपनी कलम से नहीं करेंगे। तो मेरी अपनी धारणा यह है कि इस तरह से अंधेरे में यह सारे विधेयक आते हैं। अगर ऐसा होता कि गांव जल गये होते और उन गांव वालों को फिर से बसाने की बात होती, तो ठीक था क्योंकि गांव में फूस की झोपड़ी होती हैं, वह जलने से सारी खत्म हो जाती है। उसके बाद इस बात की जरूरत होती है कि प्लांड वे में गांव को आबाद करवाया जाय। या मान लें कि एक गांव बाढ़ से बरबाद हो गया तो उस गांव वालों को दूसरी जगह बसाने की जरूरत है, तो उसके लिये भी ऐसी बात हो सकती है कि उनको प्लान्डवे में बसा दिया जाय। लेकिन उस ग्रामीण आबादी में कोई परिवर्तन हम आज नहीं देखते हैं उनको झोपड़ियों तक के लिये जगह नहीं मिलती। किस तरह से नाबदान का पानी घर से निकल कर जा सके, गांव में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, उसको किस तरह से गांव से निकाला जा सके, इसके लिये कोई योजना नहीं है जिसके मुताबिक गांव का पुनर्निर्माण कर सकें। लेकिन वेश्यालय के निर्माण के लिये यह बात सोची जाती हो, तो यह बात टालरेट करने के लायक नहीं है। हम समझते हैं कि वेश्यावृत्ति को खत्म करने के लिये, भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिये कदम उठाने चाहिये। भिक्षार्थियों के रहने के लिये तो कोई स्थान बनाने का सरकार प्रयास नहीं करती, लेकिन वेश्यालय बनाने जा रही है। वैश्यालय को देखकर बड़ी हैरत हुई। मंत्री जी ही बताएं कि किस लिए वेश्यालय का प्राविजन किया गया ? मदिरालय तक की तो बात समझ में आती है कि उसकी कहीं जरूरत पड़ सकती है।

एक बात और। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार खूबसूरती पसन्द है। लेकिन आगे की ही खूबसूरती पसन्द करती है, पीछे गंदा से गंदा पड़ा रहे उसकी कोई चिन्ता नहीं। चार-बाग से चलने के बाद हजरतगंज होते हुए गोमती के किनारे तक चले जायं, सड़क के दोनों तरफ खम्भे लगे हुए हैं। उनमें फूल के कुछ डिब्बे लगे हुए हैं। कोई बम्बई में ताज होटल तक चला जाय, दिल्ली में इंडिया गेट तक चला जाय, और लखनऊ में चारबाग से कार्लटन होटल तक चला जाय, दोनों तरफ खंभों में कुछ फूल लगे हुए हैं वह इसे देख कर उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा समझ लेगा। ऐसी खूबसूरती पसन्द हम लोग नहीं हैं। हम समझते हैं कि कुछ मोटा-मोटा काम हो और कुछ ज्यादा पैसा लग जाय तो विधान का भी सदुपयोग हो सकेगा।

आज हरिजन बिना भूमि का है। उसके पास मकान भी नहीं है। माननीय स्वशासन मंत्री सिर्फ स्वशासन मंत्री नहीं हैं, वह एक संगठन के आर्गेनाइजर भी हैं। इसलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं। आज बड़ी चर्चा है फैमिली प्लानिंग की। हर आदमी जिसको रास्ता चलना नहीं आता वह हम लोगों को रास्ता चलना सिखाता है कि बच्चा कम पैदा करने के लिये क्यों नहीं सिखाते हो। आबादी कम हो और सही तरीके से देश का निर्माण हो, यह कहना चाहिये। जब हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं और उनके मुंह से सुनते हैं तो हम भी कहते कि बड़ी अच्छी बात है, हम लोगों को भी कहना चाहिये। लेकिन उसके पास छोटी सी झोपड़ी है जिसमें वह, अगर बरसात हो, तो श्रीमन्, एक ही जगह सोते हैं और जाड़े के दिन में उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि एक ही बिछौने और एक ही ओढ़ने में वे सोते हैं। तो श्रीमन्, हमें तो बहुत ताज्जुब होता है कि फैमिली प्लानिंग बिलकुल उसके सामने उपहास होगा। कैसे फैमिली प्लानिंग वह करेंगे ?

यह विधेयक तो बहुत छोटा है, और मैं भी इस विधेयक पर बहुत बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने यह कहा कि खूबसूरती बढ़ाने के लिये कुछ जगह जरूरी है जसा कि इस बिल में कहा गया है कि कहीं पर शहर के किनारे जो गांव बसते हों उसकी जमीन को लेने के लिये और उसके

इर्दगिर्द की जमीन को लेने के लिये सरकार को अधिकार दिया जाना चाहिये । तो मेरे मन में शुबहा होता है कि सरकार जो है वह दिल्ली और लखनऊ की खूबसूरती बढ़ाने वाली सरकार है । इसलिये कहीं इस विधेयक के द्वारा दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग न हो जाय । इस दुरुपयोग के डर से माननीय प्रताप सिंह जी, या मैं, या सदन का और कोई माननीय सदस्य शंकित जरूर है क्योंकि ऐसा हुआ है ।

हमारे देश का किसान, हमारे देश का खेत जोतने वाला जमीन का मालिक इतना उदार है कि मैं समझता हूं कि उसके बराबर उदार इस देश में कोई दूसरा वर्ग नहीं माना जा सकता । आज आठ-आठ वर्ष हो गये मैं समझता हूं कि माल विभाग का काम भी शर्मा जी ने देखा है, उन्हीं के जमाने से आज आठ वर्ष से पब्लिक पर्पज के लिये निकली हुई जमीन की मालगुजारी आज तक वह दे रहे हैं, उसका मुआवजा नहीं मिला, उस पर वह खेती नहीं करते, इमारत वहां खड़ी है या नहर बनी हुई है या ट्यूबवेल बने हैं, लेकिन मालगुजारी आज भी उसकी उनको देनी पड़ रही है । अगर वह मालगुजारी न दें तो कुर्की और वारन्ट उनके नाम निकलता है । इसलिये मैं समझता हूं कि जो गांव वाले हैं उनसे किसी पुनीत काम के लिये, किसी विकास के काम के लिये भूमि लेने की आवश्यकता है तो वह कभी उसके लिये लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं ।

मैं एक बात अवश्य आपसे कहना चाहता हूं और माननीय शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि जो भूमि लेने का तरीका है अपने सूबे में वह बहुत ही गलत है और उसकी कीमत इतनी कम दी जाती है कि जो सारे भारत में कहीं नहीं होती । एक काश्तकार की जमीन अगर पूरी निकल गई तो उसको मरने के लिये पूरी छूट दे दी जाती है कि जाओ तुम मरो, उसके लिये दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं है । मैं इस अवसर पर उन किसानों की दुर्दशा का भी थोड़ा-सा वर्णन कर देना चाहता था जिसके लिये कि सचमुच आज मकान बनाने की कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता थी । इस बात की व्यवस्था करने की आवश्यकता थी कि उनको मकान बनाने के लिये जमीन दी जाय । उसके लिये अगर कोई विधेयक आता तो हम उसका स्वागत करते, उसके ऊपर जितना भी वक्त लगाया जाता, वह ठीक था । लेकिन इस पर ऐसा लगता है कि सदन का वक्त खराब किया जाय और एक शुबहा अलग रह जाता है कि कहीं सरकार इसका दुरुपयोग न करे । इसलिये मैं समझता हूं कि अवस्थी जी के प्रस्ताव को सरकार स्वीकर करेगी और सारी गलत फहमियों को दूर करने की चेष्टा करेगी ताकि इस विधेयक को पास करने में कोई दिक्कत न हो ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—(श्री चतुर्भुज शर्मा के बोलने के लिये खड़े होने पर) मुझे तो जवाब देने का मौका मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता—आप चाहेंगे तो मिल जायगा ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय अवस्थी जी ने काफी दिलचस्पी इस विधेयक में ली । और भी मेरे दो माननीय साथियों ने इस पर अपने विचार प्रकट किये । मैंने प्रस्ताव रखते हुये संक्षेप में जरूर कहा था लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि माननीय गेंदा सिंह जी उस समय यहां मौजूद नहीं थे। मुझको वह संशोधन क्यों लाना पड़ा यह कारण उस वक्त मैंने बताये थे । एक बुनियादी चीज जरूर मैं अर्ज कर दूं आपके जरिये से इस सदन में कि इस बिधेयक को कुछ समझने में गलती हो रही है । इस विधेयक की मंशा कोई जमीन लेने की नहीं है, लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में कोई तरमीम करने की बात यहां नहीं है । यह विधेयक अलग है । आपके यहां से जो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन्स आफ बिल्डिंग आपरेशन ऐक्ट लागू है, वह ऐक्ट और लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट अलग-अलग चीजें ह । बहुत-सी बातें जो प्रतापसिंह जी ने और भाई गेंदासिंह जी ने कहीं, मैं उनसे सहमत हूं और मैं भी उसी विचार का हूं । जमीन किसकी लेनी चाहिये । जिन लोगों की जमीन ली जाय उनको मुआवजा देना चाहिये, यह ऐसी बातें हैं जो अपनी जगह पर बिलकुल सही हैं और अपना वजन रखती हैं लेकिन इस बिल की चर्चा में वह चीज नहीं आती है । ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में हम महसूस करते हैं, लेकिन यहां पर उनका मौका नहीं है कि उन सब बातों की चर्चा की जाय ।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

यह विधेयक तो केवल बिल्डिंग बनने के मुताल्लिक है, ताकि नक्शा पास करके वे बनें । वह मकान इस तरह के बनें जिनमें हवा का रास्ता भी रहे । रोशनी का इन्तजाम हो । उन सब बातों को रेगुलेट करने की दृष्टि से यह विधेयक लाया जा रहा है । इस संशोधन के अन्दर लैंड एक्वीजीशन नहीं आता । हरिजनों के लिये जमीन देने या उनके लिये और कुछ करने का सवाल इसके अन्दर नहीं आता है । इसमें केवल बिल्डिंग बनाने की बात है कि बिल्डिंग कैसे बने । वही चीज इसमें आती है ।

जैसा मैंने पहले अर्ज किया था इसमें दिक्कत यह पड़ जाती है कि आज कस्बे बढ़ रहे हैं और शहर भी बढ़ रहे हैं । गांव शहर में शामिल हो गये हैं । वह शहर वाले हो गये हैं, लेकिन लैंड रेवेन्यू के कागजात में और माल के कागजात में गांव दर्ज है । वहां पर डेवलपमेंट का काम करने में दिक्कत है । जिस तरह से वहां पर मकान बनने चाहिये वे नहीं बन रहे हैं । सिर्फ इतनी बात है ।

गेंदासिंह जी ने कहा था कि गांव में हरिजनों के लिये कोई बिल्डिंग की योजना नहीं है कि कैसे उनके मकान बनें और सही तरीके से बनें । इस सरकार ने आगे आनेवाली तीसरी पंचवर्षीय योजना में काफी धन रखा है कि हरिजनों के लिये कालोनी बनाई जायं, कस्बों में बनाई जायं और गांव में भी बनायी जायं और वहां मकान बनाकर गरीब लोगों को और कम आमदनी वालों के लिए दिये जायं । इस विधेयक के अन्तर्गत जो संशोधन रखा गया है और जो उनका मंशा है वह सही है और उसकी इसमें गुंजायश है । वह चीज हो सकती है और वे रेगुलेट किये जा सकते हैं कि वे कालोनी (बस्ती) कैसे बनें और कैसे उनका काम हो । जो असल प्रस्ताव अवस्थी जी का है उससे कोई खास बात नहीं पैदा होती । उन्होंने यह कहा कि हमारा इतना बड़ा विधेयक होना चाहिये था । वह चीज इस समय आती नहीं है । जो संशोधन सामने है उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन उसके लिये कोई सुझाव नहीं आया कि फलां-फलां संशोधन इसमें होता तो उससे यह अच्छा विधेयक हो जाता या वह सही हो जाता । उन्होंने और बातें कहीं जो इससे सम्बन्धित नहीं हैं । जिन चीजों का सम्बन्ध इस संशोधन विधेयक से नहीं है उन चीजों को प्रवर समिति भी नहीं कर सकती है । तो फिर प्रवर समिति में जाने से कोई लाभ नहीं होगा । गेंदासिंह जी ने जो चीज चाही है लैंड एक्वीजीशन की या और कि कैसे गांव बनें वह प्रवर समिति नहीं कर सकती है । इसमें जो संशोधन है उसी पर विचार होगा, चाहे वह सदन करे या प्रवर समिति करे । उससे अलग कोई संशोधन नहीं हो सकता । जो चीज इससे अलग है वह मानी नहीं जायगी ।

अभी गेंदासिंह जी कह रहे थे कि यह सदन का वक्त बर्बाद किया जा रहा है । मैं तो नहीं समझता कि यह बात सही है । मैंने अर्ज किया था कि इस बिल की जरूरत थी और वर्किंग में दिक्कतें मालूम हुई । कस्बों की बढ़ती हुई आबादी के कारण गांव कस्बों में शामिल हो जाते हैं और कानूनी तरीके से रेवेन्यू रेकर्ड्स में वे गांव दर्ज हैं, इसलिये हम बिल्डिंग रेगुलेशन्स वहां लागू कर सकें इसलिये यह विधेयक लाया गया है । या विलेजेज में जहां हम नई स्कीमें चला रहे हैं उनको अगर हम रेगुलेटेड एरिया डिक्लेयर कर दें तो वहां इसका निफाज हो सके इसलिये यह लाया गया है । जैसा गेंदासिंह जी ने फरमाया, जो गांव बाढ़ में बर्बाद हो गये, या किसी और कारण से बर्बाद हुये उनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये । चाहे वहां कच्ची झोपड़ी ही बनायें, लेकिन वह कायदे से बनें इसकी व्यवस्था होनी चाहिये या नहीं ? इस बिल के द्वारा वह व्यवस्था हो सकती है । अगर यह विधेयक आप नहीं मानते तो कोई और कानून नहीं है जिससे हम वहां सुधार कर सकें । इसमें हम प्रवर समिति में ले जा कर कोई इम्प्रवमेंट नहीं ला सकते । चाहे सदन का समय बर्बाद हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन अगर यह प्रवर समिति में गया तो उस का समय अवश्य बर्बाद होगा, इतना अवश्य मैं कह सकता हूं ।

भाई प्रताप सिंह जी ने कुछ बातें कहीं । मेरे खयाल में उनका जवाब हो चुका । उन्होंने कहा कि पहले जब ऐक्ट बना था उस समय आपने इसे क्यों नहीं सोचा । पहले यह क्यों रख दिया

था कि गांवों में यह नहीं लागू होगा ? बहुत से आदमी २ साल तो क्या ६ महीने बाद की बात भी नहीं सोच पाते । सही हो या गलत, लेकिन यह नामुमकिन है कि हम सारे गांवों में इसको लागू कर सकें । जहां-जहां कर सकते हैं वहां-वहां करेंगे और इसलिये हमने रखा है इसमें । जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी वह सरकार के अधीन होगी और उनकी डाइरेक्शन देने का काम हमारा है । जहां यह नहीं लागू होना चाहिये, वहां नहीं लागू होगा और जहां नई स्कीमें ली जायंगी, चाहे वह विलेज प्लानिंग में हों या टाउन प्लानिंग में, वहां हम इसे लागू कर देंगे । पहले यह विधेयक टाउन्स और म्युनिसिपैलिटीज से संबंध रखते हुये बनाया गया था और अब चूंकि कस्बों का विस्तार हो रहा है और जैसा गेंदासिंह जी ने कहा, हम भी चाहते हैं, कि भले ही वहां कच्चे मकान बनें लेकिन अगर बनें तो वह व्यवस्थित हों, कायदे के हों, और मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । उन गांवों में भी यह कानून लागू होगा ।

माननीय गेंदासिंह जी ने मदिरालय और वेश्यालय का जिक्र किया । मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह प्राहिबिशन ऐक्ट में होगा । इस अमेंडमेंट में नहीं है, और यह ऐक्ट पुराना है । उस पर माननीय गेंदासिंह जी को बहस करने का मौका मिला होगा और उन्होंने उसको पास किया होगा, लेकिन उसका मंशा यह नहीं है कि नये मदिरालयों या वेश्यालय के लिये कहीं प्राविजन किया जाय ।

ऐक्ट में मंशा जो है वह यही है कि बस्ती में मदिरालय या वैश्यालय अगर ऐसी जगह पर हैं जहां उससे ज्यादा न्यूसेन्स पैदा होता है तो उसको वहां से हटा कर किसी ऐसी जगह कर दें जहां न्यूसेन्स कम से कम हो । जो रेगुलेशन इस ऐक्ट में है उसका मंशा यह कतई नहीं है कि उसके लिये कोई नयी कालोनी बनाई जायेगी । यह बिलकुल नामुमकिन है ।

श्री प्रतापसिंह—वेश्यालय तो जारी रहेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं समझता हूं कि प्रतापसिंह जी इसके लिये जितने उग्र हैं उससे कम मैं नहीं हूं और यदि यह समाप्त हो सकते हों तो उसके लिये बड़ी से बड़ी कुरबानी करने के लिये तैयार रहने वाले व्यक्तियों में मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा । किन्तु केवल मेरे चाहने या आपके चाहने से ही कुछ होने वाला नहीं है और उसी से या ऐक्ट बना देने से ही यह समाप्त नहीं होंगे । जब तक हमारे समाज की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता या मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उसमें परिवर्त्तन नहीं होता तब तक वेश्यालय रहेंगे । यह चीज जो हम कर रहे हैं वह तो इसलिये है कि इन मदिरालयों पर या वेश्यालयों पर कुछ प्रतिबन्ध हम लगा सकें । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह चाहते हैं कि मदिरालयों पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय, जो मदिरा की दूकानें हैं उनके लिये कुछ घंटे नियत न किये जायं ? इस रेगूलेशन के मानी यह नहीं हैं कि कोई नयी कालोनी वगैरह मदिरालय या वेश्यालय के लिए खोली जाय ।

इसलिये जो संशोधन यहां पर रखा गया है और जो भी बातें कही गयी हैं, मैं समझता हूं, वह सब गलतफहमी के कारण कही गयी हैं ।

एक बात माननीय गेंदासिंह जी ने यह कही कि इससे गरीबों के मकान ले लिये जायेंगे और कुछ इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को बसाने के लिये उनकी जमीन ले ली जायेगी । यह सवाल तो वहां पैदा हो सकता है जहां पर कि इन्डस्ट्री बनाने के खयाल से कोई शहर बसाया जा रहा हो । लेकिन ऐसा है नहीं । जिन गांवों में इन्डस्ट्रीज होंगी नहीं वहां कैसे उनको बसाया जा सकेगा और गरीबों की जमीन लेकर दी जा सकेगी ?

गेंदासिंह जी ने एक बात खूबसूरती के बारे में कही, उसका मैं क्या जवाब दूं ? इसको तो हर व्यक्ति चाहता है । जो भी खूबसूरत चीजें बनी हुई हैं उन्हें हमें मेन्टेन करना चाहिये । हां, मैं गेंदासिंह जी की, उस बात से, सहमत हूं कि उस पर ऐसा खर्चा न किया जाय । जहां लाखों रुपया खर्च होता हो और उस रुपये को वहां न खर्च करके उससे कुछ गरीबों की परेशानियों

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

को दूर किया जा सकता हो तो जरूर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि उन्होंने खुशनुमाई वगैरह की, जो बात कही वह अपनी भाषा को खुशनुमा बनाने के ख्याल से ही कही है और उसमें कोई दलील नहीं है।

तीसरी चीज तो हरिजनों की बस्ती के संबंध में कही गयी उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिये ज्यादा से ज्यादा सुविधा जो हम दे सकते हैं वह दें। उनकी जमीन लेने की बात नहीं आयेगी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक हो सकेगा हरिजनों और गरीबों की अव्वल तो जमीन नहीं ली जायगी और यदि ली जायगी तो उसका मुआवजा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा, चाहे उसके लिये कानून में परिवर्तन भी करना पड़े, यदि आवश्यक हो, तो उनको दिया जायेगा। विस्थापित करने से इस अधिनियम का कोई संबंध नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं मोतीलाल जी के संशोधन का कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, विरोध करता हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि स्वायत्त शासन मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद मुझे भी कहने का मौका मिला, अन्यथा उनकी बहुत सी बातें जो उनके हृदय में थीं वह छिपी रह जातीं। उन्होंने कहा कि तीनों चीजें किस करह से आ सकती हैं? लेकिन मेरा संशोधन परिधि के बढ़ाने के संबंध में है। शायद उन्होंने मेरे संशोधन को सुनना गवारा नहीं किया। परिधि बढ़ाने के अन्तर्गत तो हम सभी बातों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि यद्यपि विधेयक के अन्तर्गत उन्हीं नगरों या गांवों के सुधार का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारी तरफ से उनके ऐसे भागों की तरफ ध्यान खींचा गया जो बड़ी ही हीन दशा में पड़े हुए हैं। गेंदासिंह जी ने और मैंने विशेषरूप से यह कहा कि केवल उन्हीं स्थानों को सुव्यवस्थित करने का प्रयास न करें जो आबादी बढ़ जाने के कारण या शहर नजदीक होने के कारण बढ़ गये हैं, बल्कि ऐसे स्थान जो यद्यपि बढ़े हुए नहीं हैं लेकिन उनमें आज बड़ी गन्दगी फैली हुई है और बहुत सी बीमारियां और अन्य चीजें पैदा हो रही हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए।

मंत्री जी ने बार-बार आश्वासन दिया कि हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं आता। अगर उनका ध्यान गया है तो क्यों नहीं अब तक उस संबंध में हमारे सामने कोई विधेयक लाये? आज वह स्वायत्त शासन के जिम्मेदार हैं और विशेष रूप से पंचायत के भी जिम्मेदार हैं, ऐसी हालत में उन गांवों को सुव्यवस्थित करने के लिये सब से प्रथम एक विधेयक लाना चाहिये था।

श्री रूमसिंह--श्रीमन्, उपस्थिति कम है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, यह तो नोट हो जाय कि ४ बार घंटी बज चुकी है।

श्री अधिष्ठाता--मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चार बार कोरम की घंटी बज चुकी है, यह उचित नहीं मालूम पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि आगे अब और घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, आजकल बरसात का महीना है। माननीय मंत्री जी किसी गांव में जाकर देखें और पैदल जायं तो उनको पता चल जायेगा कि गावों को पार करके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाना कितना मुश्किल है। ऐसी कोई गली या रास्ता नहीं है जहां से आप बिना अपने कपड़ों को तराबोर किये निकल कर जा सकें। इन गांवों की बुरी दशा को सुधारने के लिए सरकार कोई विधेयक नहीं लायी है।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह विधेयक तो जहां भी सरकार लागू करना चाहेगी, वहां हो जायगा, चाहे वह रुरल एरिया हो या अरबन एरिया हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इस विधेयक की मंशा ऐसी हो सकती है, लेकिन वह मंशा तो बालायेताक रख दी जाती है जब सरकार उसको कार्यान्वित नहीं करती है और रोना ही शेष रह जाता है। विधेयकों की मंशा तो अच्छी होती है, लेकिन सरकार उसको कार्यान्वित तो नहीं करती है।

गांवों में अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है। उनके पास या तो कोई निवास-स्थान नहीं है या उनके घरों का निर्माण अव्यवस्थित ढंग से होता है।

श्रीमन्, आपकी प्रक्रिया नियमावली में ऐसा दिया हुआ है कि जिस समय विवाद हो रहा हो, उस समय मंत्री जी को उस विवाद को सुनना चाहिये, आपस में विवाद न करें और न अखबार पढ़ें, लेकिन मंत्री जी अपने बगल में बैठे हुए दो सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप कैसे समझते हैं कि वे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? आप जारी रखें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, आश्चर्य यह है कि हम विरोधी पक्ष की ओर से उन गरीबों की तरफ से आवाज उठाते हैं, लेकिन वे हमारी उस आवाज को सुनने के लिये अनुत्साहित होते हैं अथवा सुनना नहीं चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार को इतना ज्यादा अभिमान क्यों आ गया है?

बहुत से गांवों में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको कहा जा सकता है कि वे सरकार का इशारा पाये हुए हैं या वे जबरदस्त हैं कि कानून का उल्लंघन करके, जो आम रास्ते हैं, उन पर अपना मकान बना लेते हैं। मुझे बताया गया कि पी० डब्लू० डी० की सड़कों के आगे भी बढ़ा कर लोगों ने मकान बना लिये हैं और उस विभाग वाले कहते हैं कि हमारे पास कानून होते हुए भी हम उन लोगों के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि परगनाधीश से उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। मुकदमे में शहादत देनी पड़ती है। इसलिये हम उन लोगों के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं ले पाते हैं जो एन्क्रोचमेंट करते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उनके इस कानून के बन जाने पर ऐसे निर्माण चेक हो जायेंगे? विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने और उसकी परिधि बढ़ाने से मतलब ही यही था।

श्री रूमीसिंह—श्रीमन्, कोरम नहीं है। अब यह पांचवीं बार है।

(घंटी बजायी गयी, इस समय ३ बज कर ४१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह पांचवीं बार है जब कोरम के लिये घंटी बजाई गयी है। एक ओर तो सरकारी एजेन्डा पर कोई बिजनेस नहीं है और दूसरी ओर पांच बार कोरम के लिये घंटी बजानी पड़ी है। मंत्री जी को आप इसके लिए हिदायत कर दें।

श्री अध्यक्ष—अब एक बार घंटी और बजायी जायगी, अगर फिर भी कोरम नहीं हुआ तो हाउस एडजर्न कर दिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, इसम हर्ज तो हम लोगों का होगा।

श्री अध्यक्ष—अगर आपका हर्ज होगा तो आप अपनी पार्टी के मेम्बरों को लाइये और कोरम पूरा रखिये।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, हमारी संख्या तो वैसे ही कम है।

श्री अध्यक्ष—आप की संख्या उनसे तिहाई है, उतनी तो रखिये।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं मंत्री जी से पूछ रहा था कि सड़कों पर जो लोग एन्क्रोचमेंट कर लेते हैं क्या उनके विरुद्ध इस कानून से कोई ऐक्शन लिया जा सकता है? मुझे स्वयं अपने गांव की बात मालूम है। वहां एक प्रभावशाली कांग्रेसी सज्जन हैं जिन्होंने पी० डब्लू० डी० की सड़क पर एन्क्रोचमेंट कर लिया है। पी० डब्लू० डी० के लोगों ने उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाही, लेकिन प्रभावशाली कांग्रेसमैन होने की वजह से वे उन पर मुकदमा नहीं चला सके। यह बड़ी दुःखद स्थिति है। क्या इसको रोका जा सकेगा?

यह विधेयक केवल उन्हीं बस्तियों के सुधार के लिये लाया गया है जो नयी हैं तथा जहां किसी प्रकार का रोजगार धंधा बढ़ रहा है। सरकार केवल उन्हीं के सुधार के लिए अपने हाथ फैला रही है। लेकिन हमारी तरफ से यह बात कही गयी कि ऐसी बस्तियां जो आबादी की वजह से या और तरह से निरन्तर बढ़ती जाती हैं उनकी नियमित व्यवस्था करने के लिये भी सरकार कोई कदम उठावे। या तो इसी विधेयक में इस तरह की कोई व्यवस्था कर दें या अगर आवश्यक समझें तो कोई दूसरा विधेयक ही लावें जिसमें इन सारी बातों का समावेश हो जो हमारी तरफ से कही गयी हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने गांवों के लिये भी कोई न कोई ऐसा कदम उठावें। हमारे स्वायत्त शासन विभाग व पंचायत विभाग का इससे विशेष सम्बन्ध है। उनका सब से पहले यह काम होना चाहिये था कि वे गांवों के निर्माण सम्बन्धी कोई विधेयक यहां लाते और गांवों के लिये कुछ न कुछ कदम उठाते, एक विधेयक लाकर नये नियमों के मुताबिक।

मैं यह भी बतला दूं कि दफा ६ में जहां पेनाल्टी की व्यवस्था की गयी है कि अगर धारा ६ में बतलायी गयी किसी अनुज्ञा का कोई उल्लंघन करे तो उसे १० हजार रुपये तक दंड देना होगा और उसके न मानने पर ५०० रु० प्रति दिन दंड देना होगा। आज सरकार की इस सारी शक्ति को लेते हुए देख कर मैं कह सकता हूं कि आप यह सारी शक्ति दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जनता को स्वतः अपनी मदद करने का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? आज होता यह है कि धनी मानी लोग ही कानून का उल्लंघन करते हैं और दंड भी दे लेते हैं और फिर आपस में मिल-जुल कर समझौता भी कर लेते हैं और फिर कानून का उल्लंघन करते हैं। वे व्यवस्थित रूप से निर्माण कार्य नहीं करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सरकार के अधिकार को कानून द्वारा बढ़ावें नहीं, बल्कि कहीं उसे मदद की जरूरत हो तो सहायक के रूप में उसकी मदद करने के लिये आगे बढ़ें।

विशेषतौर से श्री गेंदासिंह जी के एक लफ्ज के ऊपर बहस हुई, जहां उन्होंने मदिरालय व वेश्यालय का जिक्र किया था कि उन पर भी रोक होनी चाहिये। मुझे तो माननीय मंत्री जी का जवाब सुन कर बहुत ही आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि जो चीजें मौजूद हैं उन्हीं को हम किसी न किसी प्रकार से परिष्कृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार कर लिया कि समाज में मदिरालय व वेश्यालय का होना आवश्यक है। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि आज मदिरालय व वेश्यालय काफी तादाद में बढ़ रहे हैं तथा जगह-जगह चल रहे हैं। यानी सरकार ने अपनी कमी को स्वीकार किया है कि मदिरालय व वेश्यालय हैं जब कि इम्मारेल ट्रैफिक ऐक्ट के अनुसार वेश्यालयों का रहना अनियमित है। यह चीज किसी प्रकार से भी टालरेट करने वाली नहीं है, लेकिन आज सरकार

इस बात को मानती है कि बिना वेश्यालय के समाज चल नहीं सकता। इसी प्रकार से उन्होंने इस बात को बार-बार कहा कि मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों का सुधार होना चाहिये। लेकिन किस दिन, कब? आज वे सौभाग्य से बिना आम चुनाव के मंत्री हुए और वह भी चन्द दिनों के लिये, तो इस बीच में तो वे कोई काम करके दिखलावें और अपने दिल की बात करके दिखलावें। हमने जो सुझाव दिये हैं या तो उनको इसी विधेयक में सन्निहित करें, या कोई नया विधेयक ही सरकार लावे। और हमारा जो प्रस्ताव है वह अपनी जगह मौजूद है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार हो तथा उसमें तमाम बातों का समावेश किया जाय जो हमने आपके द्वारा यहां प्रस्तुत की हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और समिति अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे, समिति अपनी परिधि को भी वृद्धि कर सकेगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, २, ३, ४, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६०

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने के लिए

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा ५ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ५ में से शब्द तथा अंक "जो धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के प्रचारित होने से दो वर्ष के पश्चात् न हो" निकाल दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा ६ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ६ में शब्द "निर्माण" के स्थान पर शब्द "निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा उसमें सारवान परिवर्तन" रख दिये जाएं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा १८ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १८ में से खण्ड (घ) निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष—अब कोई संशोधन नहीं है इसलिये प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३, ४, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० [The Uttar Pradesh (Regulation of building operation) (Second Amendment) Bill 1960.] पारित किया जाय।

मुझे इस सम्बन्ध में अब कुछ अधिक कहना नहीं है, सारी बातें बहस में अभी आ चुकी हैं। यह विधेयक जैसा कि मैंने अभी कहा था बहुत जरूरी है यह देखते हुये कि जो कस्बे और शहर बढ़ रहे हैं और उनमें जो गांव सम्मिलित होते जा रहे हैं और उन गांवों में भी जहां हमें तरक्की के कार्य करने हैं और जहां एक नियोजित ढंग से काम होने हैं वहाँ कोई अड़चनें न पड़ें, इसलिये यह विधेयक लाया गया है। अभी जो बातें कही गईं थीं उन सब का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं और अब कोई खास नई बात कहने की मुझे जरूरत नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अब इस विधेयक को पारित किया जाय।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और उसके कारण मैं आपके द्वारा फिर सदन में रख दूं। इस विधेयक की सूचना ११ तारीख को आखिर में हमें दी गई कि यह आयेगा, प्रोग्राम के अनुसार २१ को आज इन्टरमीडियेट बिल आने वाला था। ऐसी हालत में इस विधेयक को हम अच्छी तरह से देख भी नहीं पाये। यह विधेयक पिछले साल २५ अगस्त, १९६० को पुरःस्थापित किया गया था। एक साल पहले के आये बिल को हम याद भी नहीं रख सकते, एकदम ११ तारीख को कह दिया गया आखिर में कि यह आयेगा। इसकी प्रति भी हम को नहीं मिल सकी, पिजन होल में भी नहीं मिली, एक प्रति किसी तरह से मिली। बार-बार कहा गया है कि सूचना लम्बी मिलनी चाहिये। आपने भी व्यवस्था दी है कि सरकार को विधेयक लाने के पहले कार्यक्रम काफी पहले से बता देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—११ को इसके बारे में सूचना दे दी गई थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, ११ को इत्तला मिल गई थी, लेकिन १२ से छुट्टी हो गई और सब घर जाने की तैयारी में थे और उसके बाद लौट कर समय न होने के कारण कोई एक भी संशोधन न दे सका और इसी कारण आज इस पर विचार भी नहीं हो पाया।

श्री अध्यक्ष—आपके विद्यार्थी आप को ऐसा ही जवाब देते होंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—ऐसी चीज के लिये विचार का काफी मौका मिलना चाहिये था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक था जिस पर हम काफी विचार करना चाहते थे, लाइब्रेरी में भी देखा तो कागज नहीं मिल सका और हम संशोधन नहीं दे पाये और सदन ने इस पर कोई विचार भी नहीं किया है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और इसकी आवश्यकता तब तक मैं महसूस करता रहूंगा जब तक कि इस पर विचार करने का काफी मौका सरकार नहीं दे देती है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने से सम्बद्ध २ अगस्त, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे और सदन को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर वाद-विवाद करने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, इस आदरणीय सदन के सदस्यों को ज्ञात है कि १९ मई, १९६१ को कांग्रेस सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा एक हिटलरशाही फर्मान निकाला गया जिसके अनुसार ३ हजार ८० चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को सेवा से मुक्त किया गया। और मान्यवर, यह भी आपके द्वारा हम सरकार से कहना चाहेंगे कि यह नियोजन का युग है, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य था कि जितनी बेकारी है वह कम की जाय। जिस समय अंग्रेज हिन्दुस्तान छोड़ कर गये और हमको राज्य दिया तो इस प्रदेश में १२ लाख लोग बेकार थे, लेकिन आज उनकी संख्या १९ लाख हो गयी। १९ लाख में से कुछ हजार कम करने के अलावा हमारी हुक्मरां पार्टी ने अपने हिटलरशाही फर्मान से ३ हजार ८० आदमियों को और बेकार कर दिया। जब यहां प्रश्न उठाया गया तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग जो अस्थायी थे या लीव वकेन्सी में थे उन्हीं को सेवा से मुक्त किया गया और दूसरी ओर यह भी कहा गया कि उनको काम दिया जा रहा है।

मैं इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांटता हूं। एक तो यह कि चपरासी किन लोगों से वापस लिये गये? उन लोगों से लिये गये जिनको २०० रुपये तक वेतन मिलता है। जो इंस्पेक्टर स्केल के लोग हैं, जिनको २०० रुपया मासिक मिलता है। जैसे शिक्षा विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं या सब-डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं, जिनको देहात में दौरा करना पड़ता है उनसे चपरासी ले लेने से उनको दिक्कत पैदा कर दी। अब क्या होगा? दो सौ रुपया पाने वाला व्यक्ति एक नौकर रखेगा तो रुपया कहां से लाएगा, यह मैं नहीं कहना चाहता।

जिस समय स्वर्गीय पं० गोविन्द वल्लभ पंत जी स्वराज्य पार्टी के नेता थे, जिस समय सब ने आजादी के लिये कुरबानी की उस समय अंग्रेजों ने भी हिन्दुस्तानियों को संतुष्ट करने के लिए इकोनामी की बात की थी कि हम चपरासियों को कम करना चाहते हैं। तब स्वर्गीय पन्त जी ने कहा था कि चपरासियों को कम करने से कोई बचत नहीं होती। चपरासियों को कितना वेतन मिलता है? २७ रुपया वेतन और ३३ रुपया डी० ए०, कुल ६० रुपये। उसमें उसके बच्चे भी होते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्य मंत्री जी भी यहां आ गये हैं। मैं कह रहा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

हूं कि मुख्य मंत्री जी के हिटलरशाही फर्मान ने ३ हजार ८० लोगों को बेकार कर दिया। हम समझते थे कि गुप्ता जी के चीफ मिनिस्टर होने के बाद जितने बेकार लोग हैं उनको नौकरी मिल जायगी। हुआ उसका उल्टा। यह केवल ३ हजार आदमियों का ही प्रश्न नहीं है। एक घर में तीन-तीन चार-चार सदस्य भी लगाए जायं तो इस तरह से १० हजार लोगों की रोटी छीन ली मुख्य मंत्री जी ने। वह बताएं कि जो ३ हजार ८० आदमियों को सेवाओं से मुक्त किया गया यह कौन सी बचत योजना के अन्तर्गत आता है? एक बार मुख्य मंत्री जी ने लोगों की हौसला अफजाई के लिये कहा था कि हम बहुत छोटी कैबिनट बनाएंगे क्योंकि हम बचत करना चाहते हैं। तो बचत का मतलब यह भी होता है पैसा कम से कम खर्च हो और लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें। यही नहीं कि मिनिस्टर और बड़े बड़े अफसर लोग कम से कम काम करें और वेतन ज्यादा लें और गरीब चपरासी काम ज्यादा करें और उन्हें नौकरी से अलग भी किया जाय।

श्रीमन्, यह मसला अहम है। यह गरीब का मसला है, जिसकी तरफ बोलने वाले बहुत कम हैं। इससे अधिक न कह कर माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर उनको काम दे रहे हैं तो उनको कब काम देंगे? मुझे व्यक्तिगत तजुर्बा ह इसलिये कि मुझे चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों के फेडरेशन का अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त है। हालत यह है कि पचीस-पचीस और तीस-तीस दिन से जिलाधीश के यहां चपरासी खड़े हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लखनऊ के चपरासी कल मुझे मिले थे, उन्होंने भी मुझसे कहा कि जिलाधीश के आदेश पर हम वहां भेजे गये, लेकिन जब कार्यालय में पहुंचे तो हमारे लिये कहा गया कि तुम्हारे लिये दरवाजा बन्द है, यहां मत आओ। कौन उनका रक्षक है? मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके वह कौन से अधिकारी हैं जिसके कारण यह हुआ कि चपरासी कम करो और इससे देश की योजनाओं में बचत होगी। मैं सरकार को चार्ज करता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में यदि कोई सब से पहले और बड़ा कदम लिया गया है तो वह यही है कि ३,०८० आदमियों को बेकार कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस योजना में लोगों की बेकारी को बढ़ाया जाता है उस योजना के प्रति लोगों की क्या श्रद्धा होगी?

इन शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह सदन को बतावें क्यों कि यह ३,०८० आदमियों का प्रश्न नहीं है, १० हजार लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, इसलिये वह स्पष्ट करें कि इन ३,०८० आदमियों में से कितने ऐसे थे जो अस्थायी थे, कितने स्थायी थे और कितने ऐसे थे जो लीव वेकेंसी में थे। यह भी बताने की कृपा करें कि जिन अफसरों से वह चपरासी वापस लिये गये उनका क्या इंतजाम होगा? आज भी सब-डिप्टी इंसपेक्टर आफ स्कूल्स को फाइलें रखनी पड़ेंगी, उनको दौरा करना पड़ेगा, उनके लिये एक्स्ट्रा भत्ते का प्रबन्ध आप कर नहीं पायेंगे तो उनका क्या होगा? कैसे उनका काम चलेगा? ३,०८० आदमियों के स्थान पर जो उच्च अधिकारी हैं उनको कम किया जाय न कि चपरासियों पर एकानामी का हथियार चलाया जाय। इसके लिये आप क्या कर रहे हैं? और यह भी बताइये, मैं दुहराना चाहता हूं कि इन ३,०८० आदमियों को निकाल कर आपने कौन सा एकानामी मेजर अपनाया है।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मलखानसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय प्रताप सिंह जी ने यह कहा है कि ३,०८० चपरासियों को कम किया गया है यह बात गलत है। जो आंकड़े हमारे पास हैं और जो इस वक्त तक हिसाब लगाया गया है वह १,८८३ है। उसमें २३१ आदमी तो ऐसे हैं जिनकी सरविसेज १ साल से कम की हैं और १,१०६ ऐसे हैं जो ३ साल से कम के हैं और ५४६ ऐसे हैं जो कि स्थायी हैं। इनमें से ५-८-६१ तक ६८७ ऐबजार्ब हो गये हैं, उनको सरविसेज मिल चुकी हैं और दो महीने के अन्दर सब को सरविसेज मिल जायेंगी।

इस सबका उद्देश्य केवल यही आदर्श स्थापित करने का था कि आज दूसरे मुल्कों में जैसे इंग्लैन्ड, फ्रान्स वगैरह हैं, वहां जो मंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह भी जब हा उस से निकलते हैं तो जो उनकी अपनी फाइलें होती हैं वे अपने साथ ले जाते हैं। तो असली उद्देश्य तो यह था कि १२० रुपये से लेकर ३०० रुपये तक के जो अधिकारी हैं, नौकर पाते हैं उनको क्या जरूरत है कि उनके साथ एक चपरासी लगे ? आपको यह मालूम होना चाहिये कि इस तृतीय पंच वर्षीय योजना में १,७५० पद चपरासियों के होंगे। तो यह कोई भी प्रश्न नहीं है, वह सबके सब ऐबजार्ब हो जायेंगे और किसी की छटनी का कोई सवाल नहीं हो सकता, कतई कोई सवाल आज भी नहीं है ।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यह सब बातें इसलिये नहीं की गयी हैं कि हम एक तरफ से लोगों के सामने कोई और उद्देश्य रखना चाहते हैं। हम आपके सामने सीधी-सीधी मिसाल रखना चाहते हैं । हम गरीबों की रोजी नहीं छीनना चाहते, हम गरीबों के लिये यह भी बतलाना चाहते हैं कि वे बड़े से बड़े आदमी की भी फाइलें उठाने के लिये नहीं हैं । हम सभी आदमियों के लिये बराबर की इज्जत रखते हैं, छोटे से छोटे आदमी की भी इज्जत रखते हैं और बड़े से बड़े पूंजीपति की भी इज्जत रखते हैं। मेरी जिन्दगी का सिद्धान्त भी यही है कि अगर कोई आदमी अपनी इज्जत चाहता है तो वह दूसरे की इज्जत न ले। मैं और हमारे यहां के सभी लोग चपरासियों की भी इज्जत करते हैं और उनको नौकरियों से निकालना नहीं चाहते । जैसा मैंने बतलाया है कि १,८८६ आदमी हैं उनमें से २३१ चपरासी ऐसे हैं जो एक साल से कम के हैं। उनके रहने न रहने का कोई सवाल नहीं है। जो ११०६ आदमी तीन साल से कम के हैं या जो ५४६ स्थायी हैं उनके भी निकालने का सवाल नहीं है उनमें से ६८७ आदमी ५ अगस्त तक ले लिये गये हैं और दो महीने के अन्दर और सब ले लिए जायंगे। इसलिये सरकार पर यह लांछन लगाना कि सरकार ने जो कटौती शुरू की वह छोटे लोगों से शुरू की यह सिद्ध नहीं होता। आपको मालूम होना चाहिये ७५ से ८० फीसदी तक इस राज्य में १०० रुपया या उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं। ऊपर की तनख्वाह पाने वाले २०, २५ फीसदी ही कर्मचारी हैं। उनके लिये भी कटौती शुरू होगी। जो बातें आपने कहीं हैं, इन तथ्यों को आप समझ लें फिर सरकार पर आक्षेप करें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मान्यवर, उपमंत्री जी के भाषण से प्रतीत होता है कि चूंकि हमारे यहां ७५, ८० फीसदी कर्मचारी छोटी तनख्वाह वाले हैं इसलिये जब कभी भी छंटनी होगी तो सब से नीचे वाले से शुरू की जायगी। इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा राज्य संचालन का ढांचा ऊपर से बोझिल है, टाप हेवी का यह मतलब नहीं है . . . .

श्री अध्यक्ष—आपको प्रश्न ही पूछना है।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं अर्ज कर रहा हूं। विलायत की मिसाल दी गयी है । उस सिलसिले में क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब वहां का प्रधान मंत्री अपनी मिसिल खुद लेकर चलता है तो क्या कारण है कि प्रदेश में केवल १२० से ३०० रुपये के अधिकारियों पर ही यह परम्परा लागू की गई है उससे अधिक वेतन वाले विलायत के प्रधान मंत्री के तरीके पर चलें इसका सरकार ने क्यों प्रबन्ध नहीं किया ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने जो सवाल किया वह एक उपयुक्त सवाल है । मुझे उस सिलसिले में कहना है कि जो नीति हमने प्रारम्भ की और जो नीति १२० से ऊपर वेतन पाने वालों के लिये अपनायी वह तो इस कारण थी कि सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के अन्तर्गत भी कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनके समकक्ष जो पहले से काम करते थे उन्हें तो चपरासी वगैरह मिल सकता है, लेकिन दूसरी योजना के अन्तर्गत

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जो एस० डी० आईज रखे गये उनको चपरासी वगैरह नहीं दिये गये। इसलिये जो नये आदमी काम कर रहे थे दूसरी योजना के अन्तर्गत वह बिना चपरासी के काम कर सकते थे, हम आदर्श के सिलसिले में एक प्रयास करना चाहते थे, क्योंकि इतने व्यक्तियों को तो हम नौकरी नहीं दे सकते थे, इसलिये हमने थोड़े रूप में इस बात का प्रयास किया कि जो लोग उसी क्लास के बिना चपरासी के काम कर सकते हैं तो जो अन्य व्यक्ति कार्य करें या पहले वाले व्यक्ति करते थे वे क्यों नहीं कार्य का सम्पादन बिना चपरासी के कर सकते हैं ? हमने एक शुरुआत की। आगे आने वाले वर्षों में . . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमन् एक व्यवस्था का प्रश्न है। आध घंटे का विवाद है जिसमें हमें भी प्रश्न करने का मौका मिलेगा। एक प्रश्न त्रिलोकी सिंह जी ने रखा है उसका उत्तर एक मिनट में दे सकते हैं। अगर इतना समय मुख्य मंत्री लेंगे तो हम सवाल कब करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--आप जब बोलते हैं कई प्रश्नों पर, और हर विधेयक पर तब आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं करता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप समय बढ़ायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--अगर मुख्य मंत्री जी कोई असम्बद्ध बात करेंगे तो मैं उनको भी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हमने एक नया प्रयास किया, उसके पीछे यह भी भावना है कि शासन के खर्चे में कमी लायें।

श्री अध्यक्ष--जितना आपने प्रयास किया उसके बारे में तो जबाब खत्म करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह मैंने बताया कि उनकी नौकरी क्यों खत्म की। दूसरा कारण यह भी था कि हमने इकोनामी की दिशा में काम करना प्रारम्भ किया। अपने प्रदेश में दुर्भाग्य से सौ रुपये से कम तनख्वाह वाले व्यक्तियों के ऊपर जितना खर्च होता है वह, जैसे मेरे पास आंकड़े है, करीब ८५-८६ फीसदी के है। इसलिये कभी अगर कोई एकोनामी का प्रोपोजल आयेगा तो वह उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा और जब बचत करेंगे तो उन व्यक्तियों में छटनी भी करनी पड़ेगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छटनी करने से ये व्यक्ति बेरोजगार होंगे हमने इस बात का प्रबन्ध रखा है कि जिन व्यक्तियों को हम निकालें उनको तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो नौकरियां हैं वे मिल जायं . . .

श्री अध्यक्ष--वह जवाब दे चुके।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--इस सरकार ने इस बात की व्यवस्था सोची कि कुछ सरकारी अधिकारियों के चपरासियों को कम किया जाय और उसके साथ-साथ यह भी सोचा कि उन चपरासियों को बेकार भी न होने दिया जाय, तो फिर इन चपरासियों को महीनों जिलों के हेडक्वार्टर्स पर रखने की क्या जरूरत है, क्यों नहीं इस बात की व्यवस्था की गयी कि जो चपरासी निकले, वह तुरन्त दूसरे काम पर चला जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--चूंकि योजना बहुत पहले से तैयार नहीं हुई थी, उसके तैयार करने में समय लगता है और यदि वे व्यक्ति वहीं काम करते रहते तो कदाचित वहां से वे छुटकारा नहीं पाते, इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि जहां वे काम करते हैं वहां से हटा कर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पूल में रखे जायं और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जगह हो रही हैं उन पर ये लगा दिये जायं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि ३०० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों का मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने में क्या सरकार को कोई दिक्कत होती है कि वे भी, जैसी कि नयी सरकार की पालिसी है, बिना चपरासी के काम चला सकें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह भी किया जायगा, लेकिन उससे पहले इसका प्रबन्ध सोच लिया जायगा क्योंकि अगर वह काम शुरू करते तो भी आप आपत्ति करते। किन्हीं योजनाओं में आप सहयोग दें तो वह भी कार्य हम कर सकते हैं।

श्री गोन्विन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—जो पुराने परमानेन्ट चपरासी थे और जो अब बेकार हो गये हैं वे जिन नयी जगहों पर भेजे गये उनको वहां अस्थायी क्यों बनाया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अगर कहीं ऐसा किया गया है तो वह गलत किया गया है, वे स्थायी ही रहेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह—यह जो १,८८३ की संख्या दी गयी है इसमें क्या सिंचाई विभाग के बरकन्दाज भी शामिल हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बरकन्दाज अलाहिदा है और वे अभी हटाये भी नहीं गये हैं और जब तक उनके लिये व्यवस्था नहीं हो जायगी तब तक वे हटाये भी नहीं जायंगे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३०० रुपये तक तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को चपरासी नहीं दिये जायेंगे, इस आदेश को जारी करते हुए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इन अधिकारियों में ज्यादातर ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज्यादातर टूरिंग ड्यूटीज हैं, जो महीने में २० दिन बाहर रहते है और १० दिन हेडक्वार्टर पर रहते हैं, तो ऐसे अधिकारियों की कार्य-क्षमता में कोई कमी न आने पावे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, कुछ ऐसे हैं जो ३०० रुपये से कम तनख्वाह पाते है, जैसे स्त्रियां हैं, वे जो टूरिंग ड्यूटीज करती हैं उनके चपरासी वापस नहीं लिये गये हैं।

कुंवर श्री पाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन चपरासियों के हटाने का एक कारण यह भी है कि मंत्रिमंडल में बढ़ौत्तरी हो रही है और उस खर्चे को पूरा करने के लिये रुपये की आवश्यकता पड़ी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसका कारण तो माननीय सदस्य को ज्यादा पता होगा क्योंकि वही ज्यादा आंकड़ों वगैरह का अध्ययन करते रहते हैं। हमने तो मंत्रिमंडल में ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं की है। जैसा पहले था वैसा ही अब भी है और जितना पहले मंत्रि मंडल पर खर्चा होता था उससे भी कम हमारे बढ़े हुए मंत्रिमंडल पर होता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे, जैसा कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि दूसरे देशों में प्राइम मिनिस्टर तक अपनी फाइल स्वयं ले जाते हैं, कि जो यह कटौती की गई है वह चपरासियों के कर्त्तव्य में की गई है या उनकी नौकरियों में की गई है ? उनका जो निम्न स्तर समझा जाता है, उसको खत्म किया है या नौकरियों को खत्म करने की बात की है ?

श्री अध्यक्ष—आप स्पष्ट करें।

श्री प्रतापसिंह—माननीय मुख्य मंत्री जी चपरासियों की भी इज्जत करना चाहते हैं तो जो चपरासी कम किये गये हैं वह मेरे आंकड़े के अनुसार तो ३,०८० हैं और सरकारी आंकड़े के अनुसार १,८८३ हैं, इनको हटाकर उनको किस प्रकार से नई जिन्दगी और नई इज्जत देंगे, इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उनकी इज्जत बनाने का सवाल इस माने में होगा कि जो लोग बिना चपरासी के काम करते हैं उन विभागों में उनके स्तर के अन्य लोगों को चपरासी न देकर ऐसे विभाग में भेजे गये हैं जहां वे और तरह का काम कर सकते हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ३,०८० चपरासियों के बजाय १,८०३ चपरासियों को रिइम्पलाय करने का जो वे विचार कर रहे हैं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो नये आदमियों को रोजगार दिलाने की भावना थी उसमें किस प्रकार वह मदद करने की कोशिश करेंगे ?

श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार का दावा यह है कि इन ३,०८० आदमियों को कम करके वह पंचवर्षीय योजना में खपा लेंगे.....

श्री अध्यक्ष—वह मंजूर नहीं करते हैं, ३००० संख्या को।

श्री सुरथबहादुरशाह—१,८०३ आदमियों को कम करके इनको जब खपायेंगे तो नये आदमियों के लिये कौन से कार्य निकालेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इससे जितना रुपया बचेगा वह उन कार्यों में लगेगा जो नितान्त आवश्यक हैं, जिनके द्वारा उद्योग-धंधे बढ़ेंगे और खेती का उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा और नौकरी मिलेगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार बतायेगी कि जो १,१०६ अस्थाई चपरासी हैं उनमें से कितने चपरासी इन ७५० नये पदों पर रखे जायंगे और क्या उन नये चपरासियों को कोई अच्छा काम करना पड़ेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उनको विभिन्न प्रकार का काम करना पड़ेगा। वे काम नहीं करने पड़ेंगे जैसे वह दौरे पर जाते थे तो रोटी बनाते थे तथा कहीं बिस्तर लादते थे।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि बरकंदाजों के संबंध में जो जून मास में आज्ञा निकाली गई थी उनको हटाने की, उसका क्या हुआ ? दूसरे उनको वह वेतन नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बिलकुल वही मिलेगा जहां तक बरकंदाज का सवाल है। जब तक तृतीय पंचवर्षीय योजना में काफी स्थान बढ़ने पर उन्हें नहीं ले लिया जायगा, जहां-जहां बरकंदाज हैं वे हटाये नहीं जायेंगे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—यह जो किफायतशारी की स्कीम सरकार चला रही है उसमें जो कर्मचारियों को हटाकर नयी जगहों पर रखने की स्कीम है, उससे कितने रुपये बचत होने की संभावना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास इस समय पूरे आंकड़े तो नहीं है, लेकिन १६ लाख रुपये की बचत होने की संभावना है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि चपरासियों से बर्तन मलवाये जाते हैं तो उनको ज्ञात है कि चपरासियों से ऐसे काम कराये जाते हैं, तो क्या जो और दफ्तरों में चपरासी काम कर रहे हैं उनके संबंध में जांच कराने की कृपा करेंगे कि यह काम कहां-कहां कराये जाते हैं और कैसे रोके जा सकते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह जितना प्रयास है, यह उस दिशा में हमें ले जाने वाला है जिस दिशा में चल कर हम लोगों को यह अनुभव होने लगे कि हम जो चपरासी रखते हैं; उससे अपना निजी काम करवाते हैं, उस पर प्रतिबन्ध लगे और वह काम रुके ।

***श्री प्रतापसिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन तमाम सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव के जरिये अपने प्रश्न पूछ कर यह साबित कर दिया है कि सरकार की यह नीति बचत की नहीं है, बल्कि लोगों को बेकार करने की है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमें आदर्श स्थापित करना चाहिये । विलायत का प्रधान मंत्री स्वयं अपने आप अपना काम करता है । मैं कहना चाहता हूं कि हमें खाली दुनिया में नहीं रहना चाहिये । प्लैटो के लिये कहा गया है कि He was a man of baloon तो मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि वह भी बैलून आदमी न बनें । यहां प्राइम मिनिस्टर की मिसाल हम को दी जा रही है और चपरासी उन लोगों से वापस लिये जा रहे हैं जिनका वेतन ३०० से कम हो । आज हालत यह ह कि बड़े-बड़ अफसरों के पास पांच-पांच चपरासी हैं । खाना बनाने के लिये एक, लहंगा धोने के लिये दूसरा, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, तीसरा, बच्चों को गोद में लेनेके लिये चौथा और सौदा लाने के लिये पांचवां । इसके पीछे एक आर्थिक पहलू भी है। अगर गजेटेड अफसरों के घर चपरासी काम न करें तो एक आदमी खाना बनाने के लिये, एक आदमी बच्चों को स्कूल ले जाने के लिये और तीसरा आदमी बच्चों को गोद में लेने के लिये रखना पड़ेगा । इस तरह से जितने गजटेड अफसर हैं उससे कई गुना लोगों को नौकरी मिल जायगी । अगर माननीय गुप्त जी उस जी० ओ० को इम्प्लीमेन्ट करें । जो लोग आज शासन चला रहे हैं उनके घरों में चपरासी वह काम करते हैं, जिनको मैं हाउस में नहीं कहना चाहता । माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम चपरासी से फाइल नहीं उठवायेंगे। लेकिन दूसरे ही दिन चपरासी को फाइल दे दी । उसकी अखबारों में बड़ी हंसी उड़ाई गयी ।

अभी माननीय गुप्ता जी ने कहा कि १६ लाख रुपये की इस तरह से बचत होगी, लेकिन हिसाब लगाया जाय, १८ रुपये के हसाब से चार लाख के करीब आता है । तो यह कोई बचत नहीं है । मैं इन शब्दों के साथ कहूंगा कि चपरासियों को निकालने से सम्मान नहीं होगा, बल्कि उनको नौकरी देने से उनका सम्मान होगा । उनकी १५–१५, २०-२० साल की नौकरी को फिर से रेकगनाइज करने से उनको सम्मान मिलेगा । जो चपरासी हटाये गये हैं, उनको कोई यह देखने वाला नहीं है कि उनको काम मिल रहा है या नहीं । चपरासियों की जो पिछली सर्विसेज हैं उनको भी काउंट किया जाना चाहिये । इस तरह से उनकी सुरक्षा होगी ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि कोई भी कार्य सरकार किसी नीयत से करे, हर बात पर सरकार की नीयत पर हमला करने की चेष्टा की जाती है । यदि कोई नयी चीज की जाय, यदि बचत की चेष्टा की जाय और उस दिशा में चलने की योजनाएं बनायी जायं, तो कहा जाता है कि सरकार सही कदम नहीं उठाती है । इस प्रकार की आलोचना की जाती है । अगर एक नयी दिशा में चलने की चेष्टा की जाय तो वह भी आपत्ति-जनक है । खैर, कोई योजना चलायी जाती हैं, तो उस योजना के पैदा होते ही उसको परफेक्ट नहीं बना दिया जाता । कोई भी योजना नये ढंग से चलाने की चेष्टा करें, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी मात्रा में लोगों को दिक्कत भी उठानी पड़ती है । हमने जो यह कार्य प्रारम्भ किया ह कि उन अधिकारियों के बीच से जिनके समकक्ष साथी स्वतः उन चपरासियों को नहीं पाते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम उन बातों को करने की चेष्टा न करें जो हमें नयी दिशा में चलने के लिये प्रेरित करें। हमने एक नये ढंग से एक नया कदम उठाने का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

प्रयास किया है और उसमें हम किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते हैं । प्रत्येक के सम्मान को रखने के लिये हम यह चेष्टा करना चाहते हैं कि उत्तरोत्तर यह भावना हमारे बीच में उभरे। यदि यह कहा जाय कि आपने यहां से पहले क्यों नहीं प्रारम्भ किया तो आज उसमें हमारी दिक्कतें थीं और दिक्कत यह थी कि हम तो अभी बदल दें, हमारे बहुत से साथी हैं जिनको चपरासी की आवश्यकता नहीं है, और मेरे यहां चपरासी जाता है तो मेरे यहां कोई काम उसको नहीं रहता और न मैंने कभी किसी चपरासी से काम लिया, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो चपरासी का अभी तरीका चला आ रहा है उसको बदले, लेकिन यह धीरे-धीरे ही बदला जा सकता है । उन लोगों को जो चपरासी के काम में लगे हुए हैं दूसरे रोजगारों में लगाया जा सकता है । ज्यों-ज्यों रोजगार बढ़ते जायेंगे, ज्यों-ज्यों खेती के उत्पादन के साधन बढ़ते जायेंगे, ज्यों-ज्यों हमारे उद्योग-धंधे बढ़ते जायेंगे, त्यों-त्यों यह व्यक्ति जो पचास और साठ रुपये की नौकरी में अपना सारा जीवन यहां देते हैं, वह उन कामों में लगेंगे । और इस तरह से बचत की योजनाओं से अधिक से अधिक धन जहां-जहां हम बचा सकें और उसको बचा कर हम उन कामों में लगायें जिससे हमारे उद्योग धंधे बढ़े और हम उन लोगों के लिये जो कि नौकरियों में लगे हुये हैं अधिक संख्या में ये साधन उपलब्ध कर सकें। आज नौकरियों के द्वारा क्या हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़ सकती है या उसका स्तर ऊंचा किया जा सकता है ? आज अगर स्तर ऊंचा किया जा सकता है तो मेहनत के द्वारा, खेती के द्वारा, और उद्योग-धंधों के द्वारा । तो हम जो बचत की योजनाऐं करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य खेती और उद्योग धंधों को बढ़ाना होता है और यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के लिये निर्धारित तिथियों की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं, उसके बाद हम उठेंगे ।

एक तो श्री गोविन्दसिंह विष्ट ने नियम ५२ के अन्तर्गत जो कानपुर में झंडे के फाड़े जाने के बारे में एक सूचना दी थी और मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था उसके लिये २८ तारीख में रखता हूं क्योंकि २४ तक इधर दो-दो तीन-तीन नियम ५२ के विषय में लिये जा चुके हैं । तो उसको तो २८ के लिए रखता हूं और गाजीपुर शहर के निकट जो नाव की दुर्घटना हुई है और बनारस, और मैं समझता हूं एकाध-जगह का और है उसके लिये २९ तारीख रखता हूं ।

कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की बैठक के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—आज जो सवा पांच बजे कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेसन की मीटिंग होने वाली है वह अब मैं समझता हूं कि हमें यहां से उठते ही शुरू कर देना चाहिये । अगर इस वक्त लोग वहां पहुंच जायेंगे तो मीटिंग हो जायगी और नहीं तो हम उसको वहीं स्थगित करेंगे । यहां तो मैं सूचना दे देना चाहता हूं कि तिलक हाल में इसके बाद उसकी मीटिंग होगी । हम लोग वहीं चलें ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर २८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :
२१ अगस्त, १९६१ ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७० पर)

प्रेषक,

श्री इफ्तखार हुसैन,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक, हरिजन कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लखनऊ, १६ जून, १६६१

विषय : पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं के हरिजन छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति तथा फीस माफी के नियमों में संशोधन ।

हरिजन सहायक विभाग

महोदय,

मुझे कक्षा १० के ऊपर के छात्रों की निःशुल्क शिक्षा के संबंध में यह कहने का आदेश हुआ है कि अभी तक पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हो जाने वाले और विशेष कारणों से अनुत्तीर्ण होने वाले सभी हरिजन विद्यार्थियों की, जिनके अभिभावकों की मासिक आय २५० रु० से कम होती है, फीस मैट्रिक से उपर की कक्षाओं में भी माफ रहती है और विद्यालयों को जो हानि इस माफी के फलस्वरूप होती है वह धनराशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में देकर पूरी कर दी जाती है । परन्तु कथित पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्रों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती । अब राज्य सरकार ने शासकीय सुविधा के लिये यह निर्णय किया है कि अगले शैक्षिक वर्ष से अर्थात् जुलाई या अगस्त, १६६१ से फीस की माफी के फलस्वरूप हानि की क्षतिपूर्ति विद्यालयों को अलग से न करके उक्त धन पोस्ट मैट्रिक हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति के धन के साथ मिला कर स्वीकार किया जायगा । अतएव मुझे यह कहना है कि उक्त पद्धति के लागू होने पर जब आप छात्रवृत्ति मंजूर करें तो आदेश में यह भी स्पष्ट कर दें कि इस छात्रवृत्ति में वह धन भी सम्मिलित है जो उक्त छात्र को फीस के रूप में विद्यालय को देना है । इस संबंध में विद्यालयों को सूचित कर दिया जाय कि वे हरिजन छात्रों से प्रवेश के समय फीस न मांगें और छात्रवृत्तियां मिलने पर छात्रों से फीस का धन वसूल कर लें । चूंकि छात्रवृत्तियां विद्यालयों के द्वारा ही वितरित की जाती हैं, विद्यालयों को अपनी फीस वसूल करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

२—इस निर्णय के फलस्वरूप यह संभावना है कि विद्यालय हरिजन छात्रों को पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में फीस के अभाव में भरती न करें । अतः आप कृपया संबंधित संस्थाओं को सूचित कर दें कि वे हरिजन छात्रों को विना फीस लिये भरती कर लें तथा उन छात्रों को छात्रवृत्ति, जिसमें फीस का धन भी सम्मिलित होगा, का भुगतान करते समय फीस का धन काट लें ।

३—फेल हो जाने वाले छात्रों के संबंध में केन्द्रीय सरकार का यह नियम है कि उनके बीमारी के कारण परीक्षा न दे सकने का डाक्टरी प्रमाण-पत्र देने पर तथा प्रधानाचार्य के प्रमाण-पत्र पर कि वे अच्छे विद्यार्थी रहे हैं तथा यदि परीक्षा दे सके होते तो उत्तीर्ण हो जाते, छात्रवृत्ति दे दी जाती है । उन छात्रों के संबंध में वही स्थिति अब भी रहेगी । प्राविधिक (टेक्निकल) छात्र जो ५ प्रतिशत अंकों तक कम पाने से फेल हो जाते हैं उन्हें भी छात्रवृत्ति

तथा फीस माफी की सुविधा पूर्ववत मिलती रहेगी । अन्य फेल होने वाले छात्र को यह सुविधाएं नहीं मिलेंगी । ऐसे छात्रों को यदि कोई अनावर्तक सहायता निदेशक देना चाहे तो दे सकता है ।

४—अतएव मुझे आपसे कहना है कि उक्त आदेशों के फलस्वरूप पोस्ट मैट्रिक हरिजन छात्रों को फीस की माफी तथा क्षतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के नियमों में यथोचित परिवर्तन करके सर्वसाधारण तथा संबंधित संस्थाओं को सूचित कर दें कि जिससे किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो । आदेश तुरन्त जारी करके शासन को सूचित करने की कृपा करें ।

आपका विश्वासपात्र,

इफ्तिखार हुसैन,

उप सचिव ।

संख्या ४४८४(१)२६—४४२-१९६१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित :—

१—महालेखापाल, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से प्रसारित किये जा रहे हैं ।

२—शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

३—उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधीशों को २ अतिरिक्त प्रतियों सहित जो जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला हरिजन कल्याण अधिकारी के लिए हैं ।

४—रजिस्ट्रार, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, अलीगढ़, रुड़की तथा रुद्रपुर विश्वविद्यालय ।

आज्ञा से,

इफ्तिखार हुसैन,

उप सचिव ।

पत्र संख्या ह० क० १३७९० /९–६१-३० लखनऊ, १८ जुलाई, १९६१।

प्रेषक,

श्री इफ्तिखार हुसैन, पी० सी० एस०,
निदेशक, हरिजन कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार,
समस्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य,
समस्त हायर सेकेण्डरी स्कूलों के प्रधानाचार्य,
समस्त प्राविधिक एवं टक्नीकल संस्थाओं के प्रधानाचार्य, उत्तर प्रदेश में।

विषय : पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं के हरिजन विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति तथा फीस माफी के नियमों में संशोधन–परिपत्र संख्या ह० क० /२४४०–अ/ ९–६१-३०, दिनांक, २२ जून, १९६१ में आंशिक संशोधन

महोदय,

मैं आपका ध्यान इस निदेशालय के पत्र संख्या ह० क० / २४४०-अ / ९–६१-३०, दिनांक २२ जून, १९६१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके द्वारा पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति तथा फीस माफी के नियमों में परिवर्तन किया गया है।

२—इस परिपत्र में अनुत्तीर्ण हो जाने वाले विद्यार्थियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के उस नियम से आपको अवगत कराया गया था जिसके अनुसार बीमारी के कारण परीक्षा न दे सकने का डाक्टरी प्रमाण-पत्र तथा प्रधानाचार्य के इस प्रमाण-पत्र पर कि वे अच्छे विद्यार्थी रहे हैं और यदि परीक्षा दे सके होते तो उत्तीर्ण हो जाते, दिये जाने पर छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था थी।

३—इसी परिपत्र में यह भी लिखा गया था कि मेडिकल तथा इंजीनियरिंग विद्यार्थी जो ५ प्रतिशत अंकों से अनुत्तीर्ण हुये हों उन्हें भी छात्रवृत्ति तथा फीस माफी की सुविधा पूर्ववत मिलती रहेगी।

४—इसके अतिरिक्त अन्य अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया था कि प्रधानाचार्य/रजिष्ट्रार की संस्तुति पर अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी अनावर्तक सहायता दी जा सकती है परन्तु इसका निर्णय निदेशक, हरिजन कल्याण, उत्तर प्रदेश, के विवेक पर ही रहेगा।

उपरोक्त अनुच्छेद (४) में वर्णित अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के संबंध में सरकार ने पुनः सहानुभूतिपूर्वक विचार करके यह निर्णय किया है कि प्रत्येक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी के संबंध में इस निदेशालय में विचार करके निर्णय देने में विलम्ब की संभावना है और इसके कारण अनेक हरिजन विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में बाधा पड़ सकती है। अतः यह निर्णय किया गया है कि परिपत्र संख्या ह० क० /२४४०–अ/९–६१-३०, दिनांक २२ जून, १९६१ के पूर्व प्रथा के अनुसार प्रधानाचार्य को ही यह अधिकार होगा कि वे प्रथम बार

अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के संबंध में स्वयं निर्णय कर दें कि वह आर्थिक तथा अन्य जिन परि-स्थितियों में अनुत्तीर्ण हुए हैं उनके अनुसार उनकी फीस से मुक्ति दी जाय अथवा नहीं। यदि वे संतुष्ट ह कि अमुक विद्यार्थी को यह सुविधा दी जाय तो वह उसको स्वयं फीस से मुक्त कर दें और ऐसे विद्यार्थियों पर होने वाले फीस माफी के घाटे की पूर्ति का त्रैमासिक बिल इस निदेशालय को भेज दें जिसका भुगतान किया जायगा। इस संबंध में यह स्मरण रखना चाहिये कि यह बिल केवल अनुत्तीर्ण छात्रों के संबंध में होगा और संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को न भेजकर सीधे इस कार्यालय को भेजा जायेगा।

५—दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि परिपत्र संख्या ह० क० / २४४०-अ/९-६१-३०, दिनांक २२, जून १९६१ में जो निर्देश दिये गये थे उसमें कुछ विलम्ब हो गया था, जिसके कारण अनुत्तीर्ण अनुसूचित जातीय विद्यार्थियों को कुछ असुविधा प्रतीत हुई। अतः अनुच्छेद ४ में वर्णित आंशिक संशोधन किया गया है। यह आंशिक संशोधन केवल इस वर्ष के लिये हैं। अगले वर्ष से उपरोक्त परिपत्र (ह० क० / २४४०-अ/ दिनांक, २२, जून १९६१) में वर्णित आदेश, अर्थात् प्रत्येक अनुत्तीर्ण अनुसूचित विद्यार्थी की फीस माफी से संबंधित अन्तिम निर्णय के लिये प्रधानाचार्य/रजिस्ट्रार द्वारा अपनी संस्तुति के साथ इस निदेशालय को भेजना आवश्यक होगा।

भवदीय,

इफ्तिखार हुसैन,

निदेशक, हरिजन कल्याण,

उत्तर प्रदेश।

—

पत्र संख्या ह० क० /१३७९० (१)/९-६१-३० दिनांक, जुलाई १८, १९६१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित की जाती है :

१—समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

२—समस्त जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

३—समस्त जिलाधीश, उत्तर प्रदेश।

४—हरिजन सहायक विभाग।

इफ्तिखार हुसैन,

निदेशक, हरिजन कल्याण,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ख'

(दखिय अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७४ पर)

Extract from the Working Group. Report (September 21, 1960) of the Ministry of Home Affairs (Third Five-Year Plan).

---

(8) In regard to the improvement of the working conditions of scavengers, the Group was of the view that perspective plan, as recommended by the Ministers for Backward Classes, has to be prepared and the practice of carrying night-soil either as head-load or in baskets has got to be eliminated completely as soon as possible during the Third Plan period. The State Government will have to consider the question comprehensively and ensure that the local bodies adopt requisite bye-laws and issue necessary executive orders for carrying out this suggestion and for supervising that the desired results are actually achieved. It was also realized that in addition to the subsidy provision included in the special sector, necessary arrangements will have to be made to advance loans to the local bodies who may be in need.

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न १–२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८१ पर]

अनुसूची १

१—देहरादून	६४८	२४—वाराणसी	२,९६२
२—सहारनपुर	१,७८९	२५—मिर्जापुर	१,९६५
३—मुजफ्फरनगर	१,७२४	२६—जौनपुर	२,३३६
४—मेरठ	२,३०६	२७—गाजीपुर	१,७३३
५—बुलन्दशहर	१,६४२	२८—बलिया	२,१६२
६—मथुरा	३५८	२९—गोरखपुर	३,१३८
७—आगरा	२,४२२	३०—बस्ती	१३४
८—मैनपुरी	१,९५९	३१—आजमगढ़	२,५९३
९—बरेली	६४१	३२—देवरिया	२,३०७
१०—बिजनौर	१,६८९	३३—नैनीताल	१,६२३
११—बदायूं	१२५	३४—अलमोड़ा	१ ७६१
१२—मुरादाबाद	२,७००	३५—पौड़ी गढ़वाल	६२०
१३—शाहजहांपुर	१,७८८	३६—लखनऊ	१,६४८
१४—पीलीभीत	९८२	३७—उन्नाव	२,०३३
१५—फर्रुखाबाद	१,९२२	३८—रायबरेली	१,६७१
१६—इटावा	१,७७७	३९—सीतापुर	१३,७०९
१७—कानपूर	३,०२८	४०—हरदोई	२,२२१
१८—फतेहपुर	१,३९५	४१—खीरी	१,६७६
१९—इलाहाबाद	२,०३७	४२—फैजाबाद	२,०८५
२०—बांदा	१,३३४	४३—गोंडा	१५७
२१—झांसी	१,६६१	४४—बहराइच	१,७४५
२२—हमीरपुर	१,०८७	४५—सुलतानपुर	२,२७४
२३—जालौन	१,१४०	४६—बाराबंकी	१,७५९

अनुसूची २

बरेली जिले में अन्तरिम जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर में कैराना नगरपालिका तथा मुरादाबाद में नगरपालिका आंवला की आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण वेतन दिये जाने में देर हुई ।

मेरठ में अध्यापकों के छुट्टी जाने के कारण देर से वेतन मिला ।

बुलन्दशहर में अध्यापकों ने अक्तूबर, १९६० में यह प्रार्थना की कि उनको दो माह का वेतन दिया जावे ।

मथुरा, वाराणसी, देवरिया तथा सुल्तानपुर जिलों में शासकीय अनुदान समय पर प्राप्त न होने के कारण अध्यापकों को वेतन देर से मिला ।

बदायूं में शासकीय अनुदान देर से प्राप्त होने के कारण तथा अध्यापकों का हस्तान्तरण होने के कारण और उनके वेतन के बिल देर से तैयार होने के कारण वेतन देर से मिला ।

बांदा, सीतापुर तथा पीलीभीत में मनी आर्डर द्वारा वेतन बांटे जाने के कारण देर से वेतन मिला ।

कानपुर जिले में महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के आदेश देर में प्राप्त होने के कारण वेतन बांटे जाने में देरी हुई ।

फतेहपुर जिले में २ अध्यापकों को देर से वेतन मिलने का कारण यह हुआ कि उनका मामला court में चल रहा था । ३ अध्यापकों ने Fitness Certificate देर से दाखिल किया ।

१७ अध्यापकों को देर से वेतन मिलने का कारण यह हुआ कि नगरपालिका, बिन्दकी की आर्थिक दशा अच्छी न थी ।

हमीरपुर तथा जालौन में अध्यापकों को देर से वेतन मिलने का कारण यह हुआ कि वहां की स्थानीय निकायों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं रही ।

गोरखपुर जिले में ८ अध्यापकों को देर से वेतन मिलने का कारण यह हुआ कि यह अध्यापक मोअत्तल कर दिये गये थे ।

बस्ती में अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यापकों को देर से वेतन देने के कारण यह हुआ कि वहां पर ५ महीने तक Asstt. Accountant की जगह खाली रही ।

गढ़वाल (पौड़ी) में अध्यापकों को देर से वेतन मिलने का कारण यह हुआ कि वहां एक नया जिला चमोली बनाया गया ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८६ पर)

पाइलट प्रोजेक्ट में १० सहकारी कृषि समितियां बनाई जावेंगी । समितियों का निर्माण सदस्यों की पूर्ण स्वेच्छा से होगा । समितियों में जहां तक संभव होगा छोटे व भूमिहीन किसान शामिल होंगे । सहकारी फार्म पर अथवा समिति के अन्य कार्यों में भाग न लेने वाले भूस्वामी सदस्यों की संख्या २५ प्रतिशत से अधिक न होगी । समितियों में कमसे कम दस सदस्य व ३० एकड़ भूमि होगी । एक अग्रगामी योजना (pilot project) पर तृतीय योजना काल में ११,७०० रु० का विशेष सहायता के रूप में व्यय होने का अनुमान है जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	रु०
१—मैनेजर के वेतन के लिये अनुदान	१,२००
२—सरकार द्वारा हिस्से की पूंजी में साझेदारी	१,५००
३—गोदाम तथा पशुओं के बाड़े बनाने के लिय .. .. (इसमें २५ प्रतिशत अनुदान और ७५ प्रतिशत ऋण होगा)	५,०००
४—कृषि तथा उत्पादक ऋण	४,०००
कुल ..	११,७००

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २११ एल० ए०—१९६१-८४५ ।